भारत की अनुसूचित जनजातियाँ: धर्मानुसार जनसांख्यिकी एवं प्रतिनिधित्व

जितेन्द्र बजाज

समाजनीति समीक्षण केन्द्र

भारत की अनुसूचित जनजातियाँ: धर्मानुसार जनसांख्यिकी एवं प्रतिनिधित्व

जितेन्द्र बजाज

समाजनीति समीक्षण केन्द्र
CENTRE FOR POLICY STUDIES

भारत की अनुसूचित जनजातियाँः
धर्मानुसार जनसांख्यिकी एवं प्रतिनिधित्व
जितेन्द्र बजाज

© **समाजनीति समीक्षण केन्द्र**, २०११

प्रकाशकः समाजनीति समीक्षण केन्द्र,
६ बालैय्या एवेन्यु, लज, मयिलापुर, चेन्नै – ६०० ००४
८३ डीडीए साईट १, नया राजेंद्र नगर, शंकर मार्ग, दिल्ली ११० ०६०
के लिये डा. जितेन्द्र बजाज द्वारा प्रकाशित
दूरभाष : ०११-२८७४४३४४ (दिल्ली), ०४४-२४९८२००३ (चेन्नै)
policy.cpsindia@gmail.com, www.cpsindia.org

मुद्रकः डी. के. फाईन आट्र्स प्रेस (प्रा) लि. दिल्ली – ११० ०५२

मूल्य १००/- रुपये
आई.एस.बी.एन. ८१-८६०४१-३५-४

प्रस्तावना

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों के 8.4 करोड़ लोग हैं। इनमें से प्रायः एक तिहाई भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और साथ लगते बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिले आते हैं। दूसरे एक तिहाई जनजातीय लोग पश्चिमी क्षेत्र में हैं। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अनेकों जिले आते हैं। लगभग 80 लाख जनजातीय लोग दक्षिण में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल के विभिन्न भागों में हैं। उत्तरपश्चिम में जम्मू-कश्मीर और साथ लगते हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के कुछ जिलों में अनुसूचित जनजातियों के प्रायः 20 लाख लोग हैं। शेष 1.4 करोड़ अनुसूचित जनजातीय लोग पूर्वी क्षेत्र में हैं: 40 लाख पश्चिम बंगाल में, 30 लाख असम में और लगभग 70 लाख उत्तरपूर्व के शेष 6 राज्यों में हैं।

भारत की अनुसूचित जनजातियों का बहुसंख्यक भाग अब भी अपने पारंपरिक सनातन धर्म में स्थित हैं। अनुसूचित जनजातियों के 8.4 करोड़ लोगों में से 7.5 करोड़ या तो हिन्दु अथवा बौद्ध हैं या सरना, सारी धर्म अथवा डोनी पोलो आदि जैसे विशिष्ट जनजातीय संप्रदायों से संबंधित हैं। परन्तु उनमें लगभग 12 लाख मुस्लिम और लगभग 80 लाख ईसाई भी हैं। जनजातीय मुस्लिम मुख्यतः जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप एवं महाराष्ट्र में हैं। अनुसूचित जनजातीय मूल के 80 लाख ईसाइयों में से 55 लाख उत्तरपूर्व में हैं। इनमें से 3 लाख असम एवं त्रिपुरा में और 52 लाख उत्तरपूर्व के शेष 5 राज्यों में हैं। उत्तरपूर्व से बाहर के 7.4 करोड़ अनुसूचित जनजातीय लोगों में केवल 25 लाख ईसाई हैं। उनमें से 20 लाख छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में हैं। इन तीन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या लगभग 2.2 करोड़ है।

भारत की अनुसूचित जनजातियों में, विशेषतः उत्तरपूर्व के बाहर की जनजातियों में, ईसाइयों की इतनी सीमित संख्या होते हुए भी केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों के बड़े भाग पर धर्मांतरित ईसाइयों का ही अधिकार बना हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में आरक्षित जनजातीय स्थानों में ईसाइयों के पक्ष में इस विषमता को स्थापित करने का एक प्रमुख माध्यम तो जनजातीय स्थानों पर बड़ी संख्या में उत्तरपूर्व के जनजातीय लोगों को भर लेना है। उत्तरपूर्व के

कुछ राज्यों की जनजातियों के अधिकतर लोग ईसाई हो गये हैं। परंतु भारत के अन्य राज्यों की जनजातियों से भी ईसाइयों को केंद्रीय सेवाओं में बड़ा स्थान प्राप्त होता है, चाहे वहाँ थोड़े से ही जनजातीय लोग ईसाई बने हैं। विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक सेवाओं में भी जनजातीय मूल के धर्मपरिवर्तित ईसाई जनजातीय जनसंख्या में अपने अनुपात से कहीं अधिक भाग पा जाते हैं।

इस पुस्तिका में हमने 01 जनवरी 2009 तक संशोधित भारतीय प्रशासनिक सेवा सूची में उत्तरपूर्व के राज्यों से आये अनुसूचित जनजातीय एवं जनजातीय मूल के धर्मपरिवर्तित ईसाई अधिकारियों की गणना की है। और इस संदर्भ में उत्तरपूर्व की स्थिति की तुलना मध्यभारत के छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा राज्यों से आये अनुसूचित जनजातीय अधिकारियों से की है। इनमें से प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या समूचे असमेतर उत्तरपूर्व के समान है और इन तीन राज्यों की जनजातियों की कुल संख्या असम समेत पूरे उत्तरपूर्व के दोगुना से अधिक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तरपूर्व के जनजातीय अधिकारियों और इन तीन राज्यों के जनजातीय अधिकारियों की संख्या में अंतर कल्पना से परे है। असमेतर उत्तरपूर्व में 70 लाख अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं जिनमें से 52 लाख ईसाई हैं। असम की अजजा जनसंख्या 33 लाख है जिसमें 3 लाख ईसाई हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा सूची में असमेतर उत्तरपूर्व से अनुसूचित जनजातियों के 111 भाप्रसे अधिकारी हैं, इनमें 96 ईसाई हैं। असम से 19 जनजातीय भाप्रसे अधिकारी हैं और इनमें से 9 ईसाई हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा में अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या 2.2 करोड़ है, जिसमें 20 लाख से भी कम ईसाई हैं। और भारतीय प्रशासनिक सेवा सूची में इन तीन राज्यों से कुल 17 जनजातीय अधिकारी हैं, इनमें भी 8 ईसाई हैं।

यहाँ प्रस्तुत आंकड़ों में भारत के कुछ ही राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की धर्मानुसार जनसंख्या और उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया गया है। स्थिति की विषमता को संपूर्णता में समझने के लिये भारत के सब राज्यों की अनुसूचित जनजातियों और उनके समस्त केंद्रीय एवं प्रादेशिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करना आवश्यक है। परंतु उत्तरपूर्व और छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा की अनुसूचित जनजातियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रतिनिधित्व के आंकड़ों में इन दो क्षेत्रों के बीच और अपने मूल धर्म में स्थित

लोगों एवं धर्मांतरित ईसाइयों के बीच अंतर इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण दिखता है कि हमने इन आंकड़ों को विश्लेषण के पूरा होने की प्रतीक्षा किये बिना प्रकाशित करना आवश्यक समझा है।

साठ के दशक के अंत में संसद में अपने मूल सनातन धर्म मे स्थित अनुसूचित जनजातियों के बहुसंख्यक लोगों एवं धर्मांतरित ईसाइयों के बीच व्याप्त इस घोर विषमता की विस्तृत चर्चा हुई थी और इस विषमता को दूर करने के लिये समुचित वैधानिक प्रावधान करने का प्रयास भी हुआ था। जनजातियों के कुशाग्र युवा नेता डॉ. कार्तिक उराँव की इस प्रयास में प्रमुख भूमिका थी। लोकसभा के बहुसंख्यक सांसदों के समर्थन के होते हुए भी वह प्रयास सफल नहीं हो पाया था। अपने मूल धर्म को छोड़ कर ईसाई बने लोग संविधान एवं विधि के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्य माने जा सकते हैं या नहीं, इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछेक वादों के संदर्भ में विचार किया है। इस पुस्तिका के परिशिष्ट में हमने साठ के दशक के अंत में हुई संसदीय चर्चा का और सर्वोच्च न्यायालय के इस संदर्भ में दिये गये दो निर्णयों का सार भी दे दिया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के जनजातीय मूल एवं धार्मिक आस्थाओं का निर्धारण हमने विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय और जानकार लोगों से बात करके किया है। प्रायः ये लोग अपने-अपने राज्य से आये अनुसूचित जनजाति मूल के अधिकारियों के नाम एवं परिवार से परिचित थे। इस कार्य में सहयोग के लिये हम जनजाति सुरक्षा मंच के साथियों के आभारी हैं।

इस पुस्तिका के हिंदी अनुवाद में मेरे अग्रज साथी श्री विष्णुकांत ने अपना समय एवं सहयोग दिया है। यहाँ दिये गये भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) पर आधारित मानचित्रों के कष्टसाध्य संकलन में मेरे युवा सहयोगी अमित बंसल की बड़ी भूमिका रही है। पुस्तिका के आकल्पन एवं सज्जा में सुदर्शन का योगदान रहा है। अश्वनी चौहान, नितिन गुप्ता एवं आञ्जनेय बजाज ने विभिन्न प्रकार से इस कार्य में सहयोग किया है। मैं इन सब का आभारी हूँ।

जितेन्द्र बजाज

दिल्ली, 24 नवंबर 2011

अरुणाचल प्रदेश: धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- 2001 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या लगभग 11 लाख है, इसमें से 7 लाख से अधिक अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के लोग हैं। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 64 प्रतिशत है।
- अजजा की जनसंख्या का 47 प्रतिशत से अधिक 'अन्य धर्मावलम्बियों' में गिने जाते हैं। इस श्रेणी में आने वाले 3.3 लाख लोगों में से 3 लाख लोगों ने अपना धर्म डोनी पोलो या सिडोनी पोलो लिखवाया है। राज्य की अनुसूचित जनजातियों में ईसाई दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह हैं, अजजा जनसंख्या का 26 प्रतिशत ईसाई हैं। शेष लगभग 13 प्रतिशत हिन्दु एवं 12 प्रतिशत बौद्ध हैं।
- अजजा में कुछ जैन व सिख भी हैं। एक अनुसूचित जनजाति की जैन भारतीय प्रशासनिक सेवा (भाप्रसे) अधिकारी भी है।
- प्रदेश की 3.92 लाख गैर-अजजा जनसंख्या में 2.87 लाख हिन्दु हैं। यहाँ 60 हजार गैर-अजजा बौद्ध भी हैं। इनमें से अधिकतर चकमा हैं। वे चाँगलाँग और लोहित जिलों में बसे हुए हैं। गैर-अजजा बौद्धों में कुछ नेपाली मूल के भी हैं।

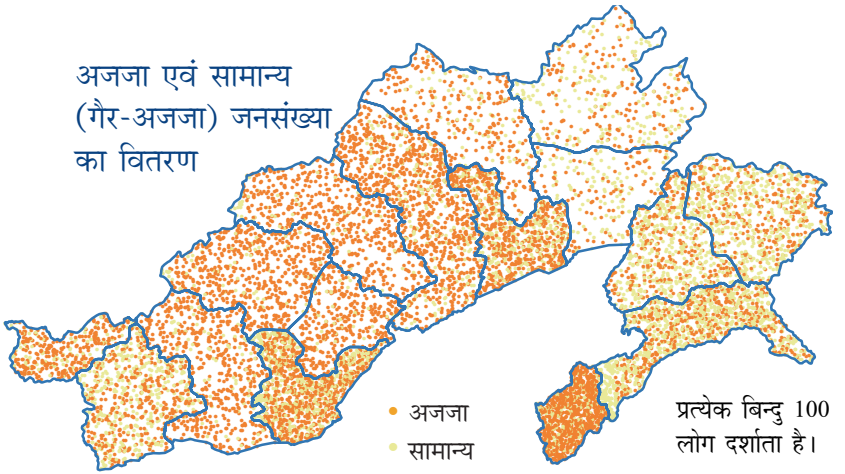

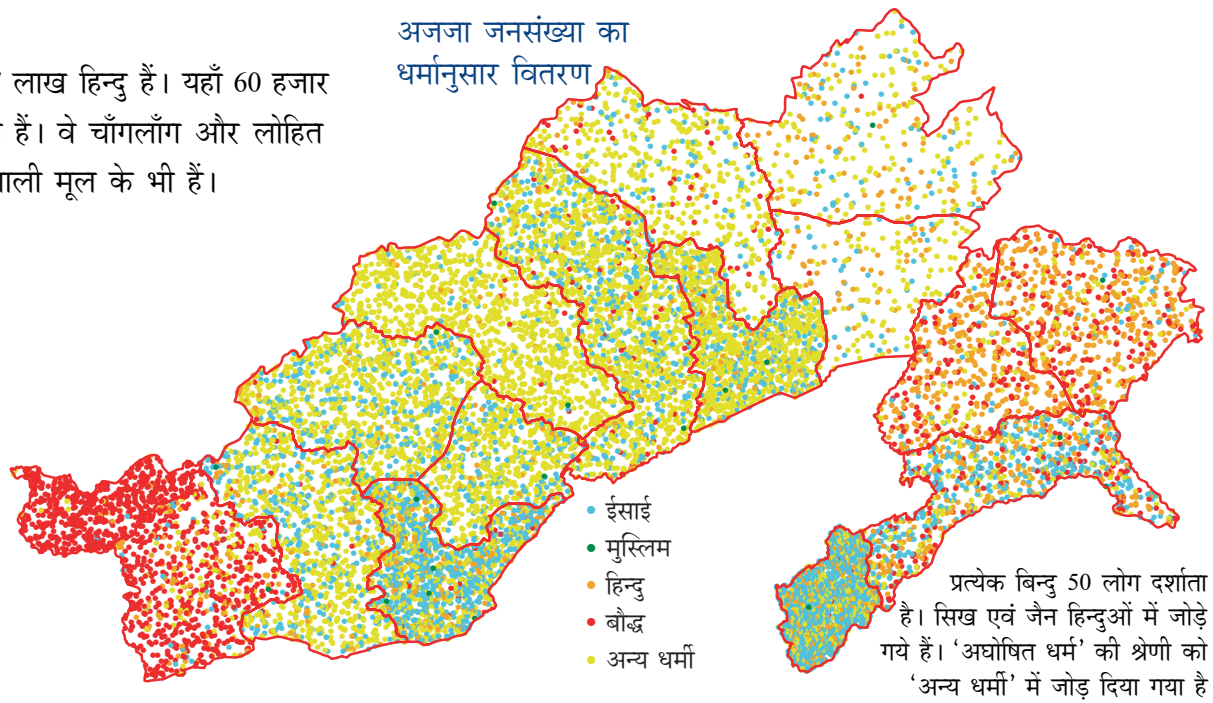

अरुणाचल प्रदेश की धर्मानुसार जनसंख्या

	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	205,548	186,617	18,931
मुस्लिम	20,675	995	19,680
हिन्दु	379,935	92,577	287,358
सिख	1,865	93	1,772
जैन	216	28	188
बौद्ध	143,028	82,634	60,394
अन्य धर्मी	337,399	333,102	4,297
अघोषित धर्म	9,302	9,112	190
कुल	**1,097,968**	**705,158**	**392,810**

अरुणाचल प्रदेश मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

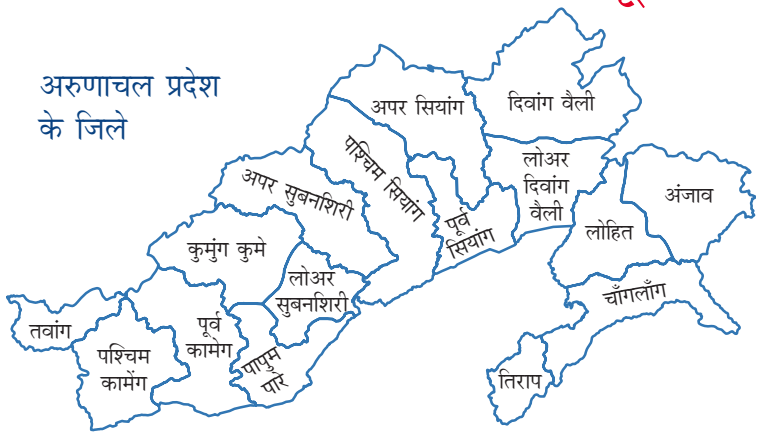

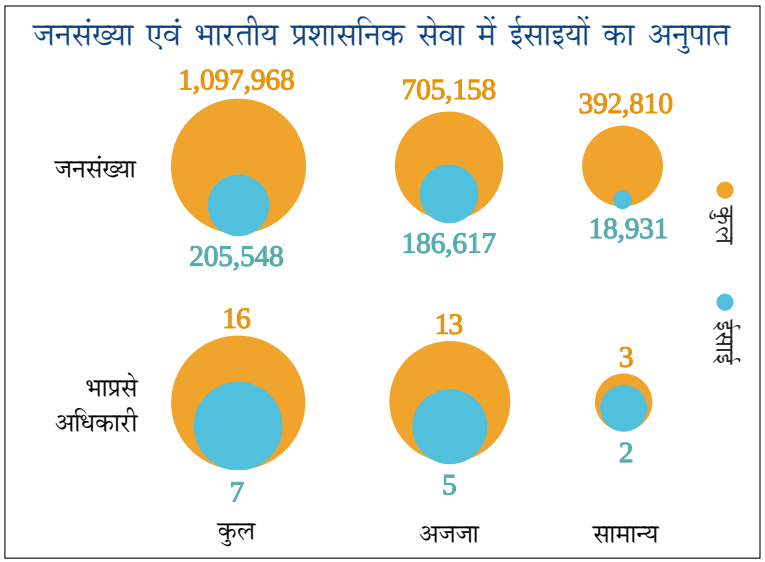

अरुणाचल प्रदेश मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	16	7 (43.8%)	6	0	10	7 (70.0%)
अजजा	13	5 (38.5%)	6	0	7	5 (71.4%)

- जनवरी 1, 2009 तक की भारतीय प्रशासनिक सेवा सूची में अरुणाचल प्रदेश मूल के 16 अधिकारी हैं। इनमें से 7 ईसाई हैं। इस प्रकार अरुणाचल मूल के भाप्रसे अधिकारियों में ईसाइयों का अनुपात 44 प्रतिशत है, यह जनसंख्या में उनके 20 प्रतिशत के अनुपात के दोगुने से भी अधिक है।
- भाप्रसे सूची में अरुणाचल प्रदेश मूल के 16 अधिकारियों में 13 अजजा के हैं। सेवा में अजजा अधिकारियों का प्रतिनिधित्व 81 प्रतिशत है, जो राज्य की जनसंख्या में उनके 61 प्रतिशत के भाग से कहीं अधिक है।
- इन 16 अधिकारियों में से 6 सीधे चुने गये हैं। ये सब 6 अजजा से हैं और इनमें कोई ईसाई नहीं है।
- दूसरी ओर, राज्य सेवा से पदोन्नत 10 अधिकारियों में से 7 ईसाई हैं। पदोन्नत अधिकारियों में 7 अजजा के हैं जिनमें 5 ईसाई हैं। और, 3 गैर-अजजा पदोन्नत अधिकारियों में से 2 ईसाई हैं।

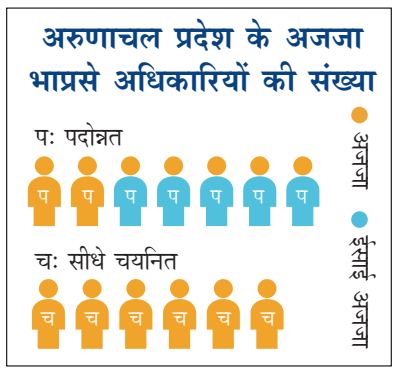

- इस प्रकार नियमित चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों के अपने मूल धर्म में स्थित गैर-ईसाई लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, परंतु प्रादेशिक सेवाओं से पदोन्नत सामान्य एवं अजजा दोनों श्रेणियों के भाप्रसे अधिकारियों में धर्मांतरित ईसाइयों का स्पष्ट आधिक्य है।

नगालैंड: धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- 2001 की जनगणना के अनुसार नगालैंड की जनसंख्या 19.9 लाख है, इनमें से 17.7 लाख अनुसूचित जनजातियों से हैं। इस प्रकार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 89 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है।
- नगालैंड की अनुसूचित जनजातियों में 98.5 प्रतिशत ईसाई हैं।
- अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में लगभग आधे 'अन्य धर्मावलंबी' हैं, परंतु नगालैंड में 6 हजार से भी कम अजजा 'अन्य धर्मावलंबी' हैं। यहाँ की अजजा जनसंख्या में अन्य धर्मावलंबियों का अनुपात मात्र 0.33 प्रतिशत है। 'अन्य धर्मावलंबी' लोग केवल उन कुछ गिनी-चुनी जनजातियों में हैं जिनमें ईसाइयत का प्रसार अपेक्षाकृत कम हुआ है।
- 2001 की जनगणना के अनुसार नगालैंड की अजजा जनसंख्या में मात्र 26.8 हजार गैर-ईसाई हैं। इनमें 17 हजार हिन्दु, 6 हजार 'अन्य धर्मी' और 2 हजार मुस्लिम हैं। राज्य की अजजा जनसंख्या में 424 बौद्ध, एवं कुछ सिख एवं जैन भी हैं।

अजजा एवं सामान्य जनसंख्या का वितरण

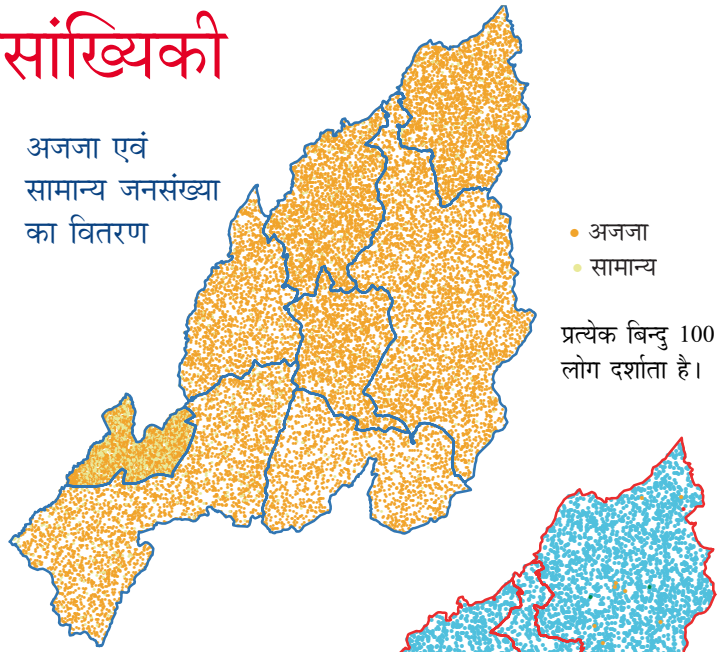

अजजा जनसंख्या का धर्मानुसार वितरण

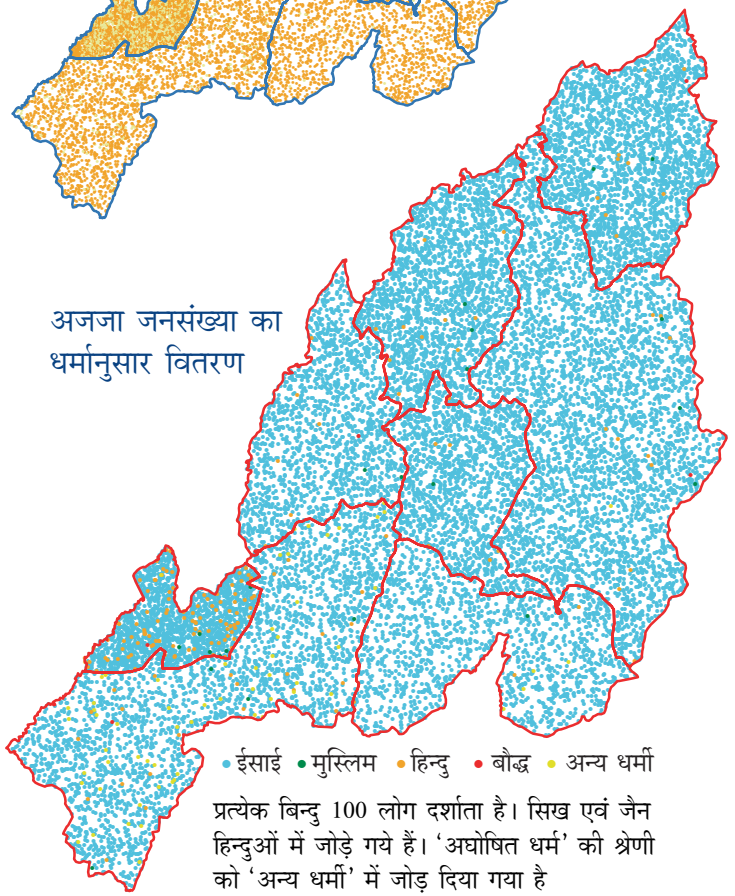

नगालैंड की धर्मानुसार जनसंख्या			
	कुल	**अजजा**	**सामान्य**
ईसाई	1,790,349	1,747,262	43,087
मुस्लिम	35,005	2,127	32,878
हिन्दु	153,162	17,287	135,875
सिख	1,152	273	879
जैन	2,093	90	2,003
बौद्ध	1,356	424	932
अन्य धर्मी	6,108	5,994	114
अघोषित धर्म	811	569	242
कुल	**1,990,036**	**1,774,026**	**216,010**

नगालैंड के जिले

नगालैंड मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

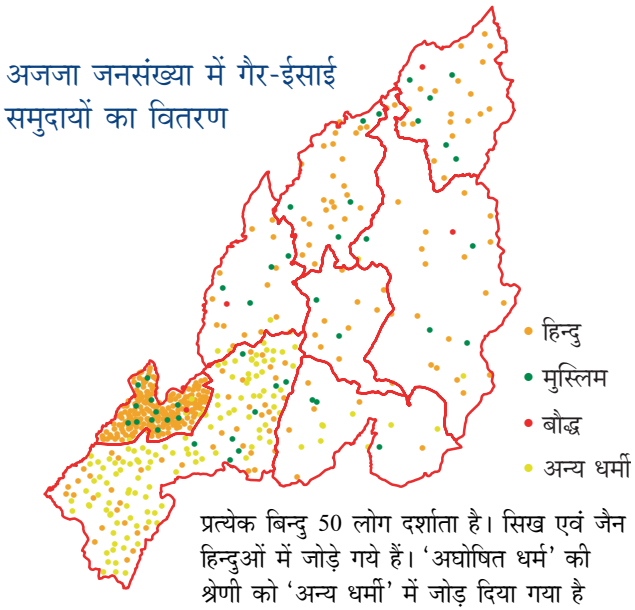

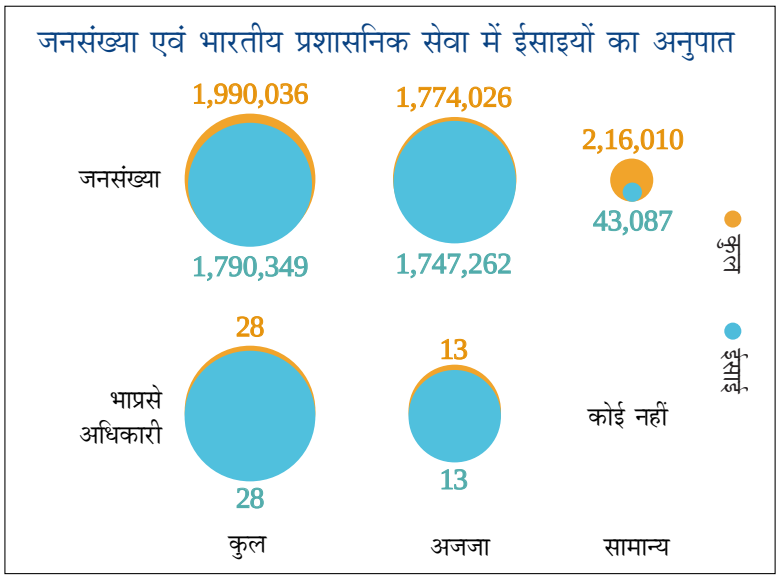

- भाप्रसे सूची में नगालैंड मूल के 28 अधिकारी हैं। वे सब अनुसूचित जनजातियों से हैं और सब ईसाई हैं। इस प्रकार इस प्रमुख केंद्रीय सेवा में जनसंख्या के 10 प्रतिशत से कुछ अधिक गैर-अजजा एवं गैर-ईसाई लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
- नगालैंड मूल के इन 28 अधिकारियों में से 13 सीधे चुन कर आये हैं और 15 प्रादेशिक सेवाओं से पदोन्नत हुए हैं। दोनों वर्गों के सब अधिकारी अजजा के हैं और सभी ईसाई हैं।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के नगालैंड काडर में कुल 52 अधिकारी हैं। इनमें से नगालैंड मूल के 22 हैं और ये सभी ईसाई हैं। इस प्रकार राज्य का प्रशासन चलाने वाले अधिकारियों में भी ईसाइयों का बड़ा भाग है।

नगालैंड मूल के भा. प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	28	28 (100%)	13	13 (100%)	15	15 (100%)
अजजा	28	28 (100%)	13	13 (100%)	15	15 (100%)

मणिपुर: धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- 2001 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या 21.7 लाख है, इनमें 7.4 लाख लोग अनुसूचित जनजातियों से हैं। प्रदेश में अजजा की संख्या कुल जनसंख्या का 35 प्रतिशत है।
- मणिपुर के पर्वतीय जिलों में अनुसूचित जनजातियों का ही प्रभुत्व है। इन जिलों की जनसंख्या का 90 प्रश या अधिक अजजा का है। मणिपुर घाटी के 4 जिलों, बिष्णुपुर, थौबाल, इम्फाल पूर्व एवं इम्फाल पश्चिम में अजजा के कुछ ही लोग हैं। इन जिलों की कुल 14 लाख की जनसंख्या में मात्र 56 हजार अजजा से हैं।
- मणिपुर की अनुसूचित जनजातियों में अब 97 प्रतिशत ईसाई है। गैर-अजजा में ईसाई कम ही हैं। परंतु गैर-अजजा लोगों में 'अन्य धर्मावलम्बियों' का अनुपात बड़ा है। 2.2 लाख गैर-अजजा 'अन्य धर्मावलम्बियों' की श्रेणी में आते हैं। इनमें से अधिकतर 'सनामही' हैं। सनामही मणिपुर के मैतेई लोगों की मूल आस्था का नाम है।

मणिपुर की धर्मानुसार जनसंख्या

	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	837,245	831,328	5,917
मुस्लिम	191,456	4,135	187,321
हिन्दु	1,021,616	7,760	1,013,855
सिख	1,778	108	1,670
जैन	1,471	40	1,431
बौद्ध	2,966	129	2,837
अन्य धर्मी	236,098	12,669	223,429
अघोषित धर्म	1,266	620	645
कुल	**2,293,896**	**856,789**	**1,437,107**

नोट: 2001 की जनगणना में सेनापति जिले के तीन उपखंडों का विवरण नहीं है। यहाँ के आंकड़ों का अनुमान हमने यह मान कर लगाया है कि इस जिले में अजजा का अनुपात वही है जो 1991 में था और जनसंख्या का धर्मानुसार वितरण 2001 की सीमित गणना के अनुरूप ही है।

अजजा एवं सामान्य जनसंख्या का वितरण

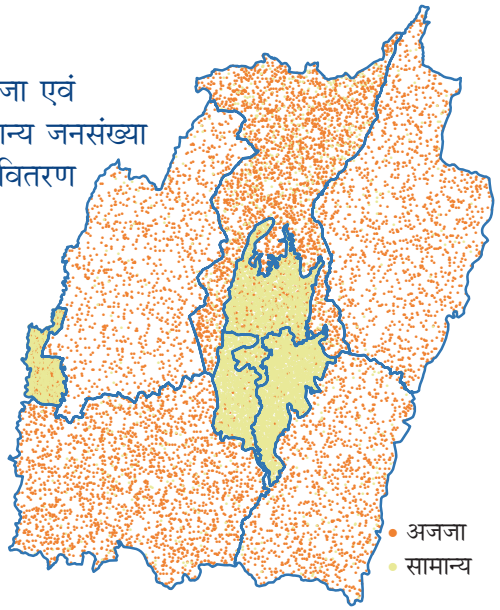

प्रत्येक बिन्दु 100 लोग दर्शाता है।

अजजा जनसंख्या का धर्मानुसार वितरण

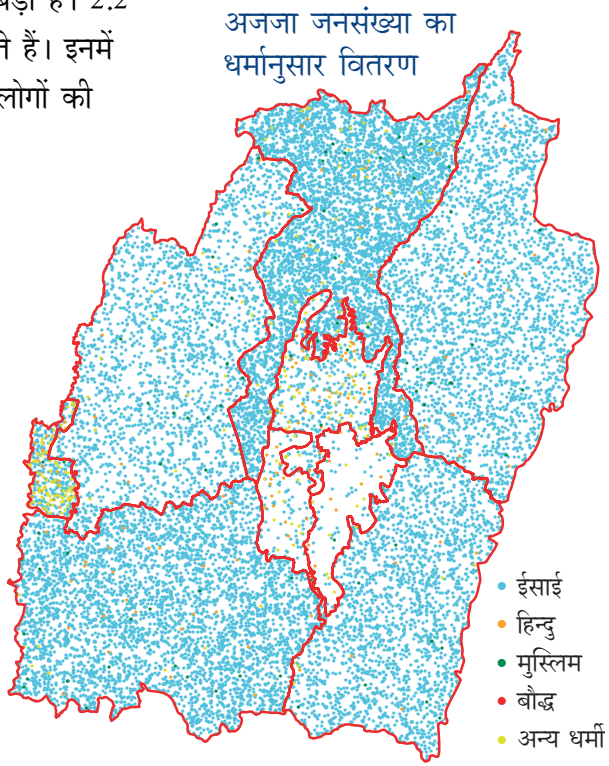

प्रत्येक बिन्दु 50 लोग दर्शाता है। सिख एवं जैन हिन्दुओं में जोड़े गये हैं। 'अघोषित धर्म' की श्रेणी को 'अन्य धर्मी' में जोड़ दिया गया है।

अजजा जनसंख्या में गैर-ईसाई

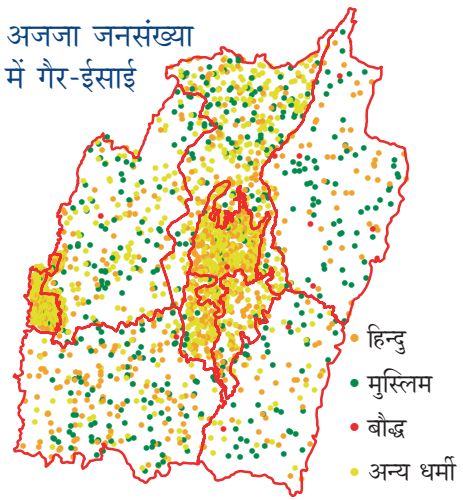

प्रत्येक बिन्दु 10 लोग दर्शाता है। सिख एवं जैन हिन्दुओं में जोड़े गये हैं। 'अघोषित धर्म' की श्रेणी को 'अन्य धर्मी' में जोड़ दिया गया है।

मणिपुर मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

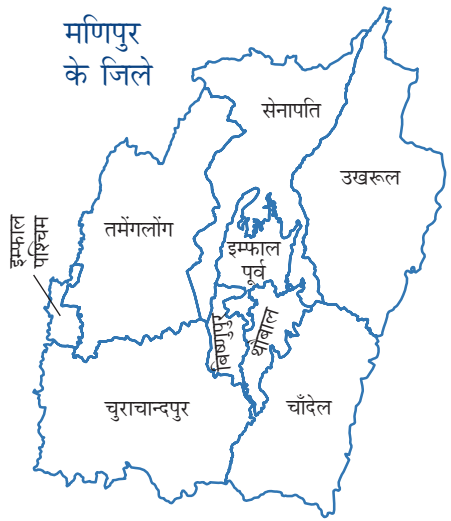

- भारतीय प्रशासनिक सेवा सूची में मणिपुर मूल के 48 अधिकारी हैं। इनमें से 25 अनुसूचित जनजातियों के हैं और वे सब ईसाई हैं। इस प्रकार भाप्रसे में अजजा का 52 प्रतिशत भाग है, यह जनसंख्या में उनके 37 प्रतिशत भाग से कहीं अधिक है। और, अनुसूचित जनजातियों में से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए सभी अधिकारी धर्मांतरित ईसाई हैं।
- मणिपुर मूल के 48 अधिकारियों में से 22 नियमित परीक्षा से सीधे चुने गये हैं और 26 प्रादेशिक सेवाओं से पदोन्नत हैं। 22 सीधे चयनित अधिकारियों में से 17 अजजा मूल के ईसाई हैं, 26 पदोन्नत अधिकारियों में 8 अजजा मूल के ईसाई हैं। इस प्रकार अजजा से पदोन्नत अधिकारियों का अनुपात जनसंख्या में अजजा के अनुपात के अनुसार ही है, परन्तु सीधे चयनित अधिकारियों में अजजा का अनुपात जनसंख्या में उनके अनुपात से कहीं अधिक है।
- गैर-अजजा (सामान्य) वर्ग के पदोन्नत 18 अधिकारियों में 2 मुस्लिम भी हैं।

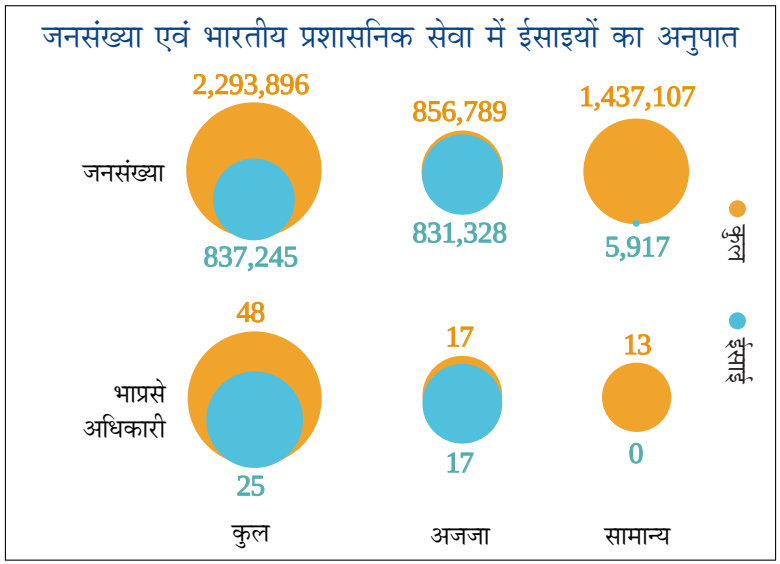

मणिपुर मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	48	25 (52%)	22	17 (77%)	26	8 (31%)
अजजा	25	25 (100%)	17	17 (100%)	8	8 (100%)

मिजोरमः धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- 2001 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या 8.9 लाख है, इनमें 8.4 लाख अनुसूचित जनजातियों से हैं। प्रदेश में गैर-अजजा के 50 हजार से भी कम लोग हैं। जनसंख्या में सामान्य वर्ग का अनुपात मात्र 5.5 प्रतिशत है।
- राज्य में अजजा के 8.4 लाख लोगों में से 7.6 लाख ईसाई हैं। अजजा जनसंख्या का 90.5 प्रतिशत ईसाई है।
- अजजा के शेष 80 हजार लोगों में से 70 हजार बौद्ध हैं, 1991 में बौद्धों की संख्या 52 हजार थी। मिजोरम के बौद्ध मुख्यतः लोंगत्लाई और लुंगलेई इन दो जिलों में बसे हैं। लोंगत्लाई में 38 हजार और लुंगलेई में 22 हजार बौद्ध हैं। प्रायः एक हजार लुशाइयों को छोड़ कर मिजोरम के लगभग सभी बौद्ध चकमा हैं।
- अजजा में कुल साढ़े सात हजार हिन्दु और 'अन्य धर्मावलम्बी' हैं। पर प्रदेश में अजजा के 1,826 मुस्लिम भी हैं, और 77 सिख व 156 जैन हैं।
- प्रदेश में गैर-अजजा के कुल 49 हजार लोग हैं और उनमें एक चौथाई ईसाई हैं। इनके अतिरिक्त 54 प्रतिशत हिन्दु और लगभग 17 प्रतिशत मुस्लिम हैं।

मिजोरम के जिले

अजजा एवं सामान्य जनसंख्या का वितरण

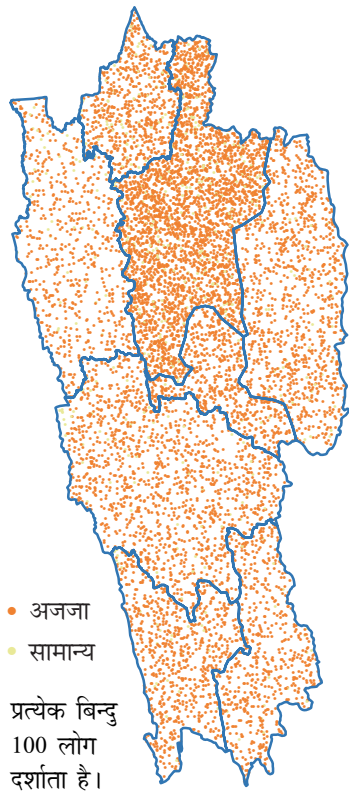

प्रत्येक बिन्दु 100 लोग दर्शाता है।

अजजा जनसंख्या का धर्मानुसार वितरण

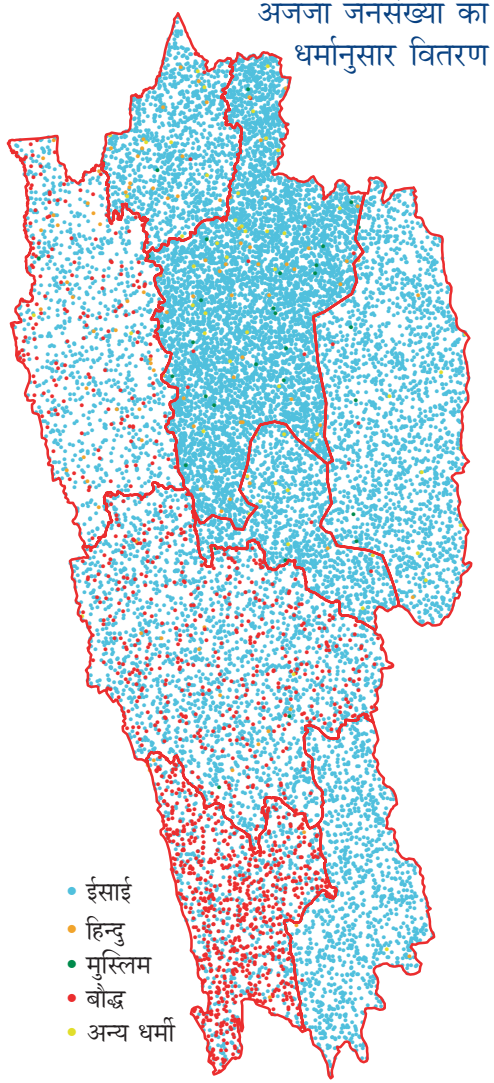

प्रत्येक बिन्दु 50 लोग दर्शाता है। सिख एवं जैन हिन्दुओं में जोड़े गये हैं। 'अघोषित धर्म' की श्रेणी को 'अन्य धर्मी' में जोड़ दिया गया है।

मिजोरम की धर्मानुसार जनसंख्या

	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	772,809	759,782	13,027
मुस्लिम	10,099	1,826	8,273
हिन्दु	31,562	5,114	26,448
सिख	326	77	249
जैन	179	156	23
बौद्ध	70,494	69,441	1,053
अन्य धर्मी	2,443	2,368	75
अघोषित धर्म	661	546	115
कुल	**888,573**	**839,310**	**49,263**

मिजोरम मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

- जनवरी 1, 2009 तक की भारतीय प्रशासनिक सेवा सूची में मिजोरम मूल के 20 अधिकारी हैं। नगालैंड के ही समान ये सभी 20 अनुसूचित जनजातीय मूल के ईसाई हैं।
- इन 20 अधिकारियों में 15 सीधे चुने हुए हैं और 5 पदोन्नत हैं। दोनों वर्गों के सभी अधिकारी अजजा मूल के ईसाई हैं। सीधे चुने गये अधिकारियों की संख्या इतनी अधिक होना अपने आप में विशेष है। अन्य प्रदेशों में पदोन्नत अजजा अधिकारियों की संख्या सीधे चुने गये अजजा अधिकारियों से अधिक है।
- राज्य के 8 प्रतिशत बौद्ध लोगों का भाप्रसे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मिजोरम के अजजा बौद्धों में से कोई न तो भाप्रसे में सीधा चुना गया है और न ही प्रादेशिक सेवा से पदोन्नत हुआ है।

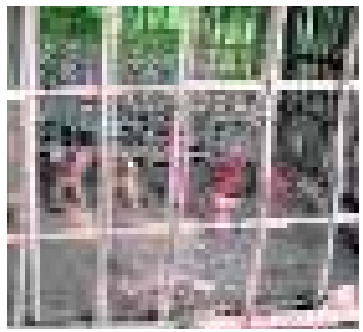

अजजा जनसंख्या में गैर-ईसाई धार्मिक समुदायों का वितरण

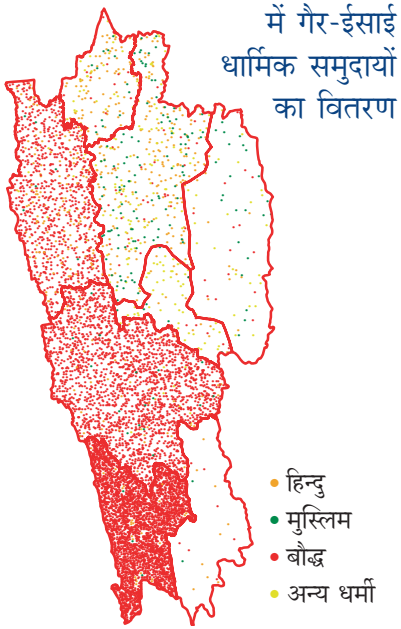

प्रत्येक बिन्दु 10 लोग दर्शाता है। सिख एवं जैन हिन्दुओं में जोड़े गये हैं। 'अघोषित धर्म' की श्रेणी को 'अन्य धर्मी' में जोड़ दिया गया है।

जनसंख्या एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा में ईसाइयों का अनुपात

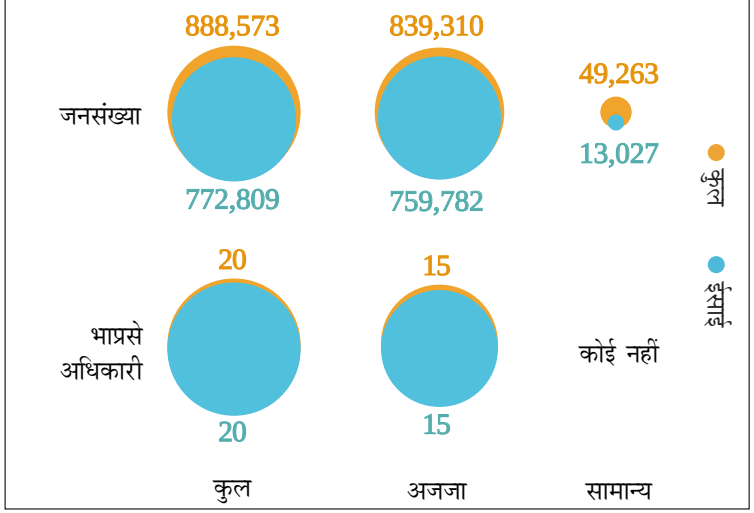

मिजोरम मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	20	20 (100%)	15	15 (100%)	5	5 (100%)
अजजा	20	20 (100%)	15	15 (100%)	5	5 (100%)

मेघालय: धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- 2001 की जनगणना के अनुसार मेघालय की जनसंख्या 23.2 लाख है, इनमें से 20 लाख लोग अजजा के हैं। राज्य में लगभग 3.25 लाख लोग सामान्य वर्ग के हैं। जनसंख्या में सामान्य वर्ग का अनुपात 14 प्रतिशत है।
- मेघालय की अनुसूचित जनजातियों में ईसाइयत का प्रसार अभी वैसा सर्व-व्यापक नहीं जैसा मणिपुर, नगालैंड और मिजोरम में है। पर पिछले कुछ दशकों से अजजा में ईसाइयों का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है। अब प्रदेश के 20 लाख अजजा लोगों में से 16 लाख ईसाई हैं। यह अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत बनता है।
- लगभग 4 लाख गैर-ईसाई अजजा लोगों में दो-तिहाई 'अन्य धर्मावलम्बी' हैं और केवल एक तिहाई हिन्दु हैं। राज्य के 2.63 लाख 'अन्य धर्मावलम्बियों' में 1.2 लाख खासी धर्म को मानते हैं, 0.8 लाख नियामत्रे और 0.5 लाख सोंगसरेक संप्रदाय के हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तरपूर्व के राज्यों में केवल अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में ही 'अन्य धर्मावलम्बियों' की बड़ी संख्या पायी जाती है। इन्हीं दो राज्यों में अजजा का ईसाईकरण अभी अधूरा है।
- सामान्य (गैर-अजजा) लोगों में एक-चौथाई मुस्लिम हैं।

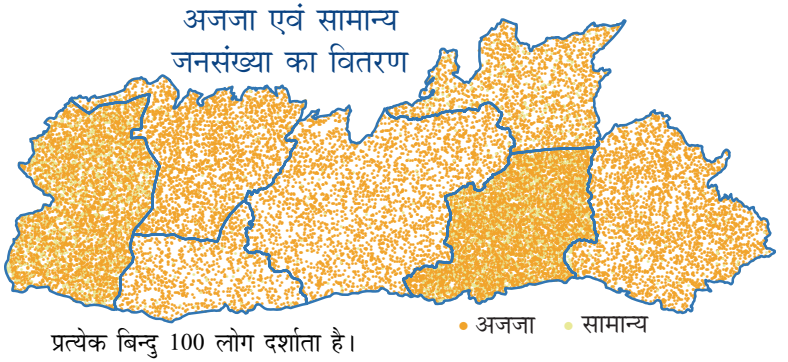

प्रत्येक बिन्दु 100 लोग दर्शाता है।

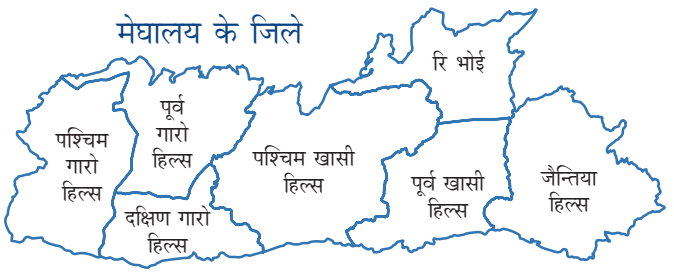

मेघालय की धर्मानुसार जनसंख्या			
	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	1,628,986	1,589,491	39,495
मुस्लिम	99,169	13,105	86,064
हिन्दु	307,822	118,011	189,811
सिख	3,110	333	2,777
जैन	772	339	433
बौद्ध	4,703	2,249	2,454
अन्य धर्मी	267,245	263,010	4,235
अघोषित धर्म	7,015	6,324	691
कुल	**2,318,822**	**1,992,862**	**325,960**

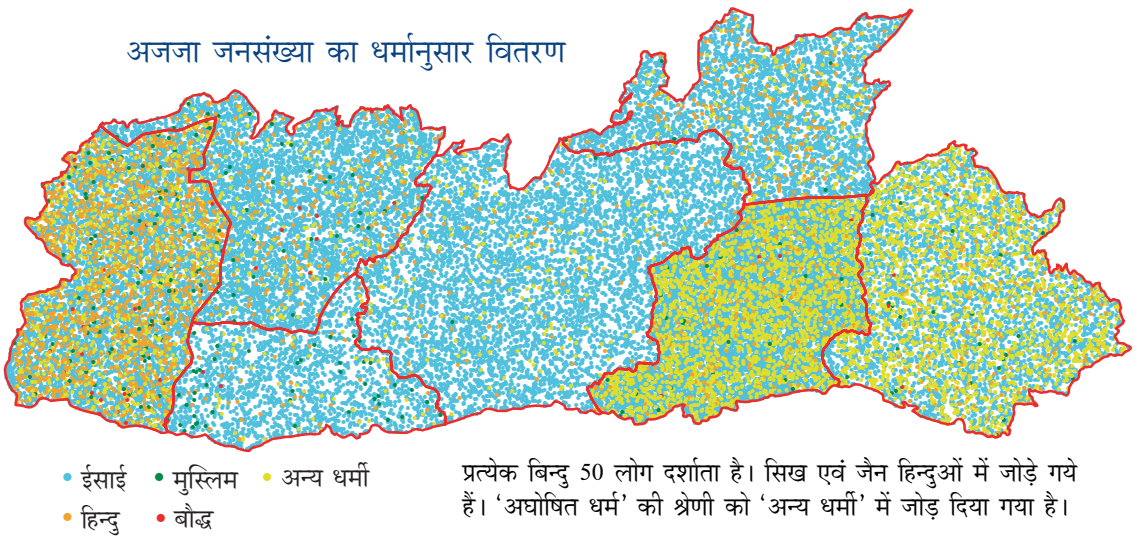

प्रत्येक बिन्दु 50 लोग दर्शाता है। सिख एवं जैन हिन्दुओं में जोड़े गये हैं। 'अघोषित धर्म' की श्रेणी को 'अन्य धर्मी' में जोड़ दिया गया है।

मेघालय मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

अजजा जनसंख्या में गैर-ईसाई समुदायों का वितरण

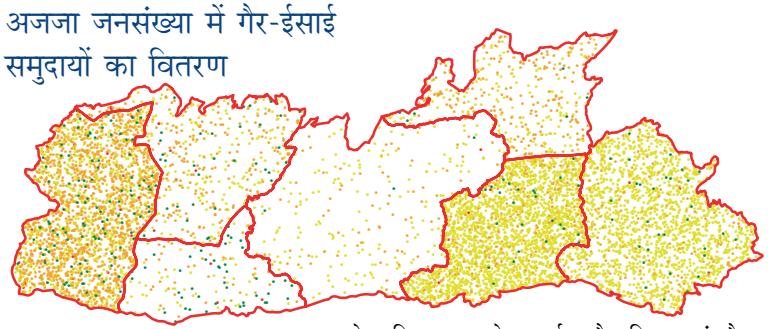

• हिन्दु • मुस्लिम
• बौद्ध • अन्य धर्मी

प्रत्येक बिन्दु 50 लोग दर्शाता है। सिख एवं जैन हिन्दुओं में जोड़े गये हैं। 'अघोषित धर्म' की श्रेणी को 'अन्य धर्मी' में जोड़ दिया गया है।

जनसंख्या एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा में ईसाइयों का अनुपात

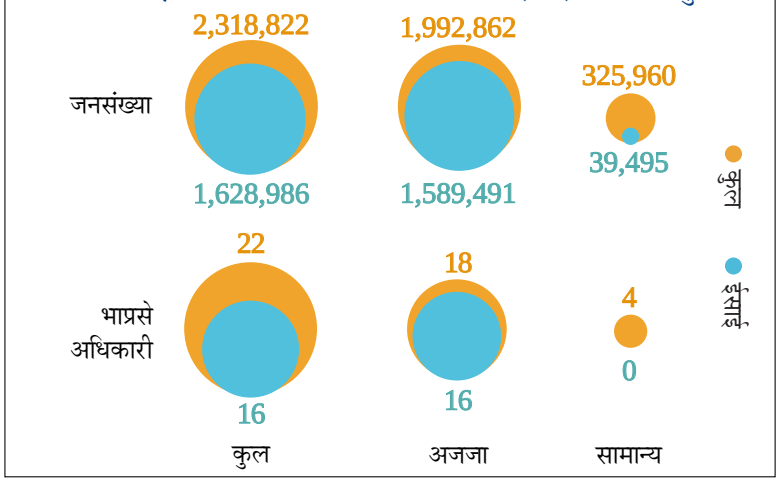

- जनवरी 1, 2009 तक की भाप्रसे सूची में मेघालय मूल के 22 अधिकारी हैं। इनमें से 18 अजजा के हैं। भाप्रसे अधिकारियों में अजजा का 82 प्रतिशत भाग है, यह राज्य की जनसंख्या में उनके 86 प्रतिशत के भाग से कुछ ही कम है।
- भाप्रसे के 18 अजजा अधिकारियों में से 16 ईसाई हैं। इस प्रकार अजजा अधिकारियों में ईसाइयों का अनुपात जनसंख्या में उनके अनुपात की तुलना में कुछ बेहतर ही है।
- मेघालय मूल के 22 भाप्रसे अधिकारियों में से 17 सीधे चुने गये हैं एवं 5 प्रादेशिक सेवाओं से पदोन्नत हुए हैं। सीधे चुने गये अधिकारियों में 14 अजजा के हैं, इनमें से 12 ईसाई हैं। पदोन्नत 5 अधिकारियों में से 4 अजजा के हैं और वे सभी ईसाई हैं।
- इस प्रकार केवल 2 अजजा अधिकारी गैर-ईसाई हैं और ये दोनों नियमित चयन प्रक्रिया से सीधे चुन कर आये हैं।

मेघालय के अजजा भाप्रसे अधिकारी

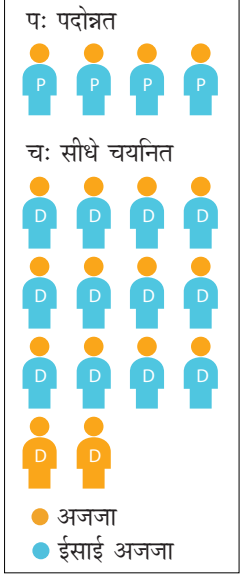

मेघालय मूल के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	22	16 (73%)	17	12 (71%)	5	4 (80%)
अजजा	18	16 (89%)	14	12 (86%)	4	4 (100%)

त्रिपुराः धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- 2001 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की जनसंख्या 32 लाख है। इनमें से 9.9 लाख अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। राज्य की जनसंख्या का 31 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों से है।
- उत्तरपूर्व के अन्य राज्यों के विपरीत त्रिपुरा और असम की अनुसूचित जनजातियों में ईसाईयत का प्रसार अभी सीमित ही है। त्रिपुरा की 10 लाख अजजा जनसंख्या में केवल 1 लाख ईसाई हैं। इतना ईसाईकरण भी हाल ही में हुआ है। 1991 में राज्य की 8.5 लाख अजजा जनसंख्या में केवल 42 हजार ईसाई थे।
- ईसाइयों का अनुपात लुशाई, गारो, जमातिया, कुकी, हलाम और रियांग जैसे छोटे जनजाति समूहों में अपेक्षाकृत अधिक है। 'त्रिपुरा आदि' समूह की त्रिपुरा, त्रिपुरी, टीपरा आदि प्रमुख जनजातियों में 5 प्रतिशत से भी कम ईसाई हैं। राज्य की अजजा जनसंख्या का आधे से अधिक भाग इन जनजातियों का है।
- त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों में लगभग 95 हजार बौद्ध हैं, इनमें से 62 हजार चकमा और 29 हजार मग हैं।
- अनुसूचित जनजातियों में 2.4 हजार मुस्लिम हैं। पर राज्य की सामान्य (गैर-अजजा) जनसंख्या का 10 प्रतिशत भाग मुस्लिम है।

त्रिपुरा की धर्मानुसार जनसंख्या			
	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	102,489	98,971	3,518
मुस्लिम	254,442	2,356	252,086
हिन्दु	2,739,310	796,020	1,943,290
सिख	1,182	43	1,139
जैन	477	112	365
बौद्ध	98,922	94,980	3,942
अन्य धर्मी	1,277	713	564
अघोषित धर्म	1,104	231	873
कुल	**3,199,203**	**993,426**	**2,205,777**

अजजा एवं सामान्य जनसंख्या का वितरण

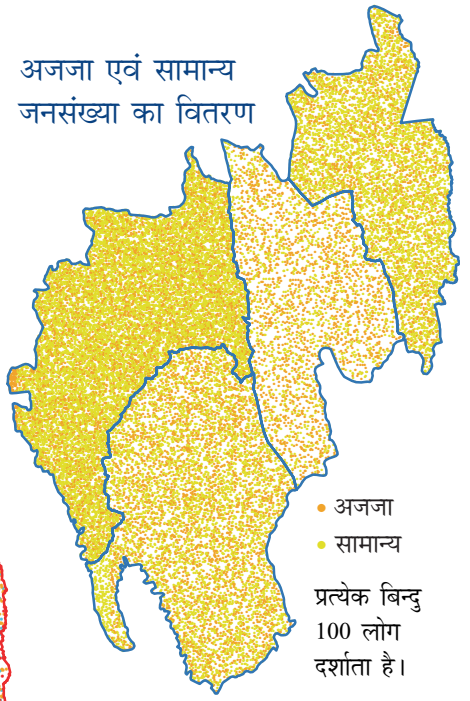

अजजा जनसंख्या का धर्मानुसार वितरण

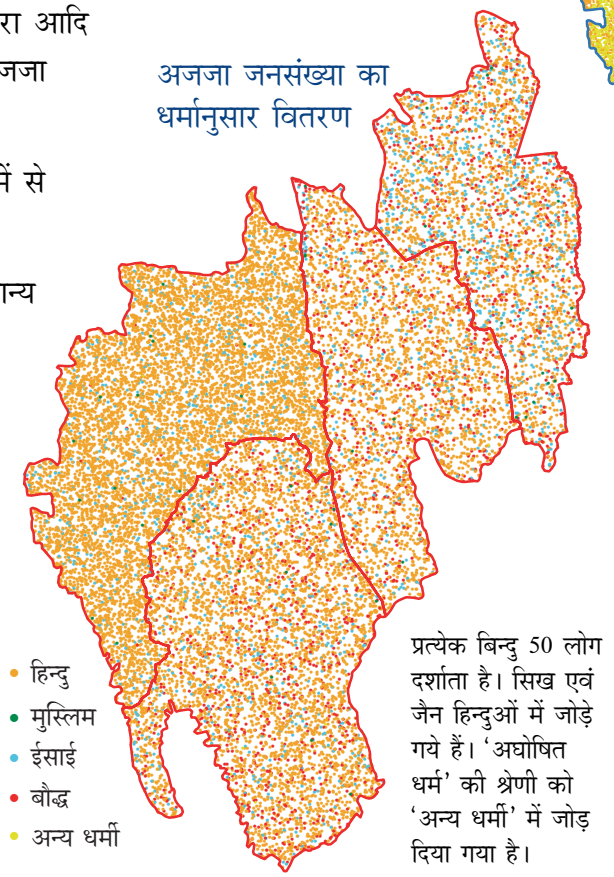

त्रिपुरा के जिले

त्रिपुरा मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

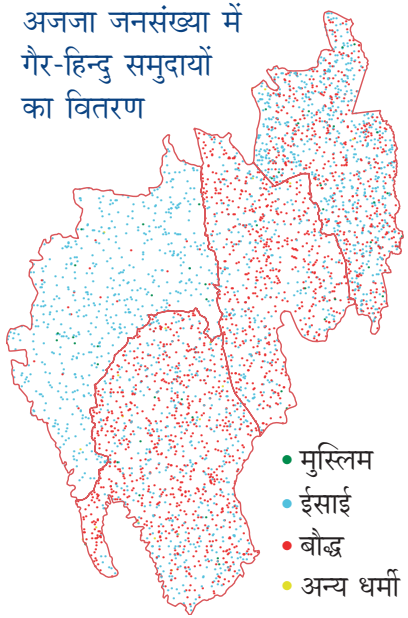

प्रत्येक बिन्दु 50 लोग दर्शाता है।

- भारतीय प्रशासनिक सेवा सूची में त्रिपुरा मूल के 21 अधिकारी हैं। इनमें से 7 अजजा के हैं। त्रिपुरा मूल के अधिकारियों में अजजा का एक-तिहाई भाग है जो राज्य की जनसंख्या में उनके भाग के समान है।
- अजजा के 7 भाप्रसे अधिकारियों में 2 ईसाई हैं। अजजा अधिकारियों में ईसाइयों का भाग अजजा जनसंख्या में उनके 10 प्रतिशत के भाग का तीन गुना है।
- त्रिपुरा मूल के 21 अधिकारियों में से केवल 3 नियमित चयन प्रक्रिया से आये हैं। ये तीनों सीधे चुने गये अधिकारी अनुसूचित जनजातियों से हैं और इनमें कोई ईसाई नहीं है।
- राज्य सेवा से पदोन्नत 18 अधिकारियों में 4 अजजा से हैं और इनमें 2 ईसाई हैं।
- त्रिपुरा मूल के अधिकारियों की संख्या उत्तरपूर्व के अन्य राज्यों की तुलना में स्पष्टतः कम है। लगता है कि उत्तरपूर्व के जिन राज्यों में ईसाइयों का अनुपात अधिक है उन राज्यों से वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में कहीं अधिक भाप्रसे अधिकारी आते हैं। इस विषय पर हम आगे और चर्चा करेंगे।

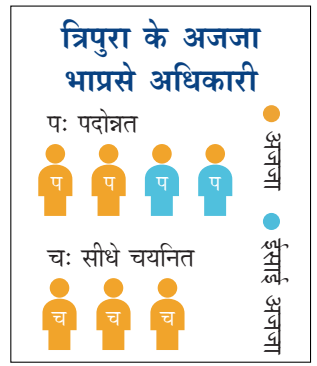

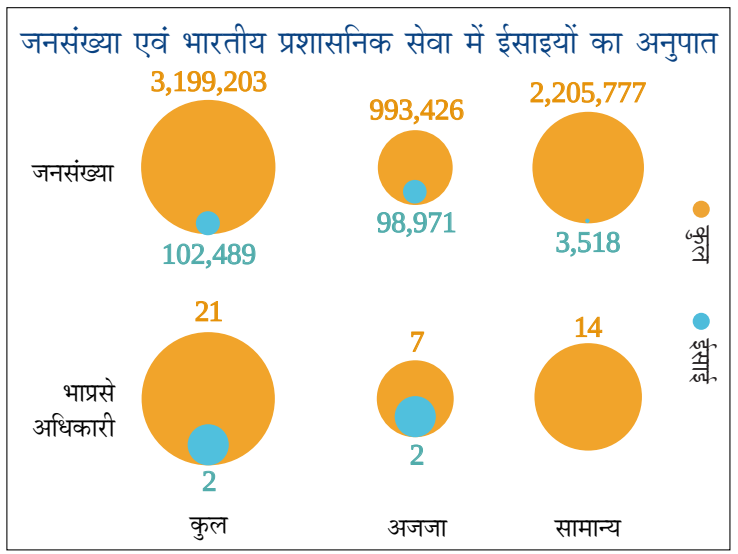

त्रिपुरा मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	21	2 (9.5%)	3	0	18	2 (11%)
अजजा	7	2 (29%)	3	0	4	2 (50%)

असमः धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- असम की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का केवल 12 प्रतिशत भाग है। परन्तु उनकी कुल संख्या 33 लाख है जो उत्तरपूर्व में अजजा की कुल जनसंख्या का प्रायः एक-तिहाई है।
- त्रिपुरा के समान असम की अनुसूचित जनजातियों में भी ईसाइयत का प्रसार सीमित ही है। राज्य की 33 लाख की अजजा जनसंख्या में ईसाई लगभग 3 लाख हैं। 1991 में असम के लगभग 29 लाख अनुसूचित जनजातियों के लोगों में लगभग 2 लाख ईसाई थे।
- असम में गारो, खासी, कुकी, ह्मार और नगा आदि पड़ोसी राज्यों की प्रमुख जनजातियों के लोग कम संख्या में हैं, ये सब ईसाई-बहुल हैं। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति बोड़ो है, इनमें 9 प्रतिशत ईसाई हैं। मिकिर भी राज्य की अपेक्षाकृत बड़ी जनजातियों में हैं, उनमें 15 प्रतिशत ईसाई हैं। मिरि, राभा, कछारी, लालुंग और डिमासा जैसी अन्य बड़ी जनजातियों में शायद ही कोई ईसाई मिले।
- राज्य की 33 लाख अजजा जनसंख्या में 30 लाख हिन्दु हैं और शेष तीन लाख प्रायः सब ईसाई हैं। असम की जनजातियों में बौद्ध, सिख, जैन अथवा 'अन्य धर्मावलंबियों' की संख्या अल्प ही है।
- असम की सामान्य गैर-अजजा जनसंख्या में 7 लाख ईसाई हैं और 82 लाख मुस्लिम। असम में मुस्लिम सामान्य जनसंख्या का 35 प्रतिशत हैं।

असम की धर्मानुसार जनसंख्या			
	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	986,589	290,614	695,975
मुस्लिम	8,240,611	6,267	8,234,344
हिन्दु	17,296,455	3,001,799	14,294,656
सिख	22,519	188	22,331
जैन	23,957	107	23,850
बौद्ध	51,029	5,153	45,876
अन्य धर्मी	22,999	3,574	19,425
अघोषित धर्म	11,369	868	10,501
कुल	**26,655,528**	**3,308,570**	**23,346,958**

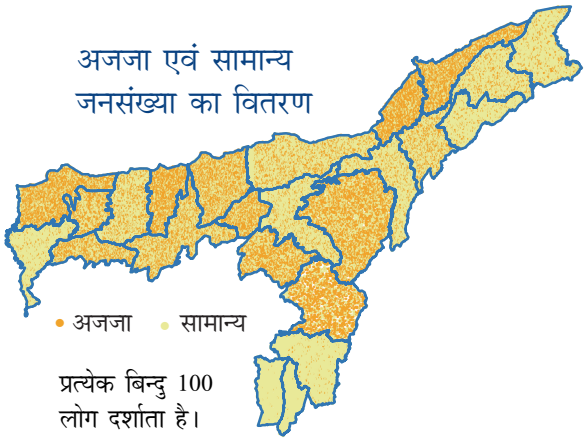

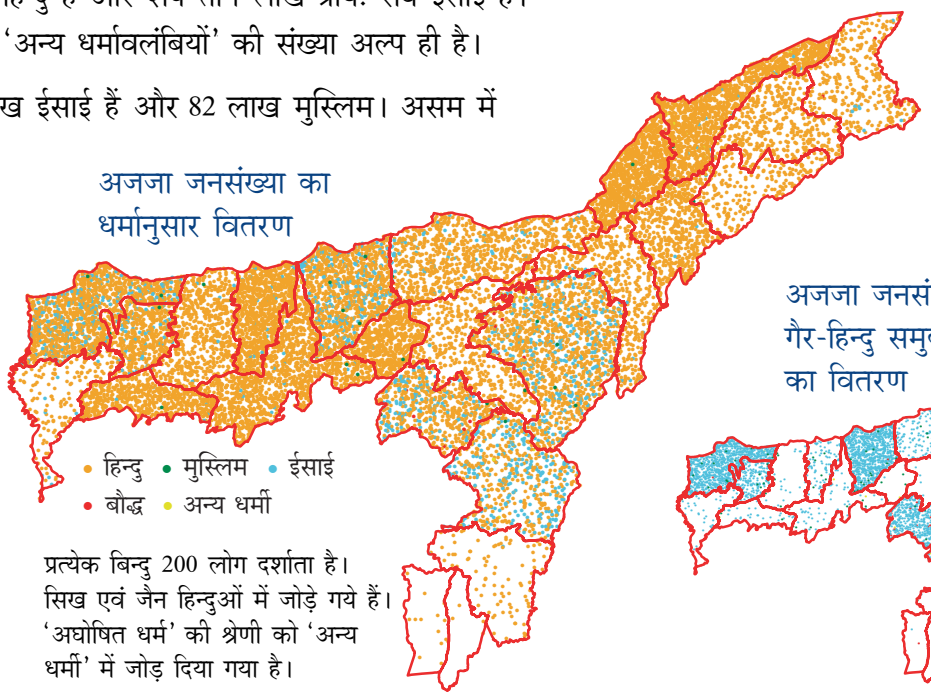

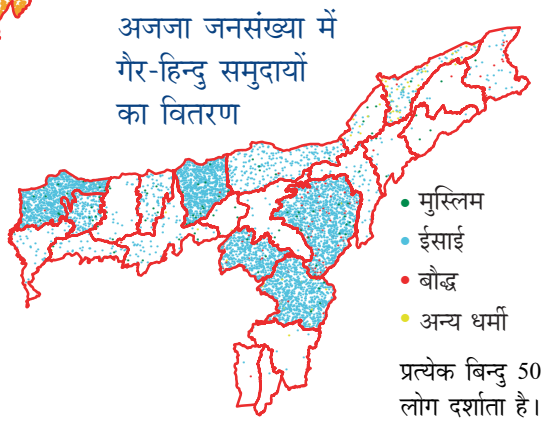

असम मूल के भाप्रसे अधिकारी

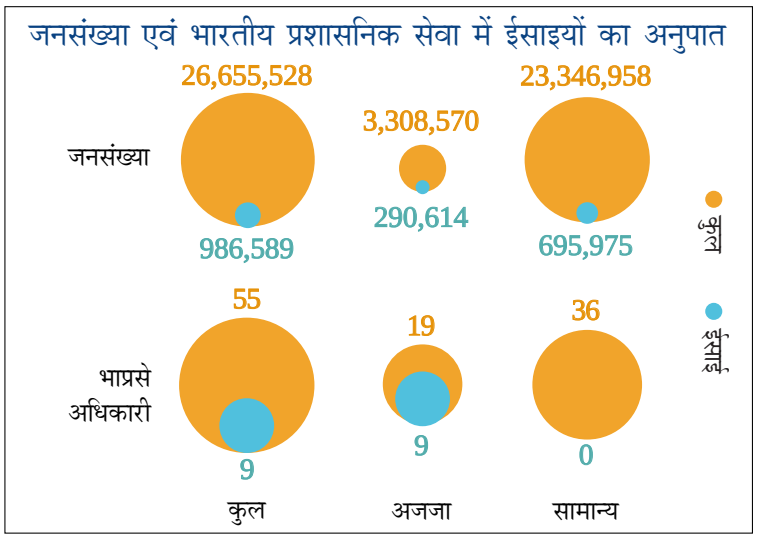

असम मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या						
	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	55	9 (16%)	20	0	35	9 (26%)
अजजा	19	9 (47%)	7	0	12	9 (75%)

- भारतीय प्रशासनिक सेवा सूची में असम मूल के 55 अधिकारी हैं। इनमें से 19 अजजा के हैं। असम मूल के अधिकारियों में अनुसूचित जनजातियों का 35 प्रतिशत भाग है, जो राज्य की जनसंख्या में उनके अनुपात की तुलना में तीन गुना है।
- अनुसूचित जनजातियों के 19 अधिकारियों में 9 ईसाई हैं। वे अजजा अधिकारियों का 47 प्रतिशत बनते हैं, यह अजजा की जनसंख्या में ईसाइयों के अनुपात की तुलना में पांच गुना है।
- असम मूल के 55 अधिकारियों में से 20 सीधे चुने गये हैं। इनमें 7 अनुसूचित जनजातियों से हैं और इनमें कोई ईसाई नहीं है।
- प्रादेशिक सेवा से पदोन्नत 35 अधिकारियों में 12 अनुसूचित जनजातियों से हैं, इनमें 9 ईसाई हैं। अजजा मूल के पदोन्नत अधिकारियों में ईसाइयों का भाग असामान्य रूप से अधिक है।
- जनसंख्या के अनुपात में त्रिपुरा के समान असम मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या भी उत्तरपूर्व के अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। इस अर्थ में असम व त्रिपुरा की स्थिति मध्य भारत के उन राज्यों जैसी ही है, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे।

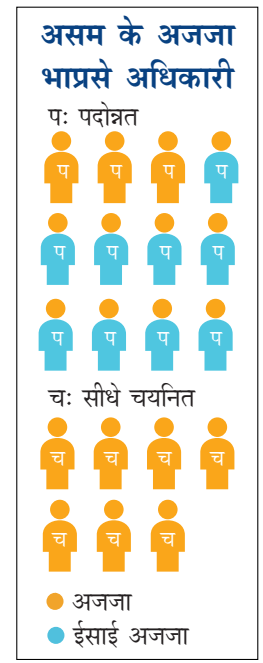

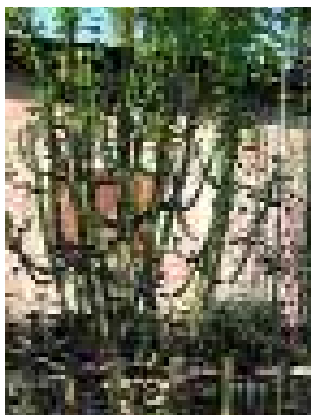

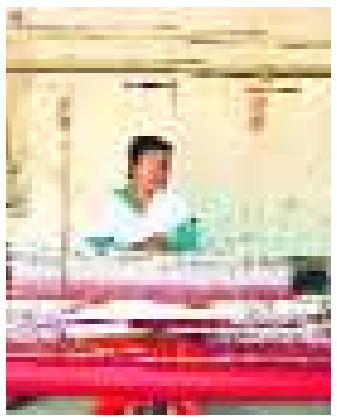

उत्तरपूर्व की धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- उत्तरपूर्व के 7 राज्यों की कुल जनसंख्या 384 लाख है। इनमें लगभग 105 लाख लोग अनुसूचित जनजातियों से हैं। अजजा की संख्या इस क्षेत्र की जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत बनती है। यदि असम को छोड़ दिया जाये, तो शेष 6 राज्यों की जनसंख्या में अजजा का अनुपात 61 प्रतिशत तक पहुँच जाता है।
- उत्तरपूर्व के 105 लाख अजजा लोगों में 55 लाख ईसाई हैं। क्षेत्र की अजजा जनसंख्या का 53 प्रतिशत ईसाई हो गये हैं। असम को छोड़ कर शेष 6 राज्यों की अजजा जनसंख्या में ईसाइयों का अनुपात 73 प्रतिशत बैठता है।

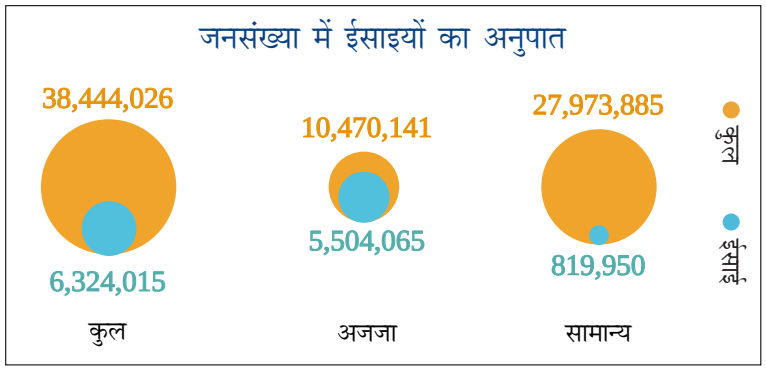

उत्तरपूर्व (असम सहित) की धर्मानुसार जनसंख्या			
	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	6,324,015	5,504,065	819,950
मुस्लिम	8,851,457	30,811	8,820,646
हिन्दु	21,929,862	4,038,568	17,891,293
सिख	31,932	1,115	30,817
जैन	29,165	872	28,293
बौद्ध	372,498	255,010	117,488
अन्य धर्मी	873,569	621,430	252,139
अघोषित धर्म	31,528	18,270	13,257
कुल	**38,444,026**	**10,470,141**	**27,973,885**

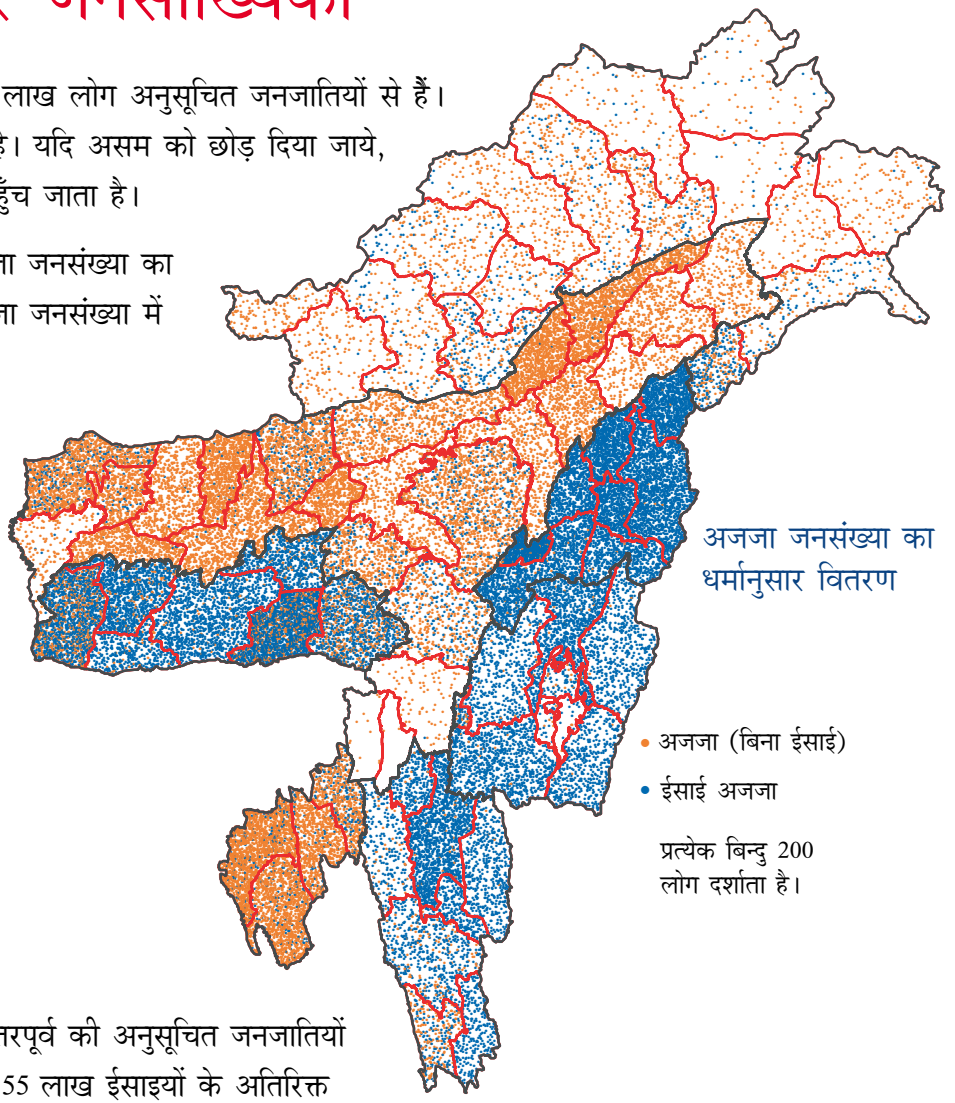

- उत्तरपूर्व की अनुसूचित जनजातियों में 55 लाख ईसाइयों के अतिरिक्त 40.4 लाख हिन्दु हैं। इन में से 38 लाख असम और त्रिपुरा में हैं। क्षेत्र के शेष पांच राज्यों में मात्र 2.4 लाख हिन्दु हैं। इनमें से 1.2 लाख मेघालय और 0.92 लाख अरुणाचल प्रदेश में हैं। नगालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों में थोड़े ही हिन्दु बचे हैं।

उत्तरपूर्व की धर्मानुसार जनसांख्यिकी

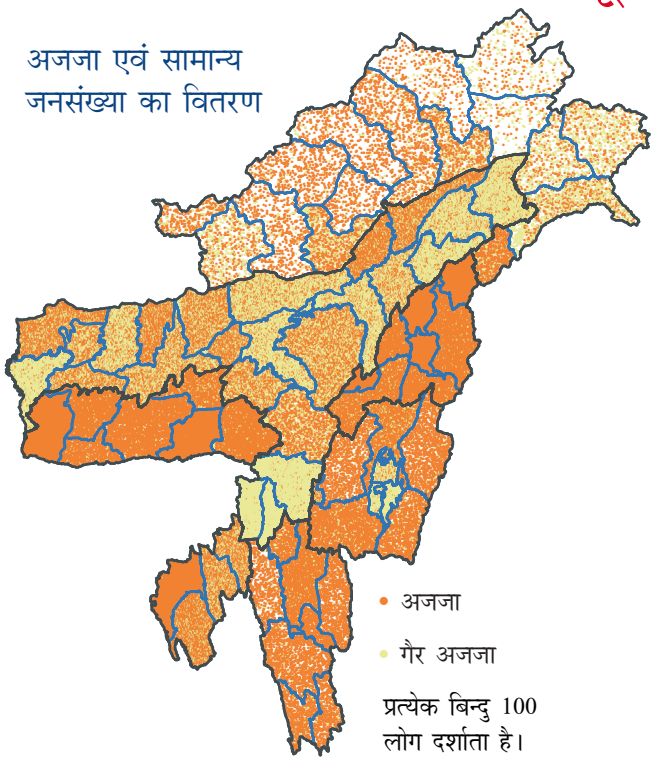

- इस क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों में 6.2 लाख 'अन्य धर्मावलंबी' भी हैं। इनमें से 3.3 लाख अरुणाचल प्रदेश एवं 2.6 लाख मेघालय में हैं। इन दो राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का तेजी से ईसाईकरण हो रहा है, परन्तु यह प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। उत्तरपूर्व के अन्य राज्यों की अनुसूचित जनजातियों में 'अन्य धर्मावलंबी' थोड़े ही हैं।
- क्षेत्र की अजजा जनसंख्या में 2.6 लाख के आसपास बौद्ध हैं। इनमें 95 हजार त्रिपुरा, 83 हजार अरुणाचल प्रदेश व 69 हजार मिजोरम में हैं। इस प्रकार उत्तरपूर्व के कुल 2.6 लाख अजजा बौद्धों में से 2.5 लाख इन तीन राज्यों में हैं।
- अजजा में 24.5 हजार मुस्लिम हैं। सब राज्यों में कुछ अजजा सिख व जैन हैं।
- उत्तरपूर्व की गैर-अजजा (सामान्य) जनसंख्या में 3 प्रतिशत से भी कम ईसाई हैं। गैर-अजजा के 280 लाख लोगों में मात्र 8 लाख ईसाई हैं। पर सामान्य जनसंख्या में 88 लाख मुस्लिम हैं, इनमें से 82 लाख असम में हैं। शेष उत्तरपूर्व में 6 लाख से कम मुस्लिम हैं।
- उत्तरपूर्व की सामान्य जनसंख्या में 1.2 लाख बौद्ध एवं 2.3 लाख 'अन्य धर्मावलंबी' भी हैं। इन 1.2 लाख बौद्धों में से 60 हजार अरुणाचल प्रदेश एवं 46 हजार असम में हैं। गैर-अजजा के 'अन्य धर्मावलंबियों' में लगभग सभी मणिपुर के सनामही हैं।

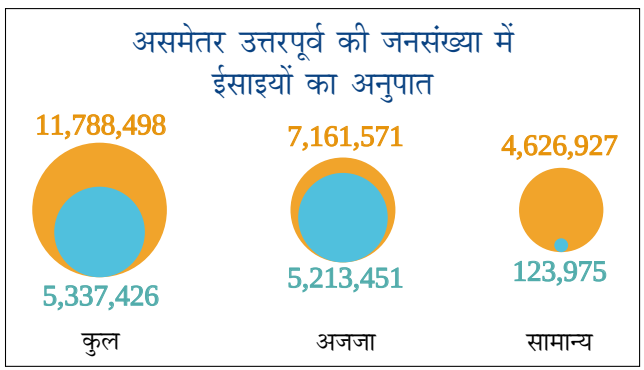

उत्तरपूर्व (असमेतर) की धर्मानुसार जनसंख्या			
	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	5,337,426	5,213,451	123,975
मुस्लिम	610,846	24,544	586,302
हिन्दु	4,633,407	1,036,769	3,596,637
सिख	9,413	927	8,486
जैन	5,208	765	4,443
बौद्ध	321,469	249,857	71,612
अन्य धर्मी	850,570	617,856	232,714
अघोषित धर्म	20,159	17,402	2,756
कुल	**11,788,498**	**7,161,571**	**4,626,927**

उत्तरपूर्वी राज्यों से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

- नीचे दी गई तालिका उत्तरपूर्व के राज्यों की जनसंख्या, उसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या एवं अनुपात, और अजजा में ईसाइयों की संख्या एवं उनके अनुपात का सार-संक्षेप देती है। तालिका में इन राज्यों से आने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या, उनमें अजजा के अधिकारियों की संख्या और उनमें से ईसाइयों की संख्या भी दी गई है।
- सामने के पृष्ठ पर दिये गये ग्राफ में विभिन्न राज्यों की प्रति लाख जनसंख्या में उस राज्य से आने वाले भाप्रसे अधिकारियों की संख्या दर्शायी गयी है, और इसकी तुलना उस राज्य की प्रति लाख अजजा जनसंख्या में अजजा के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या और उस राज्य के अजजा मूल के ईसाइयों की जनसंख्या में अजजा मूल के ईसाई अधिकारियों की संख्या के साथ की गई है।
- असम एवं त्रिपुरा में प्रति लाख जनसंख्या पर भाप्रसे अधिकारी अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम हैं, इन दोनों राज्यों की जनसंख्या में अजजा का और अजजा में ईसाइयों का अनुपात भी अपेक्षाकृत कम है। मणिपुर एवं मिजोरम की प्रति लाख जनसंख्या में भाप्रसे अधिकारियों की संख्या सर्वाधिक है, वहाँ की अधिकतर अजजा जनसंख्या ईसाई हो चुकी है।
- ग्राफ से यह भी स्पष्ट है कि इन सब राज्यों में प्रति लाख अजजा जनसंख्या में अजजा अधिकारियों की संख्या सामान्य (गैर-अजजा) लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। यह अंतर असम एवं त्रिपुरा में और भी बड़ा है, क्योंकि इनकी जनसंख्या में अजजा कम अनुपात में हैं। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, उत्तरपूर्व क्षेत्र के अजजा लोगों की भाप्रसे में आने की संभावनाएं देश के अन्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षा भी बहुत अधिक हैं।
- और फिर, इस क्षेत्र के अजजा ईसाइयों की भाप्रसे में आने की संभावनाएं गैर-ईसाई अजजा की तुलना में और भी अधिक हैं। मणिपुर, मिजोरम एवं नगालैंड में अजजा एवं ईसाई-अजजा की प्रति लाख जनसंख्या पर भाप्रसे अधिकारियों की संख्या में कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि इन तीन राज्यों में थोड़े ही गैर-ईसाई अजजा लोग बचे हैं। परन्तु अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एवं असम में जहाँ अजजा में अपेक्षाकृत अच्छी संख्या में गैर-ईसाई हैं, वहाँ धर्मांतरितों एवं गैर-धर्मांतरितों को उपलब्ध अवसरों में बहुत बड़ा अंतर इन ग्राफों में दिखायी दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर इस क्षेत्र के अन्य राज्यों के गैर-धर्मांतरित अजजा लोगों के भाप्रसे में पहुँचने की बहुत कम संभावना है। इस क्षेत्र की जनजातियों में से जो लोग ईसाई धर्म में चले गये हैं उनके लिये इस प्रतिष्ठित सेवा में आने के असाधारण अवसर प्राप्त हैं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह अवसर उन्हें देश के अन्य क्षेत्रों की अपने पारंपरिक धर्म में स्थित अनुसूचित जनजातियों को उनके उचित अवसरों से वंचित कर के ही प्राप्त हो रहे हैं।

उत्तरपूर्वी राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की संख्या

	जनसंख्या (हजारों में)					भाप्रसे संख्या		
राज्य	कुल	अजजा	ईसाई अजजा	अजजा	ईसाई अजजा	कुल	अजजा	ईसाई अजजा
अरुणाचल	1,098	705	187	64.2%	26.5%	16	13	5
नगालैंड	1,990	1,774	1,747	89.1%	98.5%	28	28	28
मणिपुर	2,294	857	831	37.4%	97.0%	48	25	25
मिजोरम	889	839	760	94.5%	90.5%	20	20	20
मेघालय	2,319	1,993	1,589	85.9%	79.8%	22	18	16
त्रिपुरा	3,199	993	99	31.1%	10.0%	21	7	2
असमेतर उत्तरपूर्व	**11,788**	**7,162**	**5,213**	**60.8%**	**72.8%**	**155**	**111**	**96**
असम	26,656	3,309	291	12.4%	8.8%	55	19	9
कुल उत्तरपूर्व	**38,444**	**10,470**	**5,504**	**27.2%**	**52.6%**	**210**	**130**	**105**

उत्तरपूर्वी राज्यों से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

प्रति लाख कुल जनसंख्या में भाप्रसे अधिकारियों की संख्या

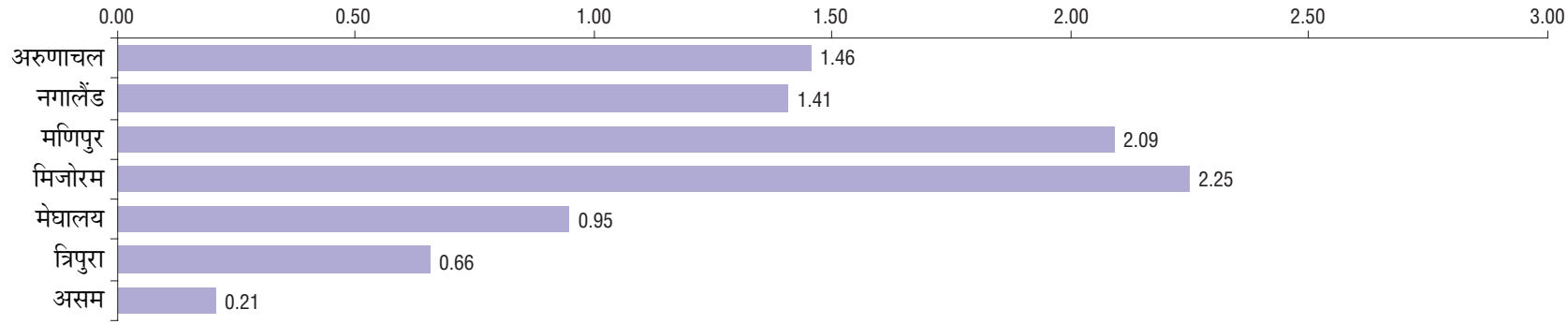

अपनी-अपनी प्रति लाख जनसंख्या में अजजा भाप्रसे अधिकारी एवं ईसाई-अजजा भाप्रसे अधिकारी

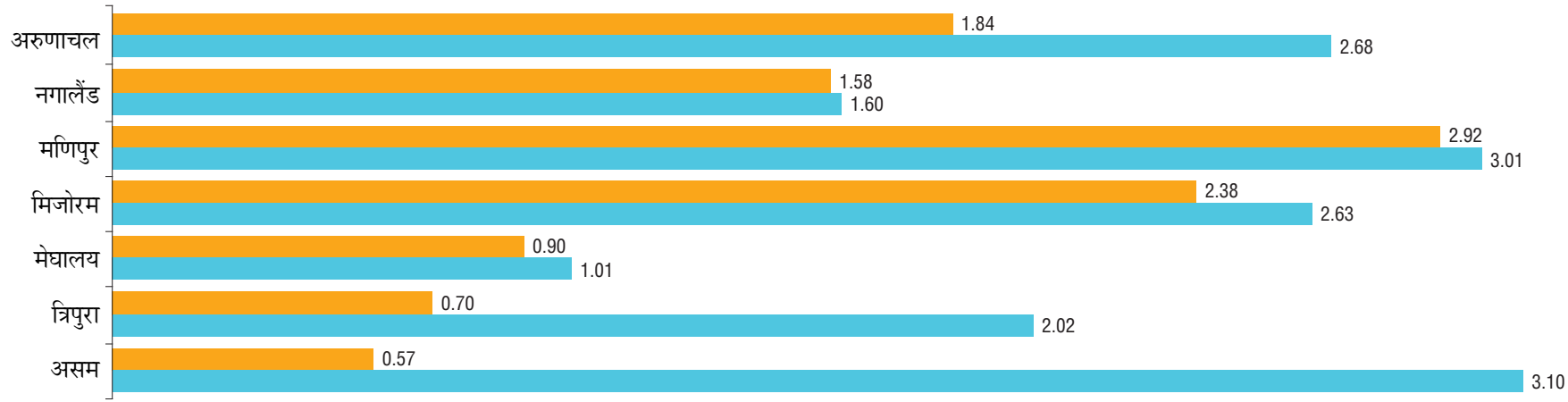

प्रति लाख गैर-ईसाई अजजा-जनसंख्या में गैर-ईसाई अजजा अधिकारी

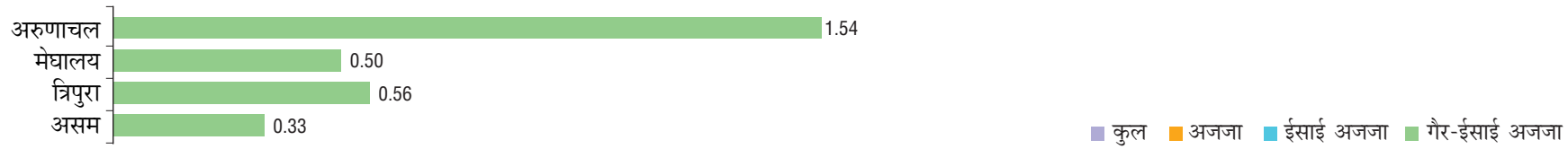

असम सहित उत्तरपूर्व मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

- उत्तरपूर्व मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की संख्या इस संपूर्ण क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुसार 0.55 अधिकारी प्रति लाख बैठती है। राष्ट्रीय औसत प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 0.40 अधिकारी है। इस क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लिये यह अनुपात 1.24 अधिकारी प्रति लाख है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत का तीन गुना है।
- अजजा मूल के अधिकारियों के इस बेहतर अनुपात को अजजा के प्रति पक्षपात माना जा सकता है। उत्तरपूर्व मूल के 210 अधिकारियों में से 130 अधिकारी अजजा से हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या में अजजा का भाग 27 प्रतिशत है, क्षेत्र से चुने गये अथवा पदोन्नत भाप्रसे अधिकारियों में उनका भाग 62 प्रतिशत है। अजजा के पक्ष में इस झुकाव को सामने दिये गये ग्राफ में स्पष्ट देख सकते हैं। अजजा की प्रति लाख जनसंख्या पर उनके 1.24 अधिकारी हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिये यह अनुपात 0.29 प्रति लाख है।
- परन्तु अजजा के पक्ष में यह झुकाव मुख्यतः अजजा मूल के ईसाइयों के प्रति झुकाव में प्रतिलक्षित होता है। क्षेत्र के 130 अजजा अधिकारियों में से 105 ईसाई हैं। क्षेत्र की अजजा जनसंख्या में ईसाइयों का अनुपात केवल 53 प्रतिशत है, परन्तु उत्तरपूर्व मूल के अजजा अधिकारियों में 81 प्रतिशत ईसाई हैं।
- अजजा मूल के ईसाइयों के प्रति यह विशेष झुकाव नीचे दिये गये ग्राफ में और स्पष्टता से दिखायी देता है। अजजा मूल की ईसाई जनसंख्या में भाप्रसे अधिकारियों का अनुपात 1.91 प्रति लाख है और गैर-ईसाई अजजा लोगों में मात्र 0.50 अधिकारी प्रति लाख।

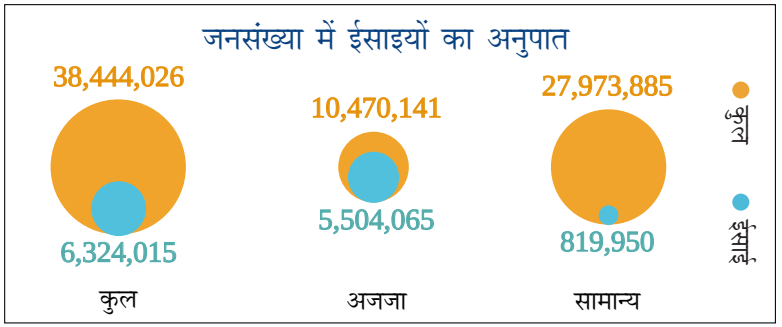

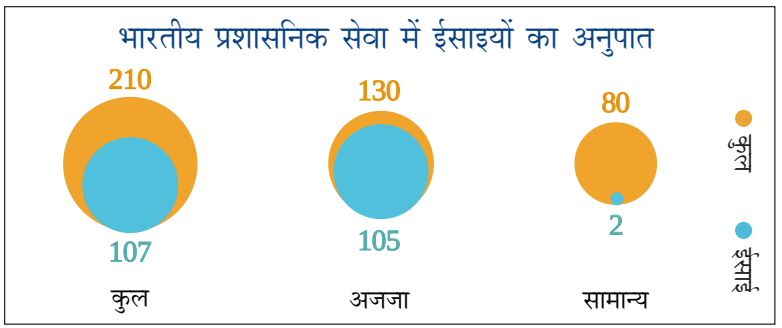

उत्तरपूर्व (असम सहित) मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	210	107 (51%)	96	57 (59%)	114	50 (44%)
अजजा	130	105 (81%)	75	57 (76%)	55	48 (87%)

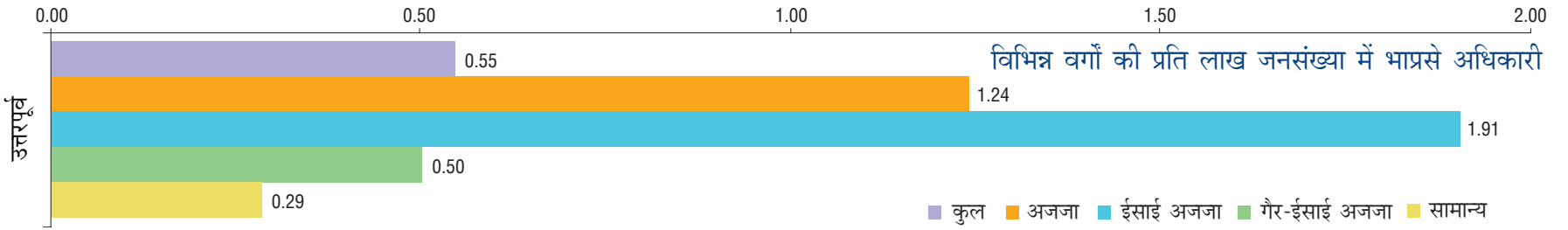

असमेतर उत्तरपूर्व मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

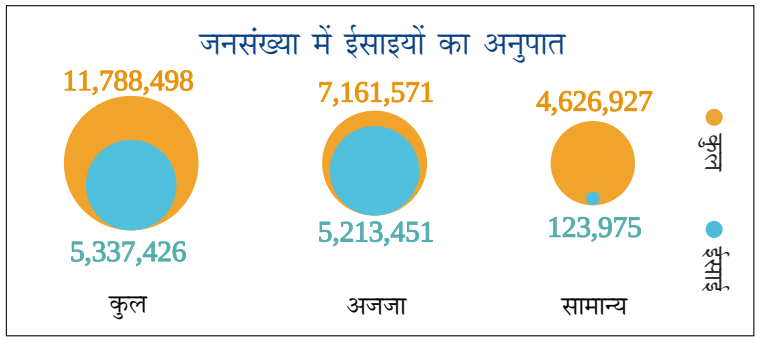

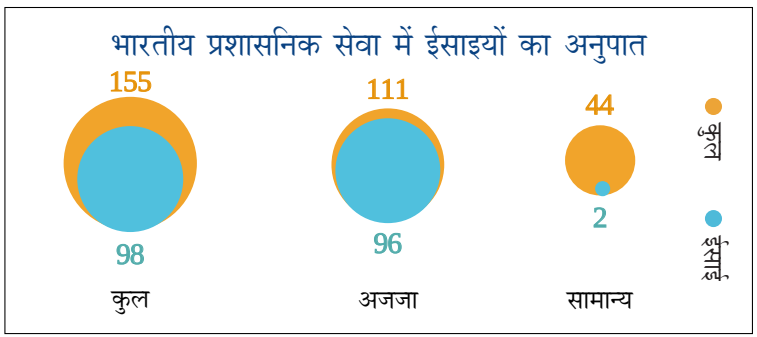

असमेतर उत्तरपूर्व मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	155	98 (63%)	76	57 (75%)	79	41 (52%)
अजजा	111	96 (86%)	68	57 (84%)	43	39 (91%)

- उत्तरपूर्व के राज्यों में से असम को निकाल दें तो शेष उत्तरपूर्व का भाप्रसे में भाग वहाँ की जनसंख्या की तुलना में और भी बड़ा दिखायी देता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, असम की अनुसूचित जनजातियों से आने वाले भाप्रसे अधिकारियों की संख्या वहाँ की अजजा जनसंख्या के अनुपात में मात्र 0.57 अधिकारी प्रति लाख बैठती है। शेष उत्तरपूर्व के लिये यह आंकड़ा 1.55 अधिकारी प्रति लाख है। उत्तरपूर्व से आने वाले कुल 130 अजजा मूल के भाप्रसे अधिकारियों में से 19 असम से हैं और 111 शेष उत्तरपूर्व से। असम की अजजा जनसंख्या 3.3 लाख है, और शेष उत्तरपूर्व की 7.2 लाख।
- पर असम मूल के ईसाइयों की भाप्रसे में पहुँचने की संभावना शेष उत्तरपूर्व के अजजा-ईसाइयों से भी अधिक है। असम मूल के 19 भाप्रसे अधिकारियों में से 9 ईसाई हैं। यह असम की ईसाई-अजजा जनसंख्या के अनुपात में 3.10 अधिकारी प्रति लाख बैठता है। शेष उत्तरपूर्व के लिये यह आंकड़ा 1.84 प्रति लाख है।
- उत्तरपूर्व से इतनी बड़ी संख्या में अजजा प्रत्याशियों के भाप्रसे में आने का प्रभाव अन्य क्षेत्रों के अजजा प्रत्याशियों पर पड़ना निश्चित ही है। यदि प्रायः 4,500 की अखिल भारतीय भाप्रसे सूची में 7.5 प्रतिशत अजजा अधिकारी हैं, तो इसमें लगभग 340 स्थान अजजा के लिये होने चाहियें। वास्तव में अजजा अधिकारियों की संख्या इससे कहीं कम ही होगी। उत्तरपूर्व के 130 अजजा अधिकारी, अधिकतम संभव 340 अजजा स्थानों का 40 प्रतिशत भर लेते हैं। अजजा जनसंख्या में उत्तरपूर्व का भाग मात्र 12 प्रतिशत है। फलतः उत्तरपूर्व से बाहर की बहुसंख्यक अजजा के लिये थोड़े ही स्थान बचते हैं। फिर, उत्तरपूर्व से भाप्रसे में भरे गये इन 130 स्थानों में से 105 ईसाइयों के भाग में पड़ते हैं।

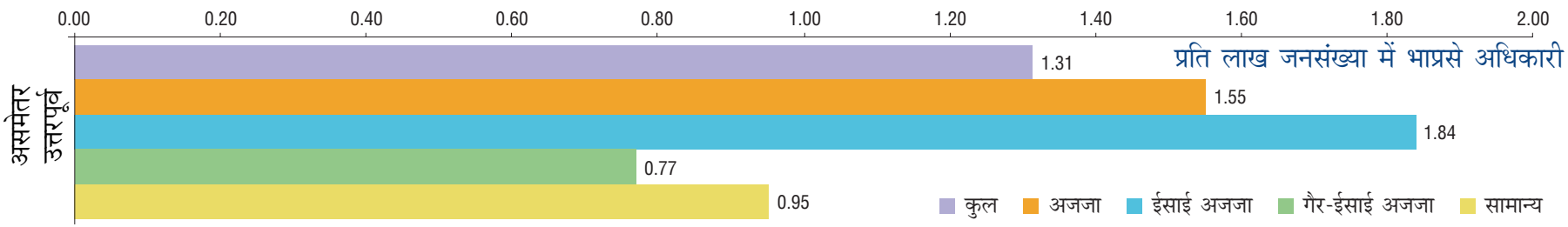

झारखंडः धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- अब हम भारत के उस दूसरे महान् क्षेत्र को देखेंगे जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ बड़ी संख्या में बसी हुई हैं। और, मध्यभारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में अजजा की धर्मानुसार जनसांख्यिकी एवं और उनके सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अध्ययन करेंगे।
- 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 269 लाख है, इसमें से अनुसूचित जनजातियों की संख्या 71 लाख है। अजजा का कुल जनसंख्या में 26 प्रतिशत का भाग है, जो उत्तरपूर्व के कुछ राज्यों की जनसंख्या में अजजा के भाग की तुलना में कम हैं। परन्तु अकेले झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या असम को छोड़कर शेष उत्तरपूर्व की कुल अजजा जनसंख्या के लगभग बराबर है।
- झारखंड की अनुसूचित जनजातियों में ईसाइयों का अनुपात उत्तरपूर्व की तुलना में कम है। 71 लाख अजजा लोगो में 10 लाख ईसाई हैं, अजजा जनसंख्या का वे मात्र 14.5 प्रतिशत बनते हैं।
- अजजा की शेष जनसंख्या में 28 लाख हिन्दु हैं जो अजजा जनसंख्या का 40 प्रतिशत बनते हैं, और 32 लाख 'अन्य धर्मी' हैं जो अजजा का 45 प्रतिशत बनते हैं।
- राज्य के 199 लाख गैर-अजजा लोगों में से 157 लाख हिन्दु और 37 लाख मुस्लिम हैं। गैर-अजजा लोगों में ईसाई बहुत कम हैं।

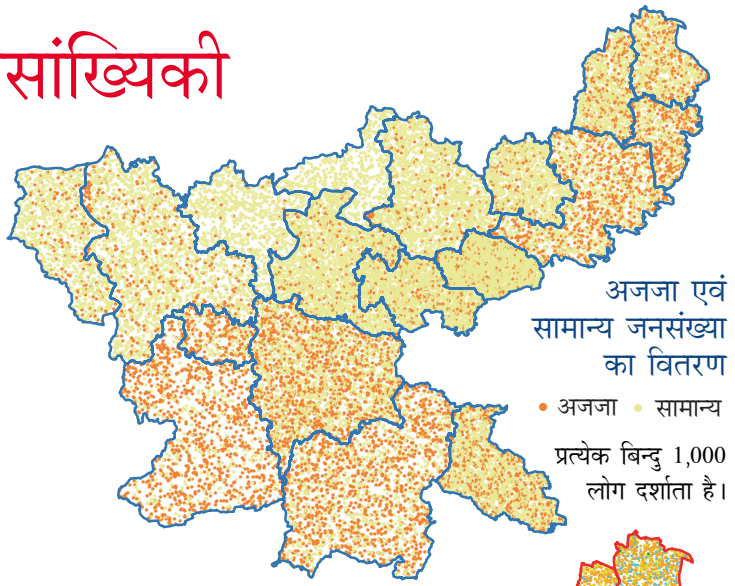

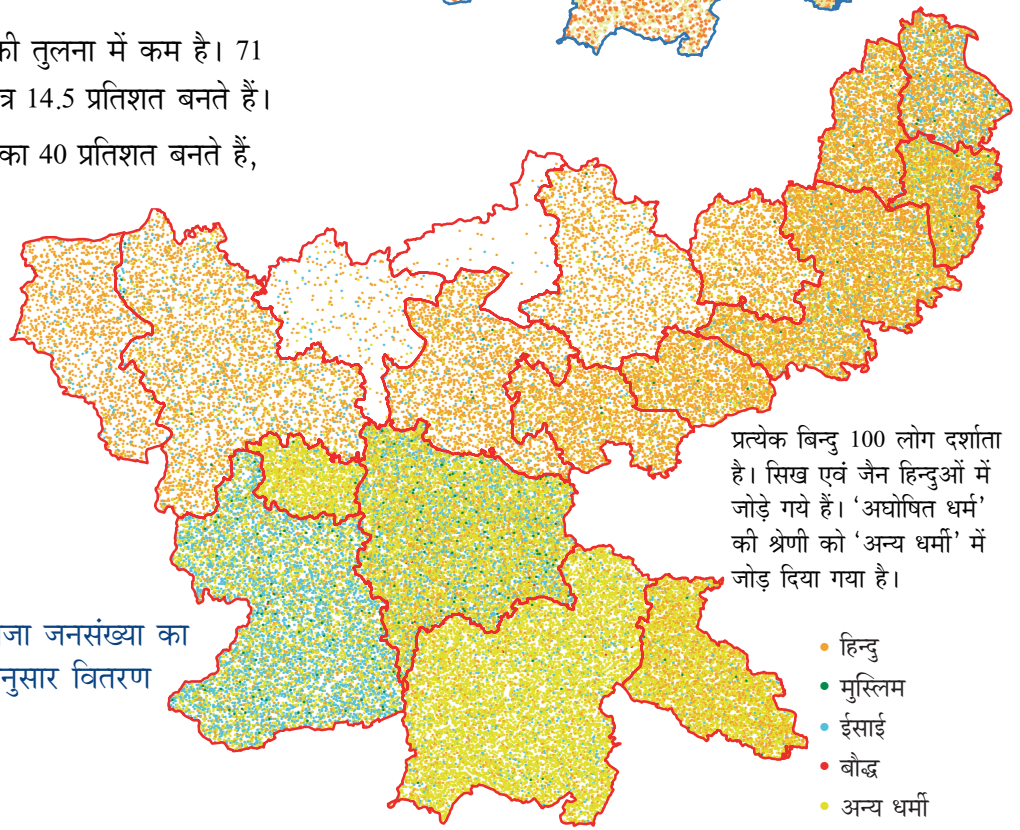

झारखंड की धर्मानुसार जनसंख्या

	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	1,093,382	1,025,106	68,276
मुस्लिम	3,731,308	27,394	3,703,914
हिन्दु	18,475,681	2,818,366	15,657,315
सिख	83,358	2,417	80,941
जैन	16,301	320	15,981
बौद्ध	5,940	2,008	3,932
अन्य धर्मी	3,514,472	3,197,979	316,493
अघोषित धर्म	25,387	13,478	11,909
कुल	**26,945,829**	**7,087,068**	**19,858,761**

झारखंड मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

- झारखंड में अजजा के 71 लाख लोग हैं, असम को छोड़ कर शेष संपूर्ण उत्तरपूर्व में अजजा की संख्या 72 लाख है। असमेतर उत्तरपूर्व से अजजा मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या 111 है और झारखंड से केवल तीन अनुसूचित जनजाति मूल के भाप्रसे अधिकारी हैं।
- झारखंड के इन 3 अजजा अधिकारियों में भी 2 ईसाई हैं। जनसंख्या में ईसाइयों का भाग 15 प्रतिशत से कम है। झारखंड मूल के 27 गैर-अजजा अधिकारियों में कोई ईसाई नहीं है।
- जैसा कि नीचे के ग्राफ में स्पष्ट है, झारखंड के लोगों का और विशेषतः वहाँ की अनुसूचित जनजातियों का भाप्रसे में प्रतिनिधित्व अत्यल्प है। झारखंड की प्रति एक लाख जनसंख्या पर मात्र 0.11 भाप्रसे अधिकारी हैं। यह राष्ट्रीय औसत का एक-चौथाई मात्र है। झारखंड के अजजा लोगों के लिये यह अनुपात और भी निम्न है। प्रदेश में प्रति एक लाख अजजा जनसंख्या पर मात्र 0.04 अजजा अधिकारी भाप्रसे में है।
- ईसाई अजजा का भाप्रसे में प्रतिनिधित्व गैर-ईसाई अजजा से 10 गुना अधिक है। प्रति लाख ईसाई अजजा जनसंख्या में 0.20 भाप्रसे में हैं, गैर-ईसाई अजजा के लिये यह अनुपात 0.02 है।
- प्रदेश से अकेला पदोन्नत अजजा अधिकारी ईसाई है। और, प्रदेश का अकेला गैर-ईसाई अजजा भाप्रसे अधिकारी सीधे चुन कर आया है।

जनसंख्या एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा में ईसाइयों का अनुपात

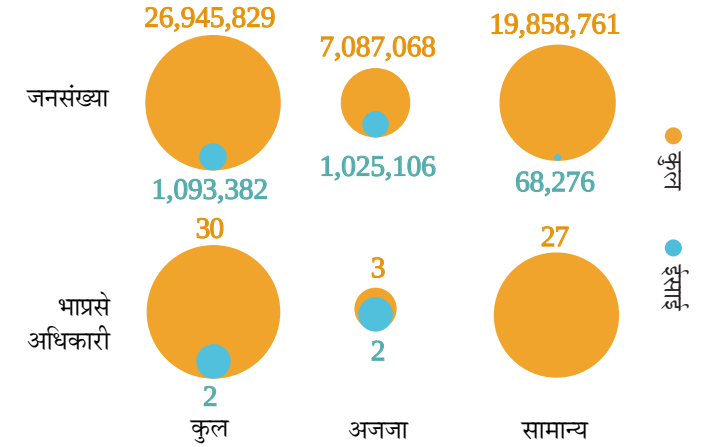

झारखंड मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	30	2 (6.7%)	21	1 (4.7%)	9	1 (11%)
अजजा	3	2 (67%)	2	1 (50%)	1	1 (100%)

झारखंड के जिले

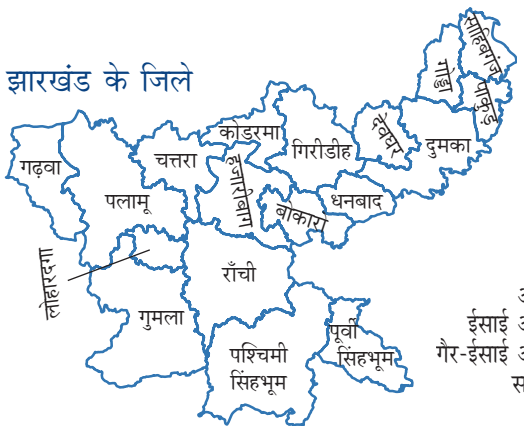

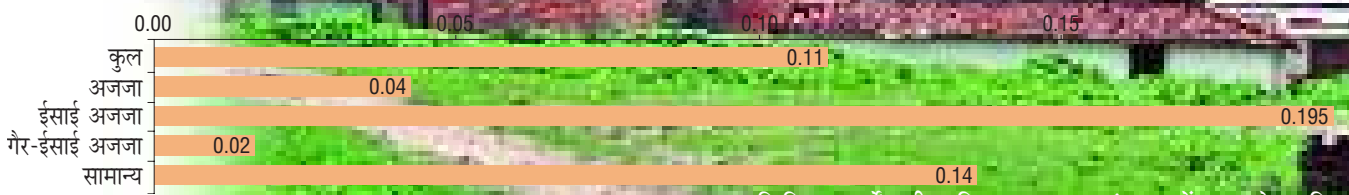

विभिन्न वर्गों की प्रति लाख जनसंख्या में भाप्रसे अधिकारी

झारखंडः अनुसूचित जनजातियों का प्रादेशिक सेवाओं में भाग

- झारखंड की प्रादेशिक सेवाओं के कुछ आंकड़ों का विश्लेषण हमने किया है। इन सेवाओं में अजजा का भाग उतना कम नहीं है जितना भाप्रसे में, परन्तु यहाँ भी अजजा प्रतिनिधित्व का एक बड़ा भाग अजजा मूल के ईसाई ले जाते हैं।
- झारखंड प्रशासनिक सेवा (झाप्रसे) के 719 अधिकारियों में 147 अजजा से हैं। जनसंख्या में अजजा का भाग 26.3 प्रतिशत है और झाप्रसे में 20 प्रतिशत। परन्तु झाप्रसे के 147 अजजा अधिकारियों में 94 ईसाई हैं। अजजा अधिकारियों में 64 प्रतिशत ईसाई हैं, अजजा जनसंख्या में मात्र 15 प्रतिशत। पूरे झाप्रसे संवर्ग में केवल 53 अजजा अधिकारी ऐसे हैं जो अपने मूल धर्म में स्थित हैं।
- झारखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वरीयता सूची में 1,571 चिकित्सक हैं, इनमें 230 अजजा के हैं, यह कुल चिकित्सकों का 15 प्रतिशत बनता है। पर इन 230 अजजा चिकित्सकों में 121 ईसाई हैं। अजजा चिकित्सकों में ईसाइयों का भाग अजजा जनसंख्या में उनके भाग का चार गुना है।
- पीजीमेट 2009 की प्रवेश सूची में कुल 1,011 विद्यार्थी हैं। इनमें 235 अजजा से हैं। इस प्रकार इस सूची में अजजा का अनुपात जनसंख्या में उनके अनुपात के समान ही है। पर इन 235 अजजा विद्यार्थियों में 132 अजजा मूल के ईसाई हैं।
- हजारीबाग जिले के हाई स्कूल शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की कुल 235 की सूची में अजजा के केवल 7 शिक्षक हैं जिनमें से पांच ईसाई हैं। हजारीबाग जिले की जनसंख्या में लगभग 12 प्रतिशत भाग अजजा का है और अजजा में 7 प्रतिशत ईसाई हैं। स्कूली शिक्षकों में अजजा एवं ईसाई अजजा के भाग के संदर्भ में अन्य जिले कदाचित् हजारीबाग से बहुत भिन्न नहीं होंगे।
- इस प्रकार राज्य की लोकसेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों और उन्हें दिये जाने वाले अन्य विशेषाधिकारों का बड़ा भाग स्पष्टतः अजजा मूल के ईसाइयों को ही प्राप्त हो रहा है।

प्रादेशिक सेवाओं में अजजा एवं ईसाई-अजजा का भाग

प्रादेशिक सेवा	कुल	अजजा	ईसाई-अजजा
झारखंड प्रशासनिक सेवा	719	147 (20.4%)	94 (63.9%)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सक	1,571	230 (14.6%)	121 (52.6%)
पीजीमेट प्रवेश 2009	1,011	235 (23.2%)	132 (56.2%)
हजारीबाग जिले में हाईस्कूल शिक्षक	245	7 (2.9%)	5 (71.4%)

अजजा कालम में अजजा अधिकारियों का कुल संवर्ग में प्रतिशत भाग व ईसाई कालम में अजजा अधिकारियों में ईसाइयों का प्रतिशत भाग है।

झारखंडः अनुसूचित जनजातियों में ईसाइयों का भाग एवं महत्त्व

- झारखंड की अजजा का राज्य की जनसंख्या में 23 प्रतिशत भाग है, इस की तुलना में उनका विभिन्न सेवाओं में भाग कुछ कम है। झाप्रसे में वे 20 प्रतिशत हैं, चिकित्सकों में 15 प्रतिशत और स्कूल-शिक्षकों में इससे भी कम अनुपात में।
- इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रायः सभी सेवाओं में अजजा अधिकारियों का 60 प्रतिशत या इससे भी अधिक अजजा मूल के ईसाई हैं। जबकि राज्य की कुल जनसंख्या का केवल 4 प्रतिशत और अजजा का 14.5 प्रतिशत ईसाई हैं।
- झारखंड में ईसाइयों के गहन महत्त्व को निम्न तथ्य से भी समझा जा सकता है। राज्य की प्रथम विधान सभा में अजजा के लिये आरक्षित 28 स्थानों के प्रतिनिधियों में से 7 अजजा मूल के ईसाई थे। इस विधानसभा के सदस्यों का चुनाव झारखंड के बिहार से पृथक् होने के पूर्व हुआ था। उस समय अजजा के लिये आरक्षित स्थानों में से एक चौथाई पर ईसाई चुने गये थे। पृथक् झारखंड बनने के बाद चुनी गई दूसरी विधानसभा में 28 अजजा स्थानों में से 12 पर ईसाई चुने गये। इस प्रकार अजजा स्थानों में उनका भाग 25 से बढ़ कर 43 प्रतिशत हो गया। यह अजजा जनसंख्या में उनके भाग का प्रायः तीन गुना है।
- झारखंड विधानसभा में ईसाइयों की संख्या कुल जनसंख्या में उनके अनुपात से भी अधिक है। 81 सदस्यीय विधानसभा में 12 सदस्य ईसाई हैं, जो कुल सदस्यों का 14.8 प्रतिशत बनते हैं, यह जनसंख्या में उनके अनुपात का 4 गुना है। इसके अतिरिक्त विधानसभा में एक मनोनीत ईसाई सदस्य भी है।
- इस प्रकार ईसाई झारखंड की लोकसेवाओं एवं सार्वजनिक जीवन में जनसंख्या में उनके सीमित अनुपात से कहीं अधिक उपस्थिति एवं महत्त्व रखते हैं।
- झारखंड से राज्यसभा के लिये निर्वाचित 6 सदस्यों में से कोई अजजा का नहीं है, और झारखंड से निर्वाचित इन सदस्यों में 4 राज्य से बाहर के हैं।

अन्य धर्मावलंबी और उनका जिलावार वितरण

- हम देख चुके हैं कि झारखंड की अनुसूचित जनजातियों में 'अन्य धर्मावलंबियों' की संख्या असाधारण बड़ी है। झारखंड के 'अन्य धर्मी' देश के कुल अजजा 'अन्य धर्मियों' के आधे से भी अधिक बनते हैं।
- झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के 32 लाख 'अन्य धर्मियों' में से 31 लाख से अधिक सरना हैं। इनमें से 28 लाख अविभाजित सिंहभूम एवं राँची जिलों में ही गिने गये हैं।
- राज्य की अनुसूचित जनजातियों में लगभग 27 हजार मुस्लिम, 2 हजार बौद्ध, 2 हजार सिख एवं कुछ जैन भी हैं।
- गैर-अजजा लोगों में भी 3 लाख से अधिक 'अन्य धर्मावलंबी' हैं, वे लगभग सब सरना हैं। राँची-सिंहभूम क्षेत्र में फैल रहा सरना संप्रदाय केवल अनुसूचित जनजातियों तक सीमित नहीं है।

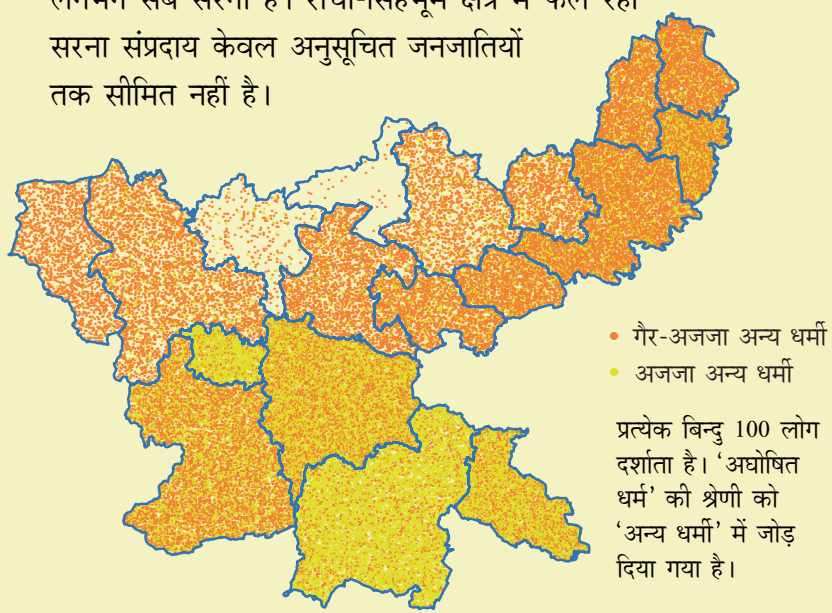

छत्तीसगढ़: धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 208 लाख है। इनमें से 66 लाख लोग अनुसूचित जनजातियों से हैं। अजजा कुल जनसंख्या का 32 प्रतिशत हैं, यह झारखंड में अजजा के भाग से कुछ अधिक है। पर छत्तीसगढ़ में अजजा की कुल जनसंख्या झारखंड के प्रायः बराबर है।
- छत्तीसगढ़ के 66 लाख अजजा लोगों में केवल 3 लाख ईसाई हैं। ईसाई अजजा जनसंख्या के 5 प्रतिशत से भी कम बैठते हैं।
- राज्य की अनुसूचित जनजातियों में लगभग 92 हजार 'अन्य धर्मावलम्बी' भी हैं, इनमें से 87 हजार 'अन्य धर्मी' गोंड या गोंडी धर्म को मानने वाले हैं। झारखंड की तुलना में छत्तीसगढ़ की अजजा में 'अन्य धर्मावलम्बियों' की संख्या बहुत कम है।
- छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों में लगभग 62 लाख हिन्दु हैं, वे राज्य की अजजा जनसंख्या के 94 प्रतिशत के आसपास हैं। अजजा में लगभग 2 हजार सिख एवं कुछ जैन भी हैं।
- राज्य में 142 लाख गैर अजजा (अर्थात् सामान्य वर्ग) के लोगों में 4 लाख मुस्लिम, 89 हजार ईसाई और 2 लाख सिख, जैन, बौद्ध एवं 'अन्य धर्मावलम्बी' हैं। शेष लगभग 135 लाख हिन्दु हैं। वे सामान्य वर्ग के लोगों का 95 प्रतिशत बनते हैं।
- राज्य में तीन हजार सामान्य वर्ग के गैर-अजजा 'अन्य धर्मावलम्बी' भी हैं, इनमें से 2 हजार गोंड या गोंडी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं।
- छत्तीसगढ़ के अधिकतर बौद्ध अनुसूचित जातियों से हैं। राज्य के 65 हजार बौद्धों में से 57 हजार अनुसूचित जातियों के हैं और 2 हजार से भी कम अनुसूचित जनजातियों के।

छत्तीसगढ़ की धर्मानुसार जनसंख्या

	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	401,035	312,284	88,751
मुस्लिम	409,615	6,009	403,606
हिन्दु	19,729,670	6,199,507	13,530,163
सिख	69,621	1,869	67,752
जैन	56,103	198	55,905
बौद्ध	65,267	1,658	63,609
अन्य धर्मी	95,187	92,271	2,916
अघोषित धर्म	7,305	2,800	4,505
कुल	**20,833,803**	**6,616,596**	**14,217,207**

अजजा एवं सामान्य जनसंख्या का वितरण

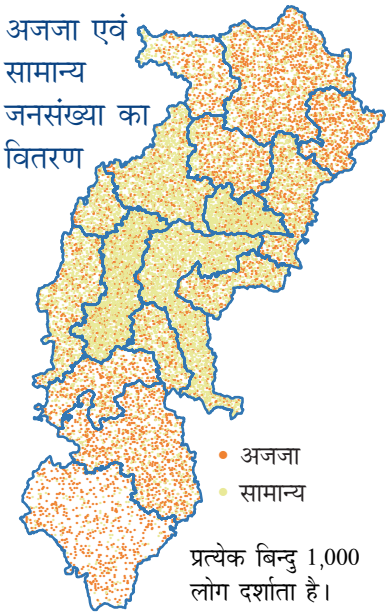

प्रत्येक बिन्दु 1,000 लोग दर्शाता है।

अजजा जनसंख्या का धर्मानुसार वितरण

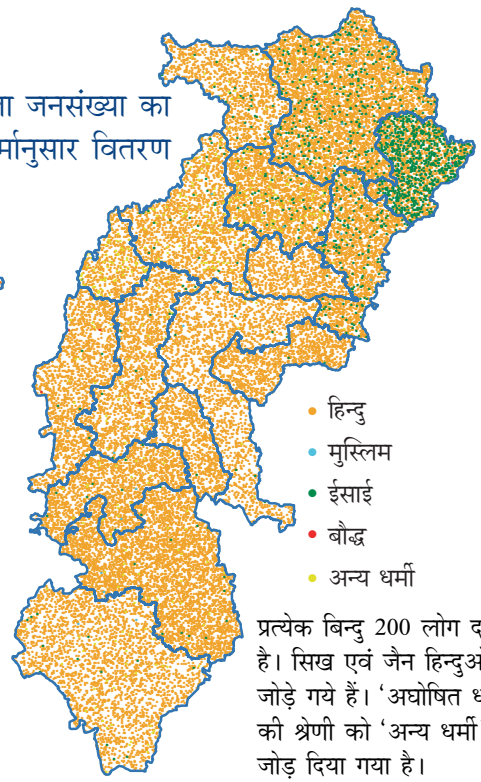

प्रत्येक बिन्दु 200 लोग दर्शाता है। सिख एवं जैन हिन्दुओं में जोड़े गये हैं। 'अघोषित धर्म' की श्रेणी को 'अन्य धर्मी' में जोड़ दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के जिले

छत्तीसगढ़ मूल के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी

- 1 जनवरी 2009 तक संशोधित भारतीय प्रशासनिक सेवा सूची में छत्तीसगढ़ मूल के कुल 32 भाप्रसे अधिकारी हैं, इनमें से 8 अजजा के हैं। जनसंख्या की तुलना में छत्तीसगढ़ मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या कम है, पर उतनी कम नहीं जितनी कि झारखंड में। और झारखंड के विपरीत, यहाँ भाप्रसे अधिकारियों में अजजा अधिकारियों का अनुपात राज्य की जनसंख्या में अजजा के एक-तिहाई के अनुपात के बिल्कुल बराबर है। यह बराबरी प्रादेशिक सेवाओं से अजजा अधिकारियों की भाप्रसे में पदोन्नति के कारण हो सकी है। राज्य से भाप्रसे में केवल पांच अधिकारियों का सीधे चयन हुआ है, इनमें से कोई भी अजजा का नहीं है।
- राज्य के 8 पदोन्नत अजजा भाप्रसे अधिकारियों में से चार ईसाई हैं। इस प्रकार प्रदेश में अजजा मूल के पदोन्नत भाप्रसे अधिकारियों में से आधे ईसाई हैं, जबकि प्रदेश की अजजा जनसंख्या में ईसाइयों का भाग मात्र 5 प्रतिशत है।
- जैसा कि नीचे दिये ग्राफ से स्पष्ट है, अजजा की प्रति लाख जनसंख्या में भाप्रसे अधिकारियों की संख्या कुल जनसंख्या में भाप्रसे अधिकारियों की संख्या की तुलना में कुछ अधिक है, परन्तु कुल जनसंख्या और अजजा दोनों के लिये यह अनुपात 0.12 अधिकारी प्रति लाख के आसपास बैठता है, जो 0.40 की राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।
- परन्तु अजजा मूल के धर्मपरिवर्तित ईसाइयों के लिये यह अनुपात 1.28 अधिकार प्रति लाख है। धर्मांतरित अजजा-ईसाइयों की भाप्रसे में आने की संभावना अपने मूल धर्म में स्थित गैर-ईसाई अजजा लोगों की अपेक्षा 20 गुना से अधिक बैठती है।

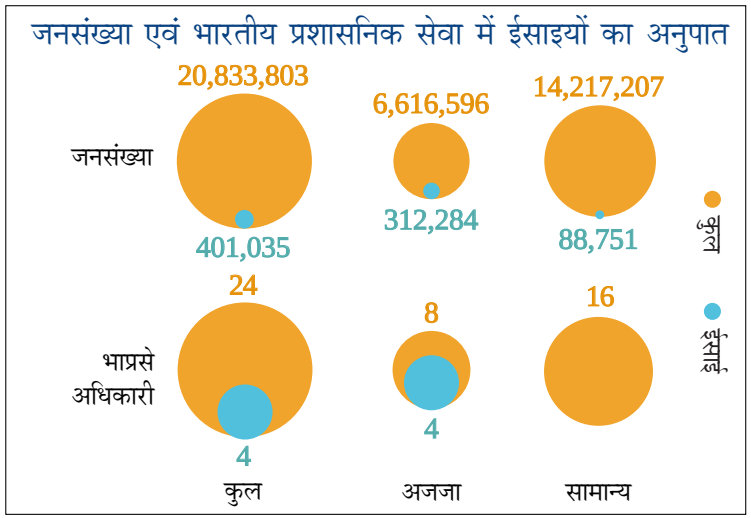

छत्तीसगढ़ मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	24	4 (16.7%)	5	0	19	4 (21%)
अजजा	8	4 (50%)	0	0	8	4 (50%)

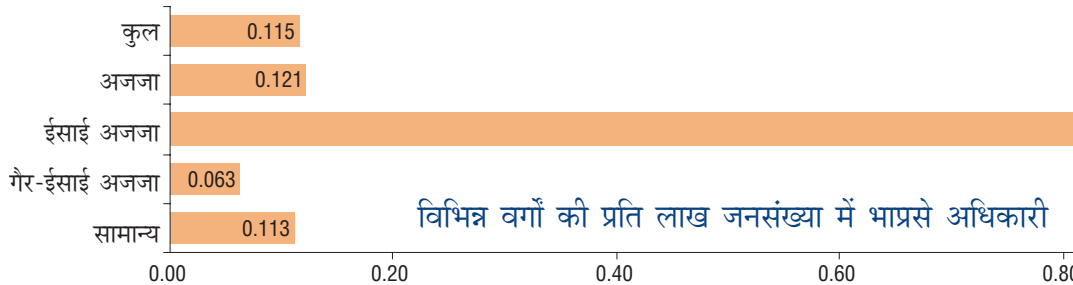

विभिन्न वर्गों की प्रति लाख जनसंख्या में भाप्रसे अधिकारी

छत्तीसगढ़: अनुसूचित जनजातियों का प्रादेशिक सेवाओं में भाग

- छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा (छप्रसे) के 255 अधिकारियों में 86 अजजा के हैं। इस प्रकार इस सेवा में अजजा का भाग जनसंख्या में उनके एक-तिहाई भाग के बराबर है। परन्तु इन 86 छप्रसे अधिकारियों में से 22 अजजा मूल के धर्म परिवर्तित ईसाई हैं। इस सेवा में अजजा के भाग का 25 प्रतिशत अजजा-ईसाई ले जाते हैं जबकि अजजा जनसंख्या में ईसाई मात्र 5 प्रतिशत हैं।
- राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों में अजजा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इस विभाग के 155 अधिकारियों में 53 अजजा के हैं जिनमें केवल 5 ईसाई हैं। फिर भी विभाग में अजजा के भाग का 9 प्रतिशत तो धर्मपरिवर्तित ईसाई अजजा ले ही जाते हैं। यह अजजा जनसंख्या में उनके 5 प्रतिशत के भाग का प्रायः दोगुना है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के 1,083 शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों में से 302 अजजा के हैं, यह संख्या जनसंख्या में अजजा अनुपात की तुलना में कुछ कम है। पर बड़ी बात यह है कि इन 302 अजजा शिक्षकों में से 93 ईसाई हैं। इस प्रकार अजजा शिक्षकों का 31 प्रतिशत अजजा मूल के धर्म परिवर्तित ईसाई हैं। यह अजजा जनसंख्या में धर्मपरिवर्तित ईसाइयों के भाग का छह-गुना बनता है।
- छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय संवर्ग के 1,290 व्याख्याताओं के आंकड़े हम देख पाये हैं। इनमें से केवल 173 अजजा के हैं और इनमें भी 76 ईसाई हैं। इस संवर्ग में अजजा का भाग जनसंख्या में उनके भाग का आधे से भी कम है, और इस सीमित भाग का 44 प्रतिशत ईसाई ले जाते हैं।
- संक्षेप में, छत्तीसगढ़ की जनजातियों का भाप्रसे में स्थान अल्प ही है, पर छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा में उन्हें जनसंख्या में अपने भाग के अनुरूप समुचित स्थान प्राप्त है। अन्य प्रादेशिक सेवाओं में उनकी उपस्थिति उतनी अच्छी नहीं है।

प्रादेशिक सेवाओं में अजजा एवं ईसाई-अजजा का भाग

प्रादेशिक सेवा	कुल	अजजा	ईसाई-अजजा
छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा	255	86 (33.7%)	22 (25.6%)
अजा/अजजा विकास विभाग द्वारा के अधिकारी	155	53 (34.2%)	5 (9.4%)
अजा/अजजा विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षक	1,083	302 (27.9%)	93 (30.8%)
महाविद्यालयों के व्याख्याता	1,290	173 (13.4%)	76 (43.9%)

अजजा कालम में अजजा अधिकारियों का कुल संवर्ग में प्रतिशत भाग व ईसाई कालम में अजजा अधिकारियों में ईसाइयों का प्रतिशत भाग है।

- परन्तु सब सेवाओं में अजजा के भाग में आने वाले पदों में से बहुत से पद अजजा मूल के धर्मपरिवर्तित ईसाई ले जाते हैं। अजजा में केवल 5 प्रतिशत ईसाई हैं। पर सब सेवाओं में धर्मपरिवर्तित ईसाई सेवा में अजजा के भाग का 25 प्रतिशत से अधिक तो ले ही जाते हैं। उच्च शिक्षा संवर्ग में तो अजजा के भाग में आये सीमित स्थानों के 44 प्रतिशत पर अजजा मूल के ईसाई ही हैं।
- विधानसभा एवं संसद जैसे जनप्रतिनिधि संस्थानों में धर्मपरिवर्तित ईसाइयों का वैसा ऊँचा स्थान नहीं है जैसा प्रदेश कि विभिन्न सेवाओं में है। क्योंकि प्रदेश की कुल जनसंख्या में तो ईसाई 2 प्रतिशत भी नही हैं।

ओडिशा: धर्मानुसार जनसांख्यिकी

- 2001 की जनगणना के अनुसार ओडिशा की जनसंख्या 368 लाख है। इनमें से 81.5 लाख अनुसूचित जनजातियों से हैं। जनसंख्या में अजजा का भाग 22 प्रतिशत है।
- 81.5 लाख अजजा के लोगों में लगभग 6 लाख धर्मांतरित ईसाई हैं। वे अजजा का 7.5 प्रतिशत बनते हैं। ईसाइयों के अतिरिक्त अजजा में लगभग 3.4 लाख 'अन्य धर्मावलम्बी' हैं। वे प्रायः सभी सरना हैं और अधिकतर झारखंड से लगे मयूरभंज एवं सुंदरगढ़ जिलों में ही केंद्रित हैं। सुंदरगढ़ जिले की आधी से अधिक अजजा जनसंख्या ईसाई है, वहाँ 'अन्य धर्मी' मयूरभंज की अपेक्षा कम हैं। मयूरभंज की अनुसूचित जनजातियों में ईसाइयत का प्रसार बहुत नहीं हो पाया, वहाँ लगभग 3 लाख अजजा 'अन्य धर्मी' हैं, वे वहाँ की अजजा का प्रायः एक-चौथाई बनते हैं।
- राज्य में लगभग 14 हजार अजजा मुस्लिम भी हैं, वे अधिकतर सुंदरगढ़ एवं सम्बलपुर में हैं।
- राज्य के 81.5 लाख अजजा लोगों में से 71.8 लाख हिन्दु हैं, वे अजजा जनसंख्या का 88 प्रतिशत बनते हैं। शेष अजजा लोगों में 7.4 प्रतिशत ईसाई एवं 4.2 प्रतिशत 'अन्य धर्मी' हैं।
- गैर-अजजा लोगों में लगभग 3 लाख ईसाई एवं 7 लाख मुस्लिम हैं। राज्य में 21.5 हजार गैर-अजजा 'अन्य धर्मी' भी हैं, इनमें से 17.6 हजार सरना हैं। गैर-अजजा जनसंख्या का शेष 96 प्रतिशत भाग हिन्दु हैं।

ओडिशा की धर्मानुसार जनसंख्या

	कुल	अजजा	सामान्य
ईसाई	897,861	605,880	291,981
मुस्लिम	761,985	13,782	748,203
हिन्दु	34,726,129	7,180,819	27,545,310
सिख	17,492	251	17,241
जैन	9,154	196	8,958
बौद्ध	9,863	175	9,688
अन्य धर्मी	361,981	340,532	21,449
अघोषित धर्म	20,195	3,446	16,749
कुल	**36,804,660**	**8,145,081**	**28,659,579**

अजजा एवं सामान्य जनसंख्या का वितरण

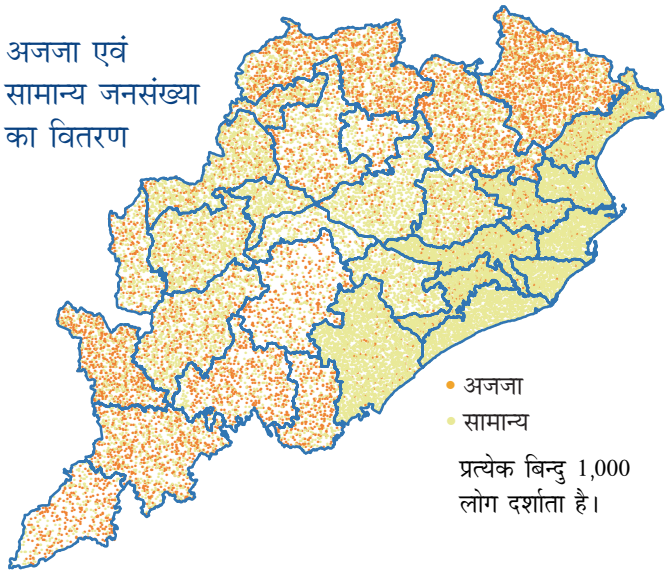

अजजा जनसंख्या का धर्मानुसार वितरण

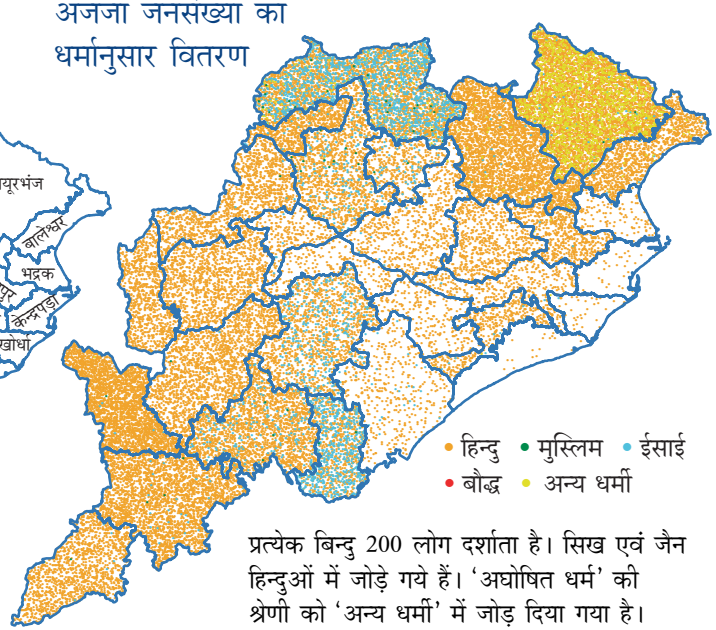

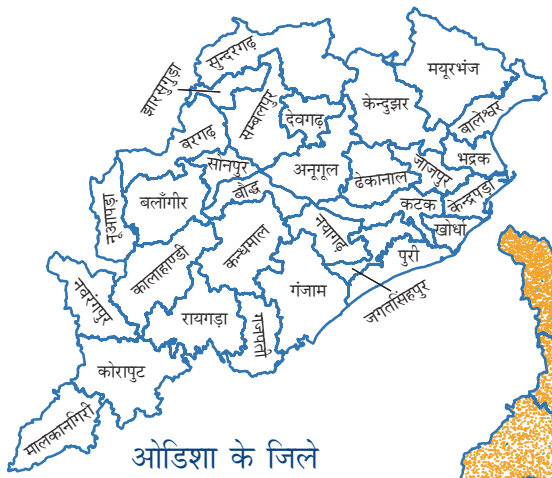

ओडिशा मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

- जनवरी 1, 2009 तक की भाप्रसे सूची में ओडिशा मूल के 169 अधिकारी हैं। जैसा कि नीचे दिये गये ग्राफ से स्पष्ट है, ओडिशा की प्रति लाख जनसंख्या में 0.46 भाप्रसे अधिकारी हैं, यह अनुपात 0.40 अधिकारी प्रति लाख की राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है।
- परन्तु ओडिशा मूल के इन 169 अधिकारियों में केवल 6 अजजा से हैं। वे कुल अधिकारियों का 3.6 प्रतिशत बनते हैं। इस प्रकार ओडिशा की अनुसूचित जनजातियों की प्रति लाख जनसंख्या में मात्र 0.07 भाप्रसे अधिकारी हैं। यह अनुपात झारखण्ड से तो कुछ बेहतर है, पर जैसा कि हम देख चुके हैं, उत्तरपूर्व मूल की जनजातियों में तो प्रति लाख जनसंख्या पर 1.24 भाप्रसे अधिकारी हैं।
- ओडिशा मूल के 6 अजजा भाप्रसे अधिकारियों में 2 ईसाई हैं। अजजा में ईसाइयों का अनुपात 7.5 प्रतिशत है। अजजा मूल के प्रति लाख ईसाइयों में 0.33 भाप्रसे अधिकारी हैं। अपने धर्म में स्थित गैर-ईसाई अजजा के लिये यह अनुपात मात्र 0.05 प्रति लाख है।
- यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि ओडिशा मूल के सभी 6 अजजा भाप्रसे अधिकारी नियमित चयन प्रक्रिया से आये हैं। राज्य सेवा से पदोन्नत 21 अधिकारियों में से कोई अजजा का नहीं है। यह उत्तरपूर्वी राज्यों और छत्तीसगढ़ की स्थिति के सर्वथा विपरीत है, वहाँ की प्रादेशिक सेवाओं से बड़ी संख्या में अजजा अधिकारी और विशेषतः ईसाई-अजजा अधिकारी भाप्रसे में पदोन्नत हुए हैं।

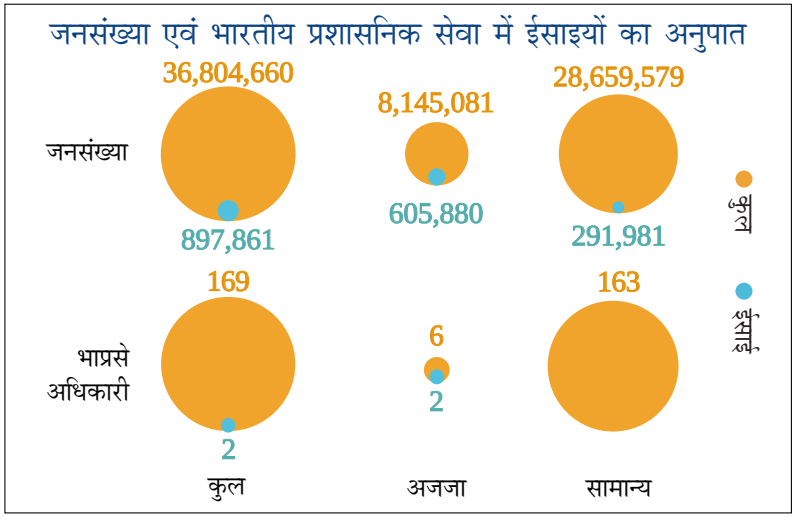

ओडिशा मूल के भाप्रसे अधिकारियों की संख्या

	समस्त		सीधे चयनित		पदोन्नत	
	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई	कुल	ईसाई
समस्त	169	2 (1.2%)	148	2	21	0
अजजा	6	2 (33%)	6	2	0	0

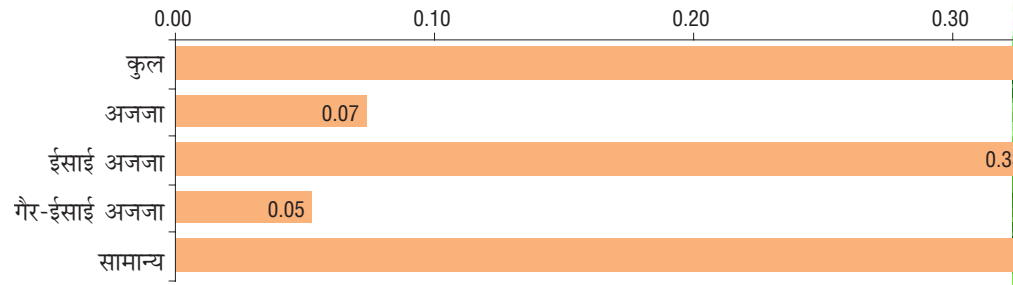

ओडिशा: अनुसूचित जनजातियों का प्रादेशिक सेवाओं में भाग

- झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के विपरीत, ओडिशा की प्रादेशिक सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।
- राज्य में उच्च प्रशासनिक स्तर के 124 अधिकारियों में एक भी अधिकारी अनुसूचित जनजातियों से नहीं है।
- ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओप्रसे) वर्ग I वरिष्ठ शाखा के 135 अधिकारियों में 25 अजजा के हैं। इस संवर्ग के अधिकारियों में अजजा का भाग 18.5 प्रतिशत बनता है। राज्य की किसी अन्य सेवा में अजजा का इतना भी भाग नहीं है। ओप्रसे वर्ग I वरिष्ठ शाखा के इन 25 अजजा अधिकारियों में से 7 ईसाई हैं, अजजा जनसंख्या में ईसाइयों के 7.5 प्रतिशत की तुलना में इस सेवा के अजजा अधिकारियों में उनका भाग प्रायः चार गुना है।
- ओडिशा शिक्षा सेवा के ओशिसे II, ओशिसे II एवं टीजीटी संवर्गों के 1,044 शिक्षकों में केवल 98 शिक्षक अजजा के हैं और इनमें से 12 ईसाई हैं।
- हमने शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले उच्च शिक्षा सेवा के 430 व्याख्याताओं एवं अनुदान-प्राप्त महाविद्यालयों के 660 व्याख्याताओं की सूचियाँ देखी हैं। ये पूर्ण नहीं अपितु प्रतिनिधि सूचियाँ हैं। इन सूचियों में आने वाले शासकीय महाविद्यालयों के 430 व्याख्याताओं में से केवल 8 अजजा के हैं और इनमें भी 2 ईसाई हैं। अनुदान-प्राप्त महाविद्यालयों के 660 व्याख्याताओं में से केवल 2 अजजा के हैं, इनमें से 1 ईसाई है।
- संक्षेप में, राज्य की अनुसूचित जनजातियों का केंद्रीय सेवाओं में नाम-मात्र प्रतिनिधित्व है और विभिन्न प्रादेशिक सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अत्यल्प है। केवल ओप्रसे वर्ग I वरिष्ठ शाखा में अजजा का 18.5 प्रतिशत तक का उल्लेखनीय भाग है। परन्तु इसमें से 28 प्रतिशत पद ईसाई-अजजा के पास हैं। उच्च शिक्षा संवर्ग में अजजा का भाग किंचित् ही और अजजा के भाग में आने वाले इन थोड़े से पदों में से शासकीय महाविद्यालयों में एक चौथाई व अनुदान-प्राप्त निजी महाविद्यालयों में आधे पद ईसाई-अजजा ले जाते हैं।
- संसद एवं विधानसभा में अजजा की उपस्थिति जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुरूप ही है। 147 सदस्यीय विधानसभा में 33 स्थान अजजा के लिये आरक्षित हैं, इनमें केवल 2 ईसाई हैं। अजजा के 2 सदस्य अनारक्षित स्थानों से भी चुने गये, इस प्रकार विधानसभा में पूरे 33 अजजा सदस्य हैं।
- संसद में ओडिशा के 24 स्थानों में से पांच अजजा के लिये आरक्षित हैं। गत 5 लोकसभाओं में केवल एक बार कोई ईसाई अजजा सीट से विजयी हुआ है, यह ईसाई-अजजा सांसद 11वीं लोकसभा में जीत कर आया था।

प्रादेशिक सेवाओं में अजजा एवं ईसाई-अजजा का भाग

प्रादेशिक सेवा	कुल	अजजा	ईसाई-अजजा
उच्च प्रशासन	124	0 (0.0%)	0 (0.0%)
ओडिशा प्रशासनिक सेवा ओप्रसे वर्ग I वरिष्ठ शाखा	135	25 (18.5%)	7 (28.0%)
ओडिशा राज्य सचिवालय सेवा	483	3 (0.6%)	0 (0.0%)
ओडिशा शिक्षा सेवा ओशिसे II, ओशिसे III वी टीजीटी	1,044	98 (9.4%)	12 (12.2%)
उच्च शिक्षा सेवा (शासकीय महाविद्यालय)	430	8 (1.9%)	2 (25.0%)
उच्च शिक्षा सेवा (अनुदान-प्राप्त निजी महाविद्यालय)	660	2 (0.3%)	1 (50.0%)

अजजा कालम में अजजा अधिकारियों का कुल संवर्ग में प्रतिशत भाग व ईसाई कालम में अजजा अधिकारियों में ईसाइयों का प्रतिशत भाग है।

उत्तरपूर्व एवं मध्यभारत के राज्यों का तुलनात्मक विवरण

- मध्यभारत के जिन तीनों राज्यों का हमने ऊपर अध्ययन किया है, उनमें से प्रत्येक में अजजा की जनसंख्या असमेतर उत्तरपूर्व क्षेत्र की सम्पूर्ण अजजा जनसंख्या के बराबर है। और, इन तीनों राज्यों की कुल अजजा जनसंख्या असम सहित उत्तरपूर्व की सम्पूर्ण जनसंख्या से दोगुनी है।
- परन्तु इन तीनों राज्यों में अजजा मूल के धर्मपरिवर्तित ईसाइयों की सम्मिलित संख्या 20 लाख से कम है, जबकि उत्तरपूर्व में अजजा-ईसाइयों की संख्या 55 लाख है। लगता है कि मध्यभारत के राज्यों में अजजा-ईसाइयों की इस अल्पता का विपरीत प्रभाव वहाँ की अजजा के केंद्रीय सेवाओं में और विशेषतः प्रतिष्ठित भाप्रसे में आने की संभावनाओं पर पड़ा है।
- इन तीन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों का केंद्रीय सेवाओं में और विशेषतः भाप्रसे में भाग उत्तरपूर्व की अजजा की तुलना में अत्यल्प है। जैसे कि नीचे के ग्राफ में देखा जा सकता है, उत्तरपूर्व की प्रति एक लाख अजजा जनसंख्या में 1.24 भाप्रसे अधिकारी हैं, मध्यभारत के इन तीन राज्यों की अजजा जनसंख्या में यह अनुपात मात्र 0.08 भाप्रसे अधिकारी प्रति लाख है।

जनसंख्या और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की संख्या

	जनसंख्या का वितरण (जनसंख्या हजारों में)					भाप्रसे में अधिकारी		
राज्य	**कुल**	**अजजा**	**ईसाई अजजा**	**अजजा**	**ईसाई अजजा**	**कुल**	**अजजा**	**ईसाई अजजा**
झारखंड	26,946	7,087	1,025	26.3%	14.5%	30	3	2
छत्तीसगढ़	20,834	6,617	312	31.8%	4.7%	24	8	4
ओडिशा	36,805	8,145	606	22.1%	7.4%	169	6	2
कुल उपरोक्त	**84,584**	**21,849**	**1,943**	**25.8%**	**8.9%**	**223**	**17**	**8**
असम	26,656	3,309	291	12.4%	8.8%	55	19	9
असमेतर उत्तरपूर्व	11,788	7,162	5,213	60.8%	72.8%	155	111	96
कुल उत्तरपूर्व	**38,444**	**10,470**	**5,504**	**27.2%**	**52.6%**	**210**	**130**	**105**

उल्लेखनीय है कि धर्मपरिवर्तित ईसाई-अजजा के लिये भाप्रसे में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में उत्तरपूर्व और मध्यभारत में उतना बड़ा अंतर नहीं है जितना गैर ईसाई-अजजा के लिये। उत्तरपूर्व में प्रति लाख ईसाई अजजा पर 1.91 भाप्रसे अधिकारी हैं, मध्यभारत के इन तीन राज्यों में यह अनुपात 0.41 है। पर गैर-ईसाई अजजा की प्रति लाख जनसंख्या में उत्तरपूर्व से 0.50 भाप्रसे अधिकारी हैं और मध्यभारत के इन तीन राज्यों से मात्र 0.05 अधिकारी।

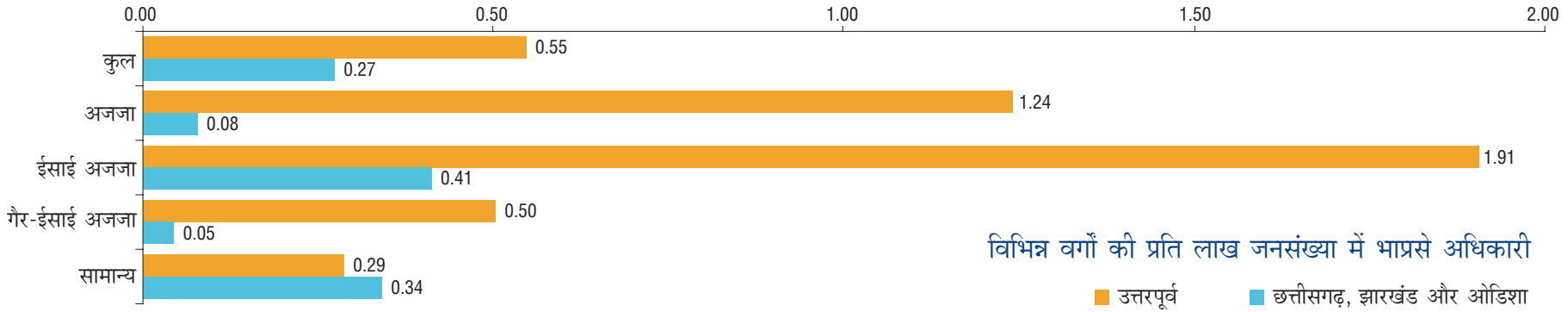

उत्तरपूर्व एवं मध्यभारत के राज्यों का तुलनात्मक विवरण

- जैसे के नीचे के ग्राफ में दर्शाया गया है, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा प्रांतों में सब मिलाकर अजजा के 2.2 करोड़ लोग रहते हैं, वे सम्पूर्ण भारत की अजजा जनसंख्या का एक चौथाई भाग हैं। पर इन तीनों राज्यों से अजजा मूल के केवल 17 भाप्रसे अधिकारी हैं, और इनमें से 8 ईसाई हैं। असम की अजजा जनसंख्या केवल 33 लाख है, वहाँ से अनुसूचित जनजातियों के 19 भाप्रसे अधिकारी हैं और इनमें 9 ईसाई हैं। उत्तरपूर्व के शेष 6 राज्यों की अजजा जनसंख्या 72 लाख है, इन राज्यों से अजजा के 111 भाप्रसे अधिकारी हैं और इनमें 96 ईसाई हैं।
- असम और त्रिपुरा के अतिरिक्त अन्य 5 उत्तरपूर्वी राज्यों की अनुसूचित जनजातियों का भाप्रसे में प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा की तुलना में अत्यन्त अधिक है। असम की अजजा में ईसाइयों का अनुपात मध्यभारत के इन तीन राज्यों के समान कम ही है। परंतु वहाँ की अजजा का भी, विशेषतः धर्मपरिवर्तित ईसाई अजजा का, भाप्रसे में प्रतिनिधित्व मध्यभारत के राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है।
- उत्तरपूर्व के अजजा मूल के धर्मपरिवर्तित ईसाई भाप्रसे में अजजा के लिये उपलब्ध कुल स्थानों के बड़े भाग पर अधिकार रखते हैं। फलतः भारत के अन्य क्षेत्रों की अजजा के लिये किंचित् ही स्थान बचते हैं। जैसा कि हमने देखा है, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा की जनजातियों का भाप्रसे में प्रतिनिधित्व नगण्य ही है। यह कदाचित् मात्र संयोग नहीं कि इन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों में ईसाइयत का प्रसार उत्तरपूर्व की अपेक्षा सीमित है।

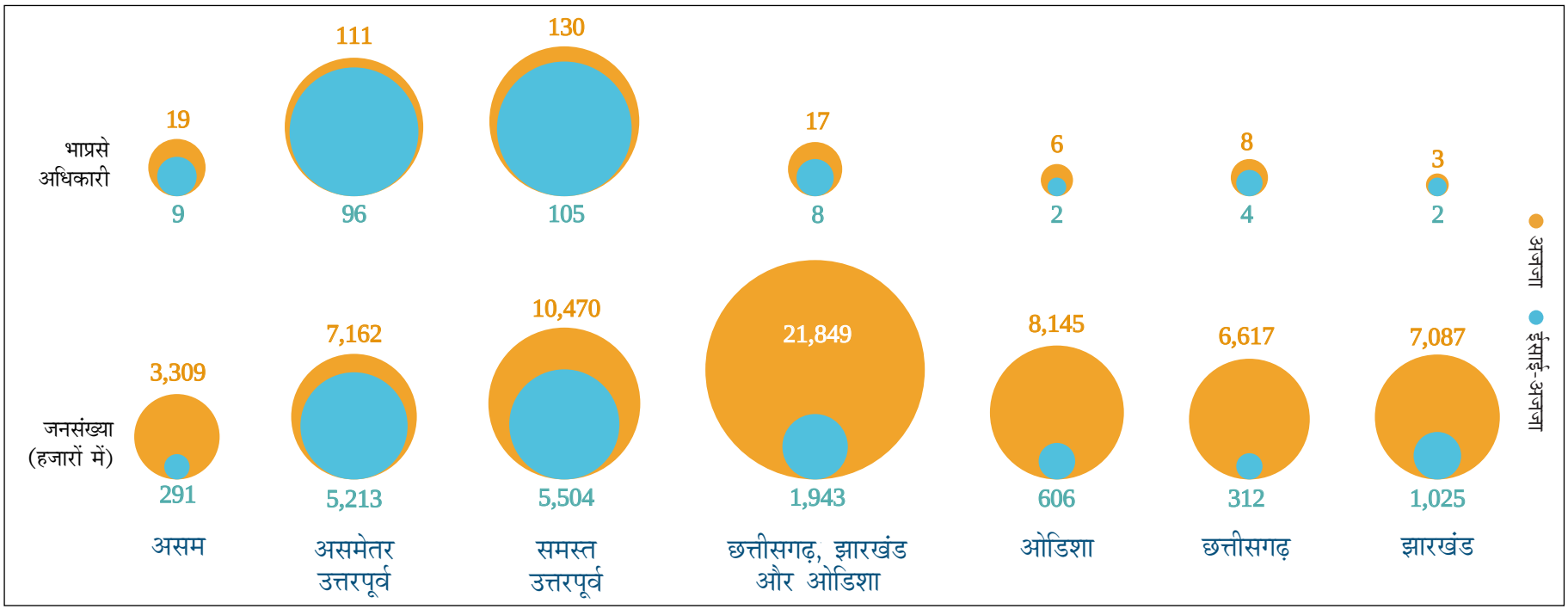

अनुसूचित जनजातियों का भाप्रसे में प्रतिनिधित्व: सार-संक्षेप

- जैसे कि दायीं ओर दिये गये ग्राफ में दिखाया गया है, असमेतर उत्तरपूर्व मूल के 111 अजजा अधिकारी 1 जनवरी 2009 तक की भारतीय प्रशासनिक सेवा सूची में हैं। इनमें से 68 नियमित चयन प्रक्रिया से चुने गये हैं, और इन 68 में 11 गैर-ईसाई हैं। सीधे चुने गये 11 गैर-ईसाई अजजा अधिकारियों में 6 अरुणाचल प्रदेश से, 2 मेघालय से और 3 त्रिपुरा से हैं। अरुणाचल प्रदेश से सीधे चुने गये 6 अजजा अधिकारियों में से कोई ईसाई नहीं है।
- असमेतर उत्तरपूर्व मूल के शेष 43 अजजा अधिकारी प्रादेशिक सेवाओं से पदोन्नत हो कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में आये हैं। इनमें से केवल 4 गैर-ईसाई हैं, 2 अरुणाचल प्रदेश से और 2 त्रिपुरा से।
- असम मूल के 19 अजजा अधिकारियों में से 7 नियमित चयन प्रक्रिया से आये हैं और 12 प्रादेशिक सेवाओं से पदोन्नत हो कर भाप्रसे में पहुँचे हैं। सीधे चुने गये 7 अजजा अधिकारियों में एक भी ईसाई नहीं है, और पदोन्नत हुए 12 अधिकारियों में केवल 3 गैर-ईसाई हैं।
- छत्तीसगढ़, झारखंड अथवा ओडिशा मूल के 17 अजजा अधिकारियों में 8 सीधे चयनित हैं और 9 प्रादेशिक सेवाओं से पदोन्नत हुए हैं। सीधे चुने गये अधिकारियों में से 2 झारखंड से हैं और 6 ओडिशा से। प्रादेशिक सेवाओं से पदोन्नत 9 भप्रसे अधिकारियों में से 8 छत्तीसगढ़ से हैं और 1 झारखंड से।
- इस क्षेत्र से सीधे चुन कर आये 8 अजजा अधिकारियों में से 5 गैर-ईसाई हैं और 9 पदोन्नत अधिकारियों में से 5 अजजा मूल के धर्मपरिवर्तित ईसाई हैं।
- जिन क्षेत्रों एवं राज्यों का हमने यहाँ अध्ययन किया है उनमें से प्रायः सभी में भाप्रसे में पदोन्नत अधिकारियों में ईसाई अजजा का भाग सीधे चयनित अजजा अधिकारियों की अपेक्षा अधिक है। पदोन्नति की प्रक्रिया में ईसाई-अजजा के प्रति यह झुकाव उत्तरपूर्व में स्पष्ट दिखता है, असम में यह झुकाव और भी बड़ा है, और मध्यभारत के तीनों राज्यों में भी यही प्रवृत्ति दिख रही है।

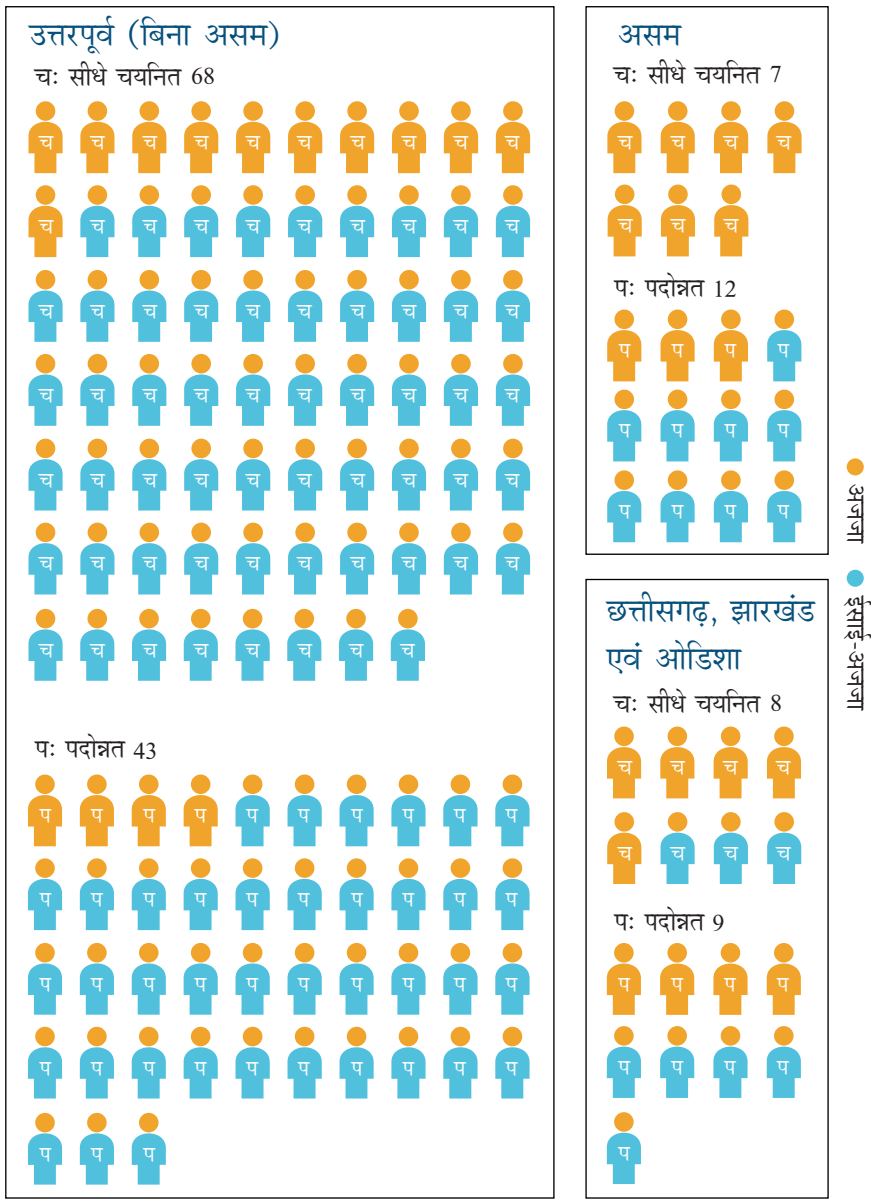

निष्कर्ष

- यहाँ दिये गये आंकड़े दिखाते हैं कि उत्तरपूर्व और देश के अन्य भागों की अनुसूचित जनजातियों में से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहुँचने वाले अधिकारियों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। उत्तरपूर्व के सात राज्यों में से कुल 130 अजजा अधिकारी भाप्रसे में हैं और मात्र 17 मध्यभारत के छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों से। इन तीन राज्यों से कुछ ही अजजा प्रत्याशी सीधे भाप्रसे में चुने गये हैं, इन राज्यों की प्रादेशिक सेवाओं से और भी कम अधिकारी भाप्रसे में पदोन्नत हुए हैं। इन तीन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या उत्तरपूर्व की दोगुनी से भी अधिक है।
- इन आंकड़ों में दिखाई देने वाला दूसरा बड़ा तथ्य यह है कि दोनों क्षेत्रों में अजजा मूल के ईसाइयों का भाप्रसे में प्रतिनिधित्व जनसंख्या में ईसाइयों के अनुपात की तुलना में कहीं अधिक है। उत्तरपूर्व के कुछ राज्यों में तो अनुसूचित जनजातियों में ईसाइयत का बड़े स्तर पर प्रसार हुआ है। पर वहाँ भी भाप्रसे में अजजा मूल के ईसाई जनसंख्या में अपने अनुपात की तुलना में पर्याप्त अधिक बैठते हैं। और, प्रायः सब स्थानों पर भाप्रसे में पदोन्नत अधिकारियों में अजजा के ईसाइयों का भाग सीधे चयनित अधिकारियों में उनके भाग से बड़ा है। गैर-ईसाई अजजा नियमित चयन प्रक्रिया में तो सफल हो जाते हैं, पर पदोन्नति पाकर भाप्रसे में पहुँचना उनके लिये कठिन है।
- हमने केवल भाप्रसे में अजजा के प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े इकट्ठे किये हैं। पर अन्य केंद्रीय सेवाओं में और विशेषतः भारतीय पुलिस सेवा में उत्तरपूर्व से एवं अन्य क्षेत्रों से आने वाले अजजा अधिकारियों और अजजा मूल के ईसाई और गैर-ईसाई अधिकारियों की संख्या में वैसा ही बड़ा अंतर है।
- उत्तरपूर्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों से केंद्रीय सेवाओं में भर्ती होने वाले अजजा के अधिकारियों में यह अंतर सहज नहीं। लगता है कि किसी नीति के अनुसार ही उत्तरपूर्व से इतने अधिक अजजा अधिकारी लिये जा रहे हैं। ऐसी ही कोई नीति अजजा में से धर्मपरिवर्तित ईसाइयों के पक्ष में बनी दिखती है।
- उत्तरपूर्व के अजजा और विशेषतः अजजा-ईसाइयों के पक्ष में नीतिगत झुकाव इतना बड़ा है कि केवल उत्तरपूर्व से 105 अजजा-ईसाई अधिकारी भाप्रसे में पहुँचे हैं। लगता है कि जैसे अजजा के लिये दिये गये संवैधानिक आरक्षण की आड़ में ईसाइयों को ही आरक्षण देना का मार्ग ढूंढ़ लिया गया हो।
- यह नीति देश के अन्य क्षेत्रों के स्वधर्म में स्थित अजजा लोगों के प्रति अन्यायपूर्ण है। भाप्रसे में अजजा के लिये आरक्षित कुल संभव स्थानों का 40 प्रतिशत एक छोटे क्षेत्र के मुख्यतः ईसाई अजजा लोगों को चला जाता है।
- इस नीति का एक परिणाम यह हुआ है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा काडरों के कुल 409 भाप्रसे अधिकारियों में केवल 29 अजजा के हैं और इनमें से 14 ईसाई हैं। ये तीन राज्य, जहाँ बड़ी संख्या में अजजा के लोग बसते हैं, मुख्यतः गैर-अजजा अधिकारियों के शासन में हैं। यहाँ की अजजा अपने ही लोगों द्वारा शासित होने के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हैं। उत्तरपूर्व के भाप्रसे काडरों में बड़ी संख्या वहीं के अजजा अधिकारियों की है।
- इस स्थिति का तुरंत निराकरण होना आवश्यक है। सब क्षेत्रों के अजजा लोगों के प्रति न्याय करने का एक सीधा ढंग तो यही है कि केंद्रीय सेवाओं में अजजा की भर्ती करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन रखने का प्रयास हो।
- संतुलन तो ईसाई-अजजा और गैर-ईसाई अजजा में रखना भी आवश्यक है। सेवाओं में ईसाई-अजजा का भाग अजजा जनसंख्या में उनके भाग से अधिक तो नहीं हो सकता। संविधान का आशय धर्मपरिवर्तित लोगों को अजजा की सुविधायें देना का नहीं। न्यायालयों के निर्णय भी इसी दिशा में हैं। 1967-70 में लोकसभा में ईसाई-अजजा की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने का एक बड़ा प्रयास हुआ था। इसका इतिहास नीचे परिशिष्ट में दिया गया है। वह प्रयास अपनी परिणति तक नहीं पहुँच पाया। विभिन्न क्षेत्रों के स्वधर्म में स्थिति अजजा लोगों को न्याय दिलवाने का कोई नया प्रयास अब पुनः अपेक्षित है।

परिशिष्ट: अनुसूचित जनजातियों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 341 और 342

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों संबंधी विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 से नियमित होते हैं। इन अनुच्छेदों का पाठ निम्न है –

341. अनुसूचित जातियाँ

(1) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये, यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियाँ समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

342. अनुसूचित जनजातियाँ

(1) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये, यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति, जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त पाठ संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 और संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 के अनुरूप संशोधित पाठ हैं। ये संशोधन तकनीकी थे। इनके द्वारा मूल पाठ में से भाग-क एवं भाग-ख राज्यों और राजप्रमुखों के संदर्भ निकाल दिये गये थे और संघ-राज्य क्षेत्रों का संदर्भ जोड़ दिया गया था।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का संदर्भ अनुच्छेद 366 में भी आया है। इस अनुच्छेद में संविधान में उपयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषाएँ दी गयी हैं। 366(24) और 366(25) में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की परिभाषा क्रमशः अनुच्छेद 341 एवं 342 के आधार पर की गयी है।

अनुच्छेद 341 एवं 342 का पाठ एक समान है। मात्र अनुच्छेद 341 में उल्लिखित 'जातियों, मूलवंशों या जनजातियों' के स्थान पर 342 में 'जनजातियों या जनजाति समुदायों' का उल्लेख है। संविधान का स्पष्ट आशय अनुसूचित जातियों और जनजातियों दोनों के संदर्भ में एक-सा प्रावधान करने का है। पर इन अनुच्छेदों के खंड (1) के अनुसार निम्नलिखित पृथक् अधिसूचनायें जारी करते हुए अनुसूचित जातियों और जनजातियों में विभेद कर दिया गया।

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 (संआ 19)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सम्पृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्न-लिखित आदेश किया है, अर्थात् –

परिशिष्टः संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश और संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, १९५०

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा।

2. इस आदेश के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि वे जातियाँ, मूलवंश या जनजातियाँ या जातियों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ, जो कि इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 से लेकर भाग 24 तक में विनिर्दिष्ट हैं, उन राज्यों के संबंध में जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध हैं, वहाँ तक जहाँ तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके संबंध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जातियाँ समझे जायेंगे।

3. पैरा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दु, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जायेगा।

4. इस आदेश में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है।

उपरोक्त पाठ 2006 तक किये गये संशोधनों के अनुरूप है। 1950 के इस आदेश में हुए संशोधन, मुख्यतः धारा 341(2) के अनुसार इस आदेश के साथ जारी अनुसूची के विभिन्न भागों में से कुछ जातियों अथवा जाति समूहों को निकालने या जोड़ने अथवा अनुसूची में नये भाग जोड़ने से संबंधित रहे हैं। इन तकनीकी संशोधनों के अतिरिक्त दो संशोधन इस आदेश के पैरा 3 में किये गये हैं। 1956 के अधिनियम 63 द्वारा इस पैरे में हिंदुओं के साथ सिखों को जोड़ दिया गया था और 1990 के अधिनियम 15 द्वारा बौद्धों को जोड़ा गया था।

इस आदेश के पैरा 3 के अनुसार अब केवल हिंदु, सिख अथवा बौद्ध धर्म को मानने वाले ही अनुसूचित जाति के सदस्य माने जा सकते हैं। यह प्रावधान संविधान में व्यक्त भावना के अनुरूप है। संविधान का अनुच्छेद 25 'धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता' प्रदान करता है और विभिन्न समुदायों के धार्मिक संस्थानों को राज्य के हस्तक्षेप से बचाता है। पर इसी अनुच्छेद की धारा 2(बी) में राज्य को 'सामाजिक कल्याण और सुधार के लिये' हिंदु धर्म एवं संस्थाओं संबंधी कानून बनाने का असाधारण अधिकार दिया गया है। इस धारा के स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि 'हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जायेगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदानुसार लगाया जाएगा।' इस प्रकार संविधान हिंदुओं को अन्य धर्मों से अलग करता है और इस संदर्भ में जैन, सिख एवं बौद्ध हिंदुओं में ही सम्मिलित हैं। संविधान राज्य को हिन्दुओं (और सिखों, बौद्धों एवं जैनों) के धार्मिक मामलों एवं संस्थाओं में हस्तक्षेप का अधिकार देता है। अन्य धर्मों में हस्तक्षेप करने का ऐसा कोई अधिकार राज्य को नहीं दिया गया।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के पैरा 3 में हिंदुओं के साथ सिखों और बौद्धों को जोड़ने के लिये किये गये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 25 की भावना को ही परिलक्षित करते हैं। इस संदर्भ में जैनों को जोड़ना अनावश्यक है क्योंकि अनुसूचित जातियों में कदाचित् ही कोई जैन हो।

परंतु अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिये जो आदेश जारी हुआ उसमें उपरोक्त आदेश के पैरा 3 को पूर्णतः छोड़ दिया गया है। इस आदेश का पाठ निम्नानुसार है –

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 (संआ 22)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सम्पृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्न-लिखित आदेश किया है, अर्थात् –

परिशिष्टः संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, १९५०

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा।

2. वे जनजातियाँ या जनजाति समुदाय या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 से लेकर भाग 22 तक में विनिर्दिष्ट हैं, उन राज्यों के संबंध में जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध हैं, वहाँ तक जहाँ तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं, अनुसूचित जातियाँ समझे जायेंगे।

3. इस आदेश में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 का यह संप्रति प्रचलित पाठ है। 1950 के इस आदेश में 342(2) के अनुसरण में अनेक संशोधन हुए हैं। ये संशोधन मुख्यतः क्षेत्र विशेष की जनजातियों व जनजाति समुदायों को जोड़ने अथवा हटाने और अनुसूची में नये भागों को जोड़ने से संबंधित हैं।

इस आदेश में अनुसूचित जातियों के लिये जारी किये गये आदेश के पैरा 3 के समानांतर धर्म संबंधी किसी प्रावधान के अभाव में अजजा मूल के धर्मपरिवर्तित लोगों के लिये अजजा की सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों पर दावा करने की संभावना खुली रह गयी। संविधान के अनुच्छेद 342 का अथवा इस संबंधी 1950 के आदेश का ऐसा आशय निश्चय ही नहीं था। इसे भारत सरकार और अनेक राज्य सरकारों ने अनेक संदर्भों में स्पष्ट करने का प्रयास किया।

17 दिसंबर 1950 को डॉ. एच.एन. कुंजरू एवं 15 अन्य सांसदों ने एक ज्ञापन में इस आदेश, के माध्यम से जारी की गयी अनुसूचित जनजातियों की सूची की संपूर्णता पर प्रश्न उठाया था। 15 फरवरी 1951 को उस ज्ञापन का उत्तर देते हुए भारत सरकार ने कहा –

"वर्ष 1931 की जनगणना के साथ पूरे भारत में एक विशेष सर्वेक्षण किया गया था। उसके आधार पर जिन समुदायों को वास्तव में जनजातियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिये उन्हें 'जातियों' से पृथक् किया गया था और जनजातियों में से जिन्हें 'आदिम जनजातियाँ' कहा जा सकता था उनकी एक सूची बनायी गयी थी। यह सिद्धांत अपनाया गया है कि जिन जनजातियों को इस सूची में स्थान नहीं मिल पाया था उन्हें अब 'अनुसूचित जनजातियों' में नहीं रखा जायेगा। ऐसा केवल उस स्थिति में किया जायेगा जब संबंधित राज्य सरकारें यह प्रमाणित करें कि इस सूची में से कोई समुदाय गलती से छूटा है और वह समुदाय न केवल एक जनजाति है अपितु आदिम अथवा पिछड़ी जनजाति है। ...सरकार को यह नितांत आवश्यक लगता है कि जिन समुदायों को 1931 में 'आदिम जनजाति' नहीं माना गया और जिन्हें उस आधार पर कभी विशेष राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला उन्हें अब पहली बार 'अनुसूचित जनजातियों' के रूप में ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिये। ... ..."

भारत सरकार का यह कथ्य कि 1931 की जनगणना ही किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित करने का आधार होगा अपने-आप जनजाति मूल के धर्मपरिवर्तित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति माने जाने से वंचित कर देता है। वर्ष 1931 की जनगणना में धर्मांतरित ईसाइयों को 'भारतीय ईसाई' की पृथक् श्रेणी में रखा गया था और उन्हें 'आदिम जनजातियों' अथवा 'पिछड़ी जनजातियों' की सूची में नहीं गिना गया।

इसी संदर्भ में ओडिशा सरकार ने 1950 में एक अधिसूचना जारी कर के यह स्पष्ट किया कि –

"किसी 'अनुसूचित जनजाति' का कोई व्यक्ति यदि जनजातीय धर्म का अनुसरण नहीं करता तो उसे उस जनजाति का सदस्य नहीं माना जायेगा, अपितु 'अन्य पिछड़े वर्गों' में गिना जायेगा। पुनश्च, यदि वह सामाजिक, शैक्षणिक अथवा आर्थिक स्तर पर ऐसी उन्नत स्थिति में पहुँच गया है कि सरकार के मत में वह पिछड़े वर्गों को दी गयी संवैधानिक

परिशिष्टः संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, १९५० में संशोधन का प्रयास

सुविधाएं पाने का अधिकारी नहीं रहा तो उसे 'अन्य पिछड़े वर्गों' का सदस्य भी नहीं माना जायेगा।"

ओडिशा के ही श्री गुस्तुर मुण्डु द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे एक ज्ञापन के उत्तर में बिहार सरकार ने 10 जून 1950 ने लिखा कि –

"प्रधानमंत्री को संबोधित आपके पत्र दिनांक 26 मई 1950 के संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपके पत्र में उल्लिखित नाम ईसाई लगते हैं। बिहार सरकार ईसाई अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ा हुआ मानने की अनुशंसा नहीं करती, इसलिये खेदपूर्वक यह निर्णय किया गया है कि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। इस संदर्भ में आगे कोई पत्र व्यवहार आवश्यक हो तो कृपया इसे बिहार सरकार को संबोधित करें।"

इसी तरह के आदेश केरल एवं मैसूर सरकार ने भी जारी किये। मध्य प्रदेश सरकार ने तो अप्रैल 1954 में श्री रविशंकर शुक्ला के मुख्यमंत्रित्व काल में डॉ. एन. बी. नियोगी की अध्यक्षता में 'ईसाई मिशनरी गतिविधि जांच समिति' गठित की थी।

इस सब से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और अनेक प्रमुख राज्यों की सरकारों का निश्चित मत था कि जनजातियों से धर्मांतरित ईसाइयों को संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश 1950 के अनुसार जनजातियों का सदस्य नहीं माना जा सकता। फिर भी इस आदेश के पाठ में धर्मांतरित जनजातियों के बारे में जो अनिश्चितता रह गयी थी उसका लाभ उठा कर धर्मांतरित ईसाई अनुसूचित जनजातियों के लिये दी गयी विशेष संवैधानिक सुविधाओं के बड़े भाग पर अधिकार जमाते रहे।

अनुसूचित जातियों संबंधी आदेश में संशोधन का प्रयास

अंततः संसद में इस अनिश्चय की स्थिति को दूर करने का एक प्रयास किया गया। 12 अगस्त 1967 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करने एवं उनके लिये आरक्षित संसदीय क्षेत्रों का पुनः निर्धारण एवं परिसीमन करने के लिये एक व्यापक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। लोकसभा ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का निर्णय किया, राज्यसभा ने 28 मार्च, 1968 को इस निर्णय पर अपनी सहमति दी। श्री अनिल कु. चड्ढा की अध्यक्षता में 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 पर संयुक्त संसदीय समिति' का गठन किया गया। लोकसभा के 22 और राज्यसभा के 11 सांसदों के अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि इस अधिकार संपन्न समिति में थे। श्री एम. सी. चावला समिति के सचिव थे।

इस समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों और विषय में रुचि रखने वाली देश भर की अनेक सार्वजनिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों से विस्तृत विमर्श किया। इस विधेयक पर 262 ज्ञापन और प्रतिवेदन समिति को प्राप्त हुए। विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिये समिति ने अपने सदस्यों को अनेक अध्ययन-समूहों में विभाजित किया और ये समूह देश के विभिन्न भागों में जहाँ कहीं भी अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं वहाँ गये। डेढ़ वर्ष तक चले इस विचार-विमर्श में समिति की 22 बैठकें हुईं। इस गहन अध्ययन के बाद 17 नवंबर 1969 को समिति ने लोकसभा को अपनी व्यापक रिपोर्ट दी।

इस रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सूचियों में और उनके लिये आरक्षित संसदीय क्षेत्रों में बदलाव संबंधी अनुशंसाएं तो थी हीं, साथ ही अनुसूचित जनजातियों संबंधी मूल नीति के स्तर पर समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि –

"20 (iii): समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि अनुसूचित जनजातियों के किन्हीं सदस्यों के जनजातीय धर्म छोड़ कर किसी अन्य धर्म में चले जाने पर भी क्या उन्हें अनुसूचित जनजाति के सदस्य माना जाना चाहिये? समिति का मत है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने जनजातीय धर्म अथवा

परिशिष्टः संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, १९५० में संशोधन का प्रयास

आस्थाओं को छोड़ कर ईसाइयत अथवा इस्लाम को स्वीकार कर लिया है उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाना चाहिये...।"

अपने इस मत के अनुरूप समिति ने निम्न संशोधन को विधेयक में जोड़ने की अनुशंसा की –

"संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में पैरा 2 के स्थान पर निम्न पाठ लिया जाए –

'2अ. पैरा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने जनजातीय धर्म अथवा आस्थाओं को छोड़ कर ईसाइयत अथवा इस्लाम को स्वीकार कर लिया है अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जायेगा।'"

विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के लिये इस संदर्भ में जारी किये गये आदेशों में भी ऐसे ही संशोधन करने की अनुशंसा समिति ने की। इस प्रकार संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में रही जिस अस्पष्टता का लाभ धर्मांतरित ईसाई बड़े स्तर पर उठा रहे थे उसे दूर करने का प्रयास हुआ। समिति का यह प्रयास संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के समानान्तर पाठ और अनुच्छेद 25 में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों एवं जैनों को अन्य धर्मों से पृथक् रखने के पीछे की भावना एवं आशय को ठीक से क्रियान्वित करने की दिशा में ही था।

संयुक्त समिति की अनुशंसा लोकसभा में आने के तुरंत पश्चात् विभिन्न ईसाई पक्षों की ओर से सरकार पर दबाव आने लगा। इस संदर्भ में सरकार कि विवशता का कुछ पूर्वाभास सरकार ने समिति के विचार-विमर्श के समय ही दे दिया था। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि "(विधेयक के लिये) प्रभारी मंत्री ने प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन पर विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय द्वारा बहुत ध्यान से विचार करना पड़ेगा।" नितांत आंतरिक विषयों से संबंधित किसी विधेयक पर विदेश मंत्रालय की राय जानने की आवश्यकता कुछ विचित्र लगती है। पर सरकार को कदाचित् शंका थी कि समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन का विरोध न केवल भारतीय ईसाई करेंगे अपितु विदेशी ईसाई धर्म-प्रचार संस्थाओं और उनसे प्रभावित विदेशी सरकारों का विरोध भी सरकार को झेलना पड़ेगा।

संयुक्त संसदीय समिति ने 16 नवंबर 1969 को अपनी अनुशंसाओं के साथ संशोधित विधेयक लोकसभा को वापस भेजा। लोकसभा में डेढ़ वर्ष तक इस पर चर्चा नहीं हो पाई। इस अवधि में ईसाइयों ने समिति द्वारा सुझाये गये संशोधन के विरोध में अनेक ज्ञापन केंद्र सरकार को भेजे। अप्रैल 1970 में मेघालय की विधायिका और अनेक खासी नेताओं की ओर से एक ज्ञापन अधिकारिक स्तर पर मेघालय सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया। मेघालय सरकार का गठन 2 अप्रैल 1970 को हुआ था, ईसाई हितों के संरक्षण संबंधी यह ज्ञापन कदाचित् मेघालय विधायिका के सर्वप्रथम विधिक कार्यों में से एक रहा होगा।

संविधान में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में ईसाइयों द्वारा की जा रही लामबंदी के प्रत्युत्तर में डॉ. कार्तिक उराँव ने एक बड़ा प्रयास किया। श्री उराँव अनुसूचित जनजातियों के कुशाग्र युवा नेता थे। वे लोक सभा के सांसद और संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त समिति के सदस्य थे, बाद में वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को समिति द्वारा सुझाये संशोधन को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन भेजा। इसमें श्री उराँव ने अनुसूचित जनजातियों के लिये दी गयी संवैधानिक सुविधाओं के बड़े भाग का उपभोग थोड़े से धर्म-परिवर्तित ईसाइयों द्वारा किये जाने संबंधी व्यापक आंकड़े देते हुए निवेदन किया कि 'मात्र 22 लाख भारतीय ईसाइयों के दबाव में जो कि अपनी आक्रामक, मुखर एवं उन्नत स्थिति के लिये विख्यात हैं, 3.5 करोड़ गरीब देशभक्त जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय' का प्रतिकार किया जाये। इस ज्ञापन को तैयार करते हुए, श्री उराँव ने समस्या के सब आयामों पर गहन शोध किया था। ऊपर दिये गये तथ्यों में से बहुत से इस ज्ञापन से ही लिये गये हैं।

परिशिष्टः संशोधन के प्रयास की विफलता और न्यायिक निर्णय

यह ज्ञापन 17 जनवरी 1970 को 235 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री को सौंपा गया था। 10 नवंबर 1970 तक इस पर 348 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके थे। इन 348 सांसदों में से 322 लोकसभा सदस्य थे। अतः 16 नवंबर 1970 को जब लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब यह स्पष्ट था कि यदि समिति द्वारा अनुशंसित संशोधन पर मतदान हुआ तो लोकसभा का बड़ा बहुमत संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करेगा।

इस परिणति को टालने के लिये चर्चा के पहले दिन ही नवनिर्मित मेघालय एवं नगालैंड राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आ धमके। अगले दिन 17 नवंबर 1970 को सरकार ने संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने के लिये अपनी ओर से एक संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया। अनेक सांसदों ने सरकार के संशोधन का विरोध करते हुए समिति के प्रस्ताव का समर्थन किया।

24 नवंबर 1970 को विधेयक पर फिर से चर्चा हुई। तब तक कांग्रेस संसदीय दल ने अपने सांसदों को सरकार के संशोधन के पक्ष और संयुक्त समिति के प्रस्ताव के विरोध में मत देने के लिये बाध्य करने हेतु औपचारिक व्हिप जारी कर दिया था। संसद की चर्चा में भाग लेते हुए श्री कार्तिक उराँव ने अत्यंत मर्मस्पर्शी शब्दों में सांसदो से आग्रह किया कि या तो वे संयुक्त समिति के प्रस्ताव को अपनी सम्मति दें या फिर उन्हें मृत्यु का वरण करने की अनुमति दें। चर्चा की दिशा और संसद की भावना को देखते हुए यह स्पष्ट था कि अधिकांश कांग्रेस सांसद व्हिप का उल्लंघन करते हुए संयुक्त समिति के प्रस्ताव के पक्ष में मत देंगे और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में प्रस्तावित संशोधन भारी बहुमुत से लोकसभा में पारित हो जायेगा। स्थिति को भाँपते हुए सरकार ने उस दिन विधेयक पर आगे चर्चा स्थगित करवा दी। और, उस सत्र में यह विधेयक पुनः चर्चा के लिये नहीं लाया गया। चौथी लोकसभा का यह अंतिम सत्र था। एक माह बाद, 24 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग हो गयी और यह विधेयक स्वयमेव गिर गया।

इसी के साथ, धर्म-परिवर्तित ईसाइयों द्वारा संविधान में अनुसूचित जनजातियों को दी गयी सुविधाओं और विशेषाधिकारों के बड़े भाग पर अधिकार जमाते रहने की अन्यायपूर्ण स्थिति से उबरने का जो एक स्वर्णिम अवसर भारत की अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त हुआ था, वह बेकार चला गया। इस दुखद घटना का विवरण देते हुए, डॉ. कार्तिक उराँव ने लिखा कि उस लोकसभा के भंग होने के साथ भारत की अनुसूचित जनजातियों का भविष्य गहन अंधकार में डूब गया, 1950 से लेकर 1970 तक की 'बीस साल की काली रात' के बाद उषा की एक किरण दिखायी दी थी। लोकसभा के भंग होने और संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तावत संशोधन के इस प्रकार गिर जाने से उनकी समस्त आशाएँ ध्वस्त हो गयीं। डॉ. उराँव ने यह भी लिखा कि धर्मपरिवर्तित ईसाई अनुसूचित जनजातियों की आशाओं को ध्वस्त करवाने का यह कार्य किन्हीं तर्कसम्मत अथवा संवैधानिक दलीलों के आधार पर नहीं कर पाये अपितु उन्होंने सरकार को भारतीय संघ से पृथक् होने का भय दिखा कर यह कार्य करवाया।

न्यायिक निर्णय

अनुसूचित जनजाति मूल के धर्मपरिवर्तित ईसाइयों को अजजा के सदस्य माना जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न कतिपय वादों में अनेक उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में उठा है। इस संदर्भ में दो महत्त्वपूर्ण निर्णयों का सार-संक्षेप हम नीचे दे रहे हैं।

एवानलांकी-ए-रिंबई *वि.* जयंतिया हिल्स जिला स्वायत्त परिषद एवं अन्य

एआईआर 2006 एससी 159 (28 मार्च, 2006)

इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या जयंतिया हिल्स जिला स्वायत्त परिषद विधि एवं संविधान के अनुसार ईसाई धर्म को मानने वाले अनुसूचित जनजाति मूल के लोगों को दोलोई

परिशिष्टः जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद का वाद

(मुखिया) पद का चुनाव लड़ने से मना कर सकती है? इस पद के लिये चुनाव संयुक्त खासी जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला (प्रधानों एवं मुखियाओं का उत्तरानुक्रमण एवं नियुक्ति) अधिनियम 1959 के अधीन आता है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के अध्याधीन प्रमुख (दोलोई) पद के लिये समस्त चुनाव संबंधित प्रशासनिक क्षेत्र (इलाके) में प्रचलित रीतियों के अनुसार होंगे। जिला परिषद ने इस धारा का अर्थ यह लगाया कि किसी इलाके में प्रचलित रीति अनुसार निर्धारित वहाँ के कुछ विशेष गोत्रों के सदस्य ही ऐसे चुनावों में खड़े हो सकते हैं। इस अर्थ में अपना मूल धर्म छोड़ कर ईसाई बना कोई व्यक्ति अपने-आप ही किसी भी इलाके के मुखिया अथवा प्रधान पद के लिये खड़ा होने के अयोग्य हो जाता है।

याचिओं एवानलांकी-ए-रिंबई और क्षेत्र के जोवाई इलाका सेकुलर मूवमेंट ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 को संविधान के अनुच्छेदों 14, 15 एवं 16 के विरुद्ध बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। ये अनुच्छेद क्रमशः विधि के समक्ष समानता; धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध; एवं लोक नियोजन में अवसर की समता के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करते हैं। यह वाद पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि ईसाइयों को मुखिया अथवा प्रधान पद का चुनाव लड़ने से वर्जित करने का नियम विधि एवं संविधान सम्मत है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 अथवा 16 का उल्लंघन नहीं होता। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि वाद में 1959 के अधिनियम की जिस धारा 3 पर आपत्ति उठायी गयी है वह यथार्थ में संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 में विनिर्दिष्ट धार्मिक आचरण एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि 1959 के अधिनियम की धारा 3 से संविधान के अनुच्छेद 14, 15 अथवा 16 का उल्लंघन नहीं होता और ईसाइयों को मुखिया अथवा प्रधान पद का चुनाव लड़ने से वर्जित करना विधि एवं संविधान सम्मत है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 25, 26 एवं 29 के प्रभाव पर विचार करने से मना कर दिया।

संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का विशेष प्रावधान करते हुए नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाये रखना का अधिकार दिया गया है। जनजातीय संस्कृति और रीतियों एवं प्रथाओं को संरक्षित करने का अधिकार भी इस अनुच्छेद से मिलता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने किसी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के मुखिया, प्रमुख एवं अन्य पारंपरिक पदों के चुनाव से धर्म परिवर्ति ईसाइयों को वर्जित करने के विधान को विधि एवं संविधान सम्मत तो माना है, परंतु इस विधान को संविधान के अनुच्छेद 25, 26 एवं 29 द्वारा दिये गये अधिकारों के क्रियान्वयन के लिये अनिवार्य नहीं माना, जैसा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय में माना गया था। प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं के आग्रह करने पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के इन अनुच्छेदों के प्रभाव पर विचार करने से मना कर दिया। ऐसा करके सर्वोच्च न्यायालय ने यह संभावना खुली रहने दी है कि भविष्य की कोई ईसाई प्रभाव वाली राज्य सरकार राज्य विधायिका द्वारा बनाये अधिनियम को निरस्त कर ईसाइयों के जनजातियों के पारंपरिक पदों पर आरूढ़ होने का मार्ग प्रशस्त कर दे। अपने सामुदायिक कार्यों का संचालन अपने मूल धर्म में स्थित अपने ही लोगों द्वारा करने के जनजातियों के सहज अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार विधिक संरक्षण तो दिया है परंतु उनके इस सहज अधिकार को संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल पाया।

परिशिष्टः केरल सरकार एवं अन्य *वि.* चन्द्रमोहनन

केरल सरकार एवं अन्य *वि.* चन्द्रमोहनन
आपराधिक याचिका 240, 1997, एआईआर 2004 एससी 1672

यह वाद ऊपर वर्णित जयंतिया हिल्स जिला परिषद वाले वाद से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न स्तर के न्यायालयों को सीधे इस प्रश्न का निर्णय करना था कि क्या किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य अपना मूल धर्म छोड़ कर ईसाई बन जाने के बाद भी उस जनजाति का सदस्य बना रह सकता है। प्रश्न सीधा और सरल था, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने जो उत्तर दिया है वह अत्यंत अस्पष्ट है और इससे धर्मांतरण के प्रत्येक संदर्भ में अंतहीन न्यायिक वाद-प्रतिवाद की संभावना खुल गयी है।

यह प्रश्न एक आपराधिक अभियोग में उठा था। चन्द्रमोहनन पर एक आठ वर्षीय बालिका ऐलिजाबेथ पी. कोरा का शीलभंग करने के प्रयास का आरोप था। अभियोजक का कहना था कि बालिका माला-आर्यन् समुदाय से है जो केरल में अनुसूचित जनजातियों की सूची में आता है। अतः अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(xi) के अधीन भी आरोप निर्धारित किया गया।

अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील की कि क्योंकि पीड़ित बालिका ईसाई है इसलिये उसके विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन आरोप नहीं बनता। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय देते हुए कहा कि "इस अभियोजन में पीड़िता को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जा सकता क्योंकि वह ईसाई माता-पिता की संतान है।..." परिणामतः उच्च न्यायालय ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आरोपों को निरस्त कर दिया।

उच्च न्यायलय के इस निर्णय के विरुद्ध केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। इसकी सुनवाई भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वी. एन. खरे की अध्यक्षता में गठित एक संवैधानिक पीठ में हुई। 28 जनवरी 2004 के अपने निर्णय में पीठ ने जनजाति की परिभाषा पर एक सुदीर्घ नृवैज्ञानिक एवं वैधानिक शोध-प्रबंध जैसा विवेचन प्रस्तुत किया। इस विवेचन के आधार पर संवैधानिक पीठ ने केरल सरकार के अधिवक्ता का यह मत अस्वीकार कर दिया कि क्योंकि संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के पैरा 3 के तुल्य कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो हिंदुओं, सिखों अथवा बौद्धों के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को मानने वालों को अनुसूचित जनजाति से बाहर करता हो, इसलिये अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति धर्मपरिवर्तन के पश्चात् अनुसूचित जनजाति से बाहर नहीं माना जा सकता। पर पीठ ने यह मत भी अस्वीकार कर दिया कि अपना मूल धर्म छोड़ कर ईसाई बनने के बाद कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं रहता। और अंततः इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का यह संवैधानिक पीठ निम्न निष्कर्ष पर पहुँचा –

"अतः हमारा मत है कि चाहे ऐसा व्यापक वैधानिक नियम स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मात्र धर्म परिवर्तन करने से कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सदस्यता से वंचित हो जाता है, परन्तु धर्मपरिवर्तन के बाद वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य रहता है या नहीं इस प्रश्न का निर्णय प्रत्येक व्यक्तिगत वाद में उपयुक्त न्यायालय द्वारा करना होगा क्योंकि ऐसे प्रश्न का उत्तर प्रत्येक वाद के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा। ऐसी परिस्थिति में यह प्रमाणित करना आवश्यक होगा कि जिस व्यक्ति ने कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है, वह अब भी सामाजिक वंचना से पीड़ित है और यह भी कि वह अपने मूल समुदाय की रीतियों एवं परंपराओं का अब भी पालन कर रहा है।"

इस आदेश के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय को निरस्त कर दिया और वाद पर तथ्यों के आधार पर पुनः विचार करने के लिये इसे पालक्काडु के सत्र न्यायालय को भेज दिया।

परिशिष्टः संवैधानिक एवं विधिक अस्पष्टता का प्रभाव और निराशा की लंबी घनी अंधेरी रात

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात् अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विषय न्यायालय ले जाना होगा और लंबी न्यायालयीय प्रक्रिया के उपरांत ही यह निर्णय हो पायेगा कि उसे जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक सुविधाओं से वंचित किया जाना है या नहीं। अनुसूचित जनजातियों पर प्रत्येक स्थान पर प्रति दिन हो रहे अन्याय का प्रतिकार ऐसी न्यायालयीय प्रक्रियाओं द्वारा तो नहीं हो सकता। ऐसी प्रक्रियाओं से न्यायालयों एवं अधिवक्ताओं का धंधा तो बढ़ सकता है परंतु किसी व्यापक सामाजिक अथवा सामुदायिक विषय का समाधान नहीं हो सकता। प्रत्येक धर्मपरिवर्तित व्यक्ति को न्यायालय में ले जाना असंभव है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का प्रभाव यही होता है कि कोई धर्मपरिवर्तित व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त विशेष संवैधानिक सुविधाओं को तब तक भोगता रहेगा जब तक कोई न्यायालय उसके विरुद्ध अंतिम निर्णय नहीं दे देता। ऐसा निर्णय पाना कठिन है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो वाद था उसमें तो पीड़ित बालिका का परिवार कई सदियों पूर्व ईसाई बन चुका था और पीड़िता के पिता ने एक रोमन केथोलिक महिला से विवाह करने के लिये पुनः धर्मपरिवर्तन भी किया था। ये तथ्य न्यायालय के सम्मुख प्रामाणित हो चुके थे। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय यह स्पष्ट निर्णय देने कि स्थिति में नहीं था कि इस वाद में पीड़िता और उसके परिवार को अनुसूचित जाति का नहीं माना जा सकता।

संवैधानिक और विधिक अस्पष्टता

अपना मूल धर्म त्याग कर ईसाई बन जाने वाले अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विषय में इस संवैधानिक एवं विधिक अस्पष्टता का परिणाम यह हुआ कि ऐसे धर्मांतरित लोग अजजा के लिये आरक्षित स्थानों के बड़े भाग पर अधिकार जमाये हुए हैं। यह स्थिति सर्वदा बनी रही है। श्री कार्तिक उराँव के जिस ज्ञापन का संदर्भ ऊपर आया है उसमें 1970 के आंकड़े दिये गये हैं। उन आंकड़ों के अनुसार उस समय अजजा की जनसंख्या का मात्र 5.53 प्रतिशत ईसाई थे। और इन 5.53 प्रश ईसाइयों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अजजा के लिये आरक्षित स्थानों के 62 प्रश, भारतीय पुलिस सेवा के 52 प्रश, विदेश सेवा के 50 प्रश, वन सेवा के 62 प्रश और प्रथम श्रेणी की अन्य सेवाओं के 79 प्रतिशत स्थानों पर अधिकार कर रखा था।

प्रादेशिक सेवाओं में भी ईसाई अपनी जनसंख्या के अनुपात में कहीं अधिक थे। उस समय असम की अजजा में 24 प्रतिशत ईसाई थे, पर प्रादेशिक सेवाओं में अजजा के 80 प्रतिशत स्थानों पर उनका अधिकार था। नगालैंड की अजजा में 56 प्रतिशत ईसाई थे, पर प्रादेशिक सेवाओं में अजजा के 90 प्रतिशत स्थानों पर उनका अधिकार था।

बिहार की अजजा में 10.6 प्रश ईसाई थे, पर प्रादेशिक सेवाओं में अजजा के 83 प्रश पद उनके पास थे। राज्य के द्वितीय श्रेणी महालेखाकार संवर्ग के तो 100 प्रश अजजा स्थानों पर ईसाई ही थे।

श्री कार्तिक उराँव का यह भी अनुमान था कि भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर जो 150 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर रही थी उसमें से धर्मपरिवर्तित ईसाइयों को 38 रुपये प्रति व्यक्ति मिल रहा था और और शेष 95 प्रश अजजा को मात्र 74 पैसा प्रति व्यक्ति। साथ ही धर्म परिवर्तित ईसाइयों को भारत से बाहर की और भारत में स्थापित ईसाई धर्मप्रचार संस्थाओं से 108 रुपये प्रति व्यक्ति प्राप्त हो रहे थे।

अनुसूचित जनजाति मूल के धर्मपरिवर्तित ईसाइयों एवं अपने मूल धर्म में स्थित बहुसंख्यक अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों में 1970 में ही ऐसी विकट असमानता थी। उस विकट स्थिति को श्री कार्तिक उराँव ने 'बीस वर्ष की काली रात' की संज्ञा दी थी। इस पुस्तिका में संकलित कुछ सीमित से आंकड़े दिखाते हैं कि उस लंबी घनी काली रात का अंधकार अब भी छंट नहीं रहा, अपितु गहन से गहनतर होता जा रहा है।

भारत के विभिन्न भागों से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी

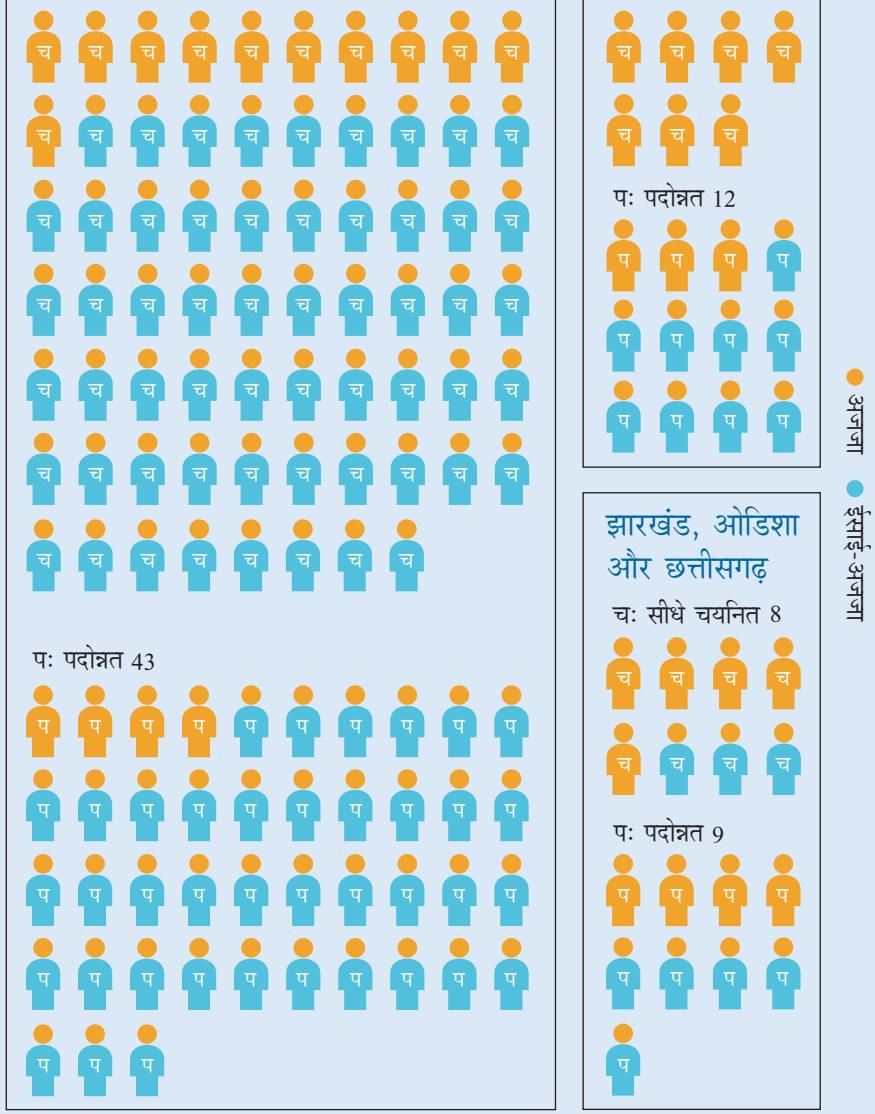

भारत की अनुसूचित जनजातियाँ: धर्मानुसार जनसांख्यिकी एवं प्रतिनिधित्व

गांधीजी का अमोघ मंत्र

मैं तुम्हें एक अमोघ मंत्र देता हूँ। जब तुम कभी किसी दुविधा में पड़ो, या जब कभी अहम् तुम पर हावी होने लगे, तब इस कसौटी पर अपने को कसो —

जो सबसे दरिद्र और सबसे असहाय व्यक्ति तुमने कभी देखा हो, उसका चेहरा याद करो, और अपने-आप से पूछो कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ उससे क्या उस व्यक्ति का कुछ लाभ होगा? उसे कुछ प्राप्त हो पायेगा? उससे क्या वह अपने जीवन एवं अपने भाग्य को अपने वश में ला पायेगा? दूसरे शब्दों में, क्या तुम्हारे इस कार्य से भूखे और तेज-सत्त्व हीन करोड़ों लोगों को स्वराज प्राप्त हो पायेगा?

तब तुम्हारी दुविधा और तुम्हारा अहम् दोनों अपने आप विलीन होने लगेंगे।

समाजनीति समीक्षण केन्द्र
CENTRE FOR POLICY STUDIES

आई.एस.बी.एन. 81-86041-35-4
मूल्य १००/- रुपये